बुधवार,
१४ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १४ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सहकारी खेती

*१७५८. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में किन-किन राज्यों में सहकारी खेती शुरू की गई है और क्या प्रतिफल निकले ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : विभिन्न राज्यों में सहकारी खेती की प्रगति बतानें वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १३**]

श्री झूलन सिन्हा : विवरण के अनुसार क्या मैं समझूं कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में सहकारी खेती को प्रोत्साहन देती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम इस सिद्धान्त को मान चुके हैं; छोटी-छोटी जोतों की हानियों को दूर करने लिये और सक्षम रूप में खेती करने के लिये यह एक साधन स्वरूप माना गया है । हमने विभिन्न राज्यों को एक योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार के पास भेजने के लिये लिखा है। विभिन्न सरकारों से प्राप्त हुए विवरणों से पता चलता है कि वे आगे बढ़ रही हैं । योजना में ४० लाख रुपयों की एक राशि इस प्रयोजन से पृथक् रखी गई है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार के पास इस विषय में एकरूपता लाने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : भूमि सुधार की प्रभारी समिति इन सब बातों की देख-भाल करती है । भूमि की समस्या के एक स्थानीय समस्या होने के कारण हम विशेष एकरूपता की आशा भी नहीं कर सकते और राज्य राज्य में अन्तर तो रहेगा ही ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि किन राज्यों ने सहकारी खेती शुरू की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : विभिन्न राज्यों की मैं एक बड़ी सूची दे चुका हूं । हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे एकाध राज्यों को छोड़ कर प्रायः भारत के पूरे २८ राज्यों में सहकारी संस्थायें हैं । उनकी संख्या, उनका क्षेत्र और अन्तर्ग्रस्त चालू पूंजी—सभी बातें विवरण में बताई गई हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री के पास कुछ प्रदेशों से इस प्रकार की शिकायत आई है कि इन सहकारी फार्मों के

नियम इतने कड़े हैं और कठिन हैं कि उन प्रदेशों में इन फार्मों का स्थापित होना कठिन हो रहा है और क्या इन नियमों में कोई परिवर्तन होने की संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मेरी यह धारणा ठीक है कि सहकारिता राज्य का विषय है और नियम राज्य द्वारा बनाये जाते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, यह राज्य-सूची में आता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री दाभी ।

कैम्बे पत्तन

*१७५९. **श्री दाभी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कैम्बे पत्तन को विकसित करने की संभावनाओं की जांच हो रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन से कुछ विदेशी विशषज्ञ उस पत्तन को देखने गये थे; तथा

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). कैम्बे एक छोटा सा पत्तन है । हाल में भारत सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहायता प्रशासन द्वारा भेजे गये दो विदेशी विशेषज्ञों ने पानी को छितराकर इस पत्तन में सुधार करने की संभावनाओं की पड़ताल की थी ।

(ग) विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की प्रति यथावश्यक कार्यवाही करने के लिये संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई है ।

श्री दाभी : क्या बंबई सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है ?

श्री अलगेशन : कुछ पत्र-व्यवहार नहीं हुआ ।

खाद्यान्न (अनुज्ञापन तथा वसूली) आदेश

*१७६०. **श्री के० पी० सिन्हा** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खाद्यान्न (अनुज्ञापन तथा वसूली) आदेश, १९५२ अब चावल और धान को छोड़ अन्य सभी खाद्यान्नों पर लागू नहीं होता ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : नहीं, श्रीमान् । केन्द्रीय खाद्यान्न अनुज्ञापन तथा वसूली आदेश वस्तुतः अविनियंत्रित स्थिति में खाद्यान्नों पर लागू होता है, जिससे आयात के समय सरकार भंडारों का पता लगा सके और उनका अधिग्रहण कर सके । कुछ राज्यों को छोड़ कर, जहां उनके अपने नियंत्रण आदेश लागू होते हैं, यह केन्द्रीय आदेश अविनियंत्रित गेहूं तथा अन्य मोटे अनाजों के विषय में भी सभी राज्यों पर लागू होता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या अनाज का व्यापार करने के लिये अब भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह वसूली तथा अनुज्ञापन आदेश के अनुसार करना पड़ता है । पंद्रह मन से अधिक खाद्यान्न रखने वाले व्यक्तियों को अनाज का व्यापारी समझा जाता है । ऐसे व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे अनुज्ञप्ति प्राप्त करें ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या अंतर्राज्यीय प्रतिबन्ध अब भी चल रहे हैं और यदि चल रहे हैं, तो नियंत्रण आदेशों से कमी वाले

राज्यों को किस रूप में लाभ प्राप्त होने जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नियंत्रण आदेश सभी राज्यों के विषय में लागू नहीं होता । वह केवल अवनियंत्रण वाले स्थानों पर ही लागू होता है । इससे सरकार आपात काल में भंडारों का पता लगा सकती है और उनका अधिग्रहण कर सकती है । यह अव-नियंत्रण वाले राज्यों में ही लागू होता है ।

जबलपुर प्रशिक्षण केन्द्र

***१७६१. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जबलपुर में दूरसंचार प्रशि-क्षण केन्द्र की नई इमारत का निर्माण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कहां तक प्रगति हो चुकी है तथा इसके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ;

(ग) इसके पूरे होने पर कितने प्रशिक्षार्थी और लिये जायेंगे ; और

(घ) प्रशिक्षण के और क्या क्या अतिरिक्त विषय सम्मिलित किये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख): मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । बिजली लगाने का तथा अन्य बाहरी काम किया जा रहा है । इमारत के चालू वर्ष में पूरी तरह तैयार हो जाने की आशा है ।

(ग) इस समय जितने प्रशिक्षार्थी हैं उनसे २०० अधिक ।

(घ) निकट भविष्य में कोई और विषय जोड़े जाने का विचार नहीं है अपितु वर्त्तमान पाठ्यक्रम को ही आधुनिकतम स्तर पर लाया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि १९५३ और १९५४ में क्यों केबिल जाइंडर लोगों को शिक्षा नहीं दी गई ?

श्री राजबहादुर : यह विशेष केस मेरे नोटिस में नहीं है । मैं समझता हूं कि जिन जिन विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध और व्यवस्था इस केन्द्र में है उन सब में शिक्षा दी गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि नई मशीनें कब आ जायेंगी ?

श्री राज बहादुर : नई मशीनें जैसे जैसे हमको उपलब्ध होती हैं वैसे वैसे मंगाते रहते हैं और जैसे जैसे डेवेलपमेंट होता है और जैसे जैसे टैकनिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैसे वैसे मंगाते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह बात सच है कि जब नई मशीनें आ जायेंगी तब यह शिक्षा केन्द्र एशिया में सबसे बड़ा होगा ?

श्री राजबहादुर : हमारी अभिलाषा ऐसी ही है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि यह एशिया की सबसे बड़ी तथा अपने किस्म की सबसे आधुनिक संस्था होगी ?

श्री राज बहादुर : अभी जो उत्तर मैंने दिया है उसे मैं अंग्रेजी में दोहरा दूं । हमारी अभिलाषा यही है ।

आर० टी० एस० कार्यालय, मुजफ्फरपुर

***१७६२. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मुज़फ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) का आर० टी० एस० कार्यालय केवल मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर नौकरी

दफ्तरों में कराये गये पंजीयन को नहीं मानता; और

(ख) क्या सरकार की नीति कार्यालयों के लिये केवल स्थानीय व्यक्तियों को ही लेने की है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलों में श्रेणी ३ के समस्त पदों पर सीधी नियुक्तियां रेलवे सेवा आयोगों द्वारा की जाती हैं। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र या 'डिवीजन' में उपयुक्त उम्मेदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, तो सेवा आयोग अन्य क्षेत्रों अथवा डिवीज़नों से उम्मेदवारों की इंटरव्यू और परीक्षा ले सकता है। श्रेणी ४ के पदों पर स्थानीय रेलवे पदाधिकारियों द्वारा भर्ती की जाती है। इन पदों पर सामान्यतः स्थानीय कर्मचारी ही आकर्षित होते हैं, यद्यपि बाहर के उम्मेदवारों को अर्जी भेजने के लिये कोई रोक नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि मुज़फ्फरपुर के आर० टी० एस० कार्यालय ने छपरा तथा अन्य स्थानों के पंजीयन को, अपने यहां लेने के मामले में, अमान्य ठहराया है ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसी बात नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है, अथवा उसने पूछताछ की है कि इस प्रकार के लगभग पचास मामले हैं, जो मुझे मालूम हैं ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि जो स्थान खाली हैं, रेलवे सेवा आयोग उनका विज्ञापन करता है और स्थानों के नोटिसों की एक प्रतिलिपि वह सम्बन्धित नौकरी दफ्तरों को भेज देता है। सम्बन्धित नौकरी दफ्तर अपने उम्मेदवारों को भेजते हैं तथा उन पर अन्य उम्मेदवारों के साथ-साथ विचार किया जाता है। इसलिये यह किसी और को मान्य करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है उपयुक्त उम्मेदवार न मिलने का।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि कुछ नियुक्तियां स्थानों का विज्ञापन किये बिना ही कर ली जाती हैं और ऐसे स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों को ही रक्खा जाता है, अन्य क्षेत्रों के लोगों को नहीं लिया जाता ?

श्री शाहनवाज खां : श्रेणी ३ की कोई नियुक्तियां बिना विज्ञापन किये नहीं की जातीं। श्रेणी ४ की नियुक्तियां स्थानीय रेलवे पदाधिकारियों द्वारा बिना विज्ञापन के वहां से कर ली जाती हैं।

श्री जयपाल सिंह : छपरा तथा मुज़फ्फरपुर के नौकरी दफ्तरों से कितनी अर्जियां प्रेषित की गयी हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह सूचना इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है।

नैपाल के साथ डाक का विनिमय

*१७६३. **श्री विभूति मिश्र** : (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि नैपाली राज्यक्षेत्र में जनकपुर डाकघर से भारतीय डाक विनिमय नहीं हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह मामला नैपाल सरकार के साथ उठा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । १–४–१९५४ से डाक का विनिमय किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमदान

*१७६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने रेलवे स्टशनों पर ग्रामीणों ने श्रमदान के रूप में निर्माण कार्य किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के राजो मजरा तथा कौलसेरी नामक रेलवे स्टेशनों पर ग्रामीणों ने प्लेटफार्म बनाये हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कीं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन संस्थाओं को सुविधाएं देने का है जो स्वेच्छा से रेलवे प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय बनाने के लिये तैयार हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ९ स्टेशनों पर श्रमदान के भाग के रूप में ग्रामीणों द्वारा प्लेटफार्मों के लिये मिट्टी डालने तथा कच्ची झोपड़ियां बनाने का काम पूरा किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कार्य करने के लिये आवश्यक निदेश देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।

(घ) ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्काल व्यवहृत किये जायेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि कौन सी रेलवे ज़ोन में सबसे अधिक श्रमदान का काम हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जहां तक मुझे इल्म है, नार्दन रेलवे में सबसे ज़्यादा काम हुआ है ।

रेडियो लाइसेंस

*१७६६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १४ जनवरी, १९५४ तक कितने रेडिओ सेटों के लाइसेंस पुनर्नवीकृत किये गये हैं; और

(ख) इससे पहले वर्ष की संख्या से इनकी तुलना ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ६,१६,११६ ।

(ख)

वर्ष	पहले के वर्ष के दिसम्बर के अंत तक पुनर्नवीकृत लाइसेंसों की कुल संख्या	१४ जनवरी तक पुनर्नवीकृत किये गये लाइसेंसों की संख्या	१४ जनवरी के अंत तक वीकृत किये गये लाइसेंसों का प्रतिशत
१९५३	७,२०,०४७	४,२५,०४०	५९·०%
१९५४	७,६३,८९९	६,१६,११६	८०.६%

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि लांइसेंसदारों की इच्छा के अनुसार, लाइसेंस फीस कम करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में लाइसेंस फीस की राशि वित्त और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के परामर्श से तय की जाती है—अगुआई तथा निर्माण दोनों उनके हाथ में हैं ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि लाइसेंस न लेने वालों की जांच करने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री राज बहादुर : नवीन प्रणाली के अंतर्गत, लाइसेंस १४ जनवरी तक पुनर्नवीकृत करा लिये जाने चाहिये और उसके बाद मार्च के अंत तक हम जुर्माना लेकर लाइसेंसों को पुनर्नवीकृत करा लेने की प्रतीक्षा

करते हैं । अप्रैल में हम उन लाइसेंसों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करते हैं जो कि पुनर्नवीकृत नहीं कराये गये हैं और मई में हम अपना चौर्य-विरोधी कार्य प्रारम्भ कर देते हैं।

कृषि मज़दूर

*१७६८. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के अनुसार कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर कृषि मज़दूरों को बसाने की योजना बनाने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो यह किन किन राज्यों में लागू की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार ने भूमिहीन मजदूरों के १,००० परिवारों को भोपाल राज्य में सुलतानपुर में यन्त्रित फार्म पर पुनः बसाने की योजना अपने हाथ में ली है। राज्य सरकारों से भी प्रार्थना की गई है कि वे बेकार पड़ी कृषि भूमि तथा उन भूमिहीन मज़दूरों का, जो क्रमशः अपने राज्यों में पुनः बसना चाहते हैं, पर्यालोकन करने के उपरान्त यथोचित योजनायें बनायें । उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार कृषि मज़दूरों के सहकारी दलों को मकान बनाने तथा कृषि सामग्री मोल लेने के लिये राज्य सरकारों द्वारा वैत्तिक सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सहकारी कृषि के अन्तर्गत आता है । यह एक सरकारी फार्म है । पंचवर्षीय योजना में १½ करोड़ की पृथक व्यवस्था की गई है , तथा केन्द्र ने, केवल मामला आरम्भ करने की दृष्टि से भोपाल में एक फार्म खोलना अपने हाथ में ले लिया है। हमारी योजना यह है कि १,००० परिवारों को १०,००० एकड़ भुमि पर बसाया जाये । हमने भोपाल के सुलतानपुर क्षेत्र में कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि योजना में कृषि मज़दूरों को बसाने के लिये रखे गये २ करोड़ रुपयों में से कितना धन व्यय हो गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केवल विगत वर्ष के अन्त में धन स्वीकृत हुआ था । इस वर्ष हम ५० लाख रुपया व्यय करना चाहते हैं, और कुछ हम व्यय भी कर चुके हैं । लगभग २०० परिवार पुनः बसा दिये गये हैं।

श्री अच्युतन : क्या सरकार का कोई विचार मध्य भारत में, जहां भूमि कृषि योग्य बनाई जाती है, बसाने के लिये त्रावनकोर-कोचीन से किन्हीं भूमिहीन मज़दूरों को लाने का है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : में अपने उत्तर में बता चुका हूं कि हमने समस्त राज्यों से प्रार्थना की है कि वे हमें अपने अपने राज्यों में सम्भावनाओं, प्रत्येक राज्य की आवश्यकता तथा प्राप्य वेकार पड़ी भूमि सम्बन्धी योजनायें भेजें। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

*१७७०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बैंगलोर स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० की आरम्भ से कितने एबोनाइट की वार्षिक आवश्यकता रही है ;

(ख) अब तक विदेशों में बने एबोनाइट के मोल लेने पर कितना व्यय हुआ है; तथा

(ग) भारतीय निर्माणकर्ताओं से आवश्यक प्रकार का एबोनाइट प्राप्त करने के लिये यदि कोई पग उठाया गया है तो वह क्या ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादूर): (क)

१९४९	३०१	पौंड
१९५०	८२५	,,
१९५१	१,२९५	,,
१९५२	१,५१०	,,
१९५३	५,६२६	,,

(ख) १,०२,०१५ रुपये ।

(ग) देश में बने एबोनाइट के नमूनों का परीक्षण किया गया है तथा निर्माणकर्ताओं को सुझाव दिये गये हैं कि वे भारतीय टेलीफोन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी प्रकार में सुधार करें । इसके परिणामस्वरूप, आशा है कि ६,००० पौं० एबोनाइट की वार्षिक आवश्यकता में से ३०० पौंड एबोनाइट की आवश्यकता देश में बने एबोनाइट से पूर्ण हो जायेगी ।

श्री वी० पी० नायर : सरकार ने एबोनाइट के देशीय निर्माणकर्त्ताओं से किस द्वारा सम्पर्क स्थापित किया था ?

श्री राज बहादूर : ३०० पौं० एबोनाइट में से ११५ पौ० कलकत्ता के 'नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लि०' से ७५० रु० में, तथा अवशेष मात्रा बम्बई की 'वेस्टर्न इडिया मैनुफैक्चरर्स एजंसीज़ लि०' से लिया था।

श्री वी० पी० नायर: क्या इस मामले में निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से कोई परामर्श लिया गया था ?

श्री राज बहादूर: हमने यह सारा एबोनाइट देशीय निर्माणकर्ताओं से प्राप्त किया था तथा जैसा कि यह भली भांति विदित है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग एक सयुंक्त स्टाक समवाय के रूप में काम करता है।

श्री वी० पी० नायर: क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने यह जानने का कोई प्रयत्न किया है कि उनके काम के लिये आवश्यक एबोनाइट त्रावनकोर रबर वर्क्स में बनता है या नहीं ?

श्री राज बहादूर: यह सूचना कृतज्ञता पूर्ण ग्रहण की जाती है। इसके अतिरिक्त, मैं यह बता दूं कि जहां तक तक निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से परामर्श लेने . के प्रश्न का संबन्ध है, यह तनिक भी उत्पन्न नहीं होता है।

श्री मुनिस्वामी: क्या यह सच है कि इस निर्माणशाला में एक गवेषण संस्था ह, तथा यदि हां, तो इसने उद्योग की क्या सहायता की है ?

श्री राज बहादुर: उन बहुत सी कच्ची वस्तुओं, जिनकी भारतीय टेलीफोन उद्योग को आवश्यकता है, के उत्पादन की गवेषणा के संबंध में कुछ भी बताना मेरे लिये कठिन है। परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी एक कच्ची वस्तु के बारे में कोई विशेष प्रश्न करते हैं तो, मैं उत्तर दे सकूंगा।

वांइस फ्रीक्वेन्सी तार यंत्र

*१७७१. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक उत्तमतर वांइस फ्रीक्वेन्सी तार यंत्र लगाने का है ;

(ख) यदि हां तो, योजना पर कितना धन व्यय होगा ; तथा

(ग) क्या उसके लिये आवश्यक सामग्री इस देश में उपलब्ध है या इसका आयात करना होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां 'फ्रीक्वेन्सी मोडुलेटड वांइस

फ्रीक्वेन्सी' तार यंत्र, जिसका विकास युद्धोत्तर काल म हुआ था, डाक तथा तार विभाग के प्रयोग के लिये प्राप्त किये जा रहे हैं। इन का प्रयोग युद्धोत्तर विकास के अंग के रूप में तार निकालने के लिये आवश्यक अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये होगा।

(ख) योजना पर कुल २१·६८ लाख रुपये व्यय होंगे तथा यह भारतीय डाक तथा तार विभाग की प्रथम पंच-वर्षीय योजना का अंग होगी। ये यंत्र वर्तमान यंत्रों की अभिपूर्ति करेंगे तथा इनसे उस सुविधा से अधिक सुदृढ़ तथा उत्तम सेवा मिलेगी जो पुराने प्रकार के यंत्रों से मिलती है।

(ग) अभी तो यंत्रों का आयात होगा जैसा कि अधिकतर अन्य संचार यंत्रों का होता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह तार के यंत्र किस किस स्थान पर और कब लगाये जायेंगे ?

श्री राज बहादूर : यह जो नये यंत्र मंगाये जा रहे हैं वे नई दिल्ली और बम्बई के दरमियान दो सिस्टम लगाये जायेंगे और शेष नई दिल्ली-बम्बई, नई दिल्ली-कलकत्ता, बम्बई-कलकत्ता, बम्बई-मद्रास, बम्बई-अहमदाबाद, मद्रास-कोजीकोडे, कलकत्ता-इलाहाबाद, बम्बई–जोधपुर, तथा कलकत्ता-गोहाटी के दरमियान लगाये जायेंगे।

श्री भागवत झा आज़ाद: क्या मैं जान सकता हूं कि इन विशिष्ट साधनों के उपलब्ध होने पर जनता को क्या विशेष सुविधा अथवा लाभ होगा ?

श्री राज बहादुर : इससे लाभ यह होगा कि तार हम तब जल्दी से जल्दी दे सकेंगे और एक समय में एक सिस्टम के ऊपर अगर वह तीन चैनल वाला है तो चार मेसेजेज भेज सकते हैं और अगर बारह चैनल वाला है तो तेरह मेसेजेज भेजे जा सकते हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद: क्या मैं जान सकता हूं कि जिन यंत्रों के लिये आपने विदेशों में आर्डर दिया है, वे कब तक आपको उपलब्ध हो सकेंगे ?

श्री राज बहादुर: आशा की जाती है कि जिनके लिये आर्डर दिया गया हैं वे हमको इस साल के अन्त तक उपलब्ध हो जायेंगे।

बरबिल डाक घर पर छापा

*१७७२. **श्री संगण्णा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सच है कि चार सशस्त्र व्यक्तियों ने बरबिल डाक घर (उड़ीसा) पर १७ दिसम्बर १९५३ को छापा मारा था तथा २,००० रु० लेकर भाग गये थे; तथा

(ख) यदि i, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां। लुटेरों ने डाकघर के केश बक्स से २,१८० रु० ८ आने ६ पाई निकाले थे। बक्स की ताली सब-पोस्टमास्टर से पिस्तौल के जोर पर ली गई थी।

(ख) मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी तथा अभी इसकी जांच हो रही है। डाकघर अधिक सुरक्षित स्थान पर बदल दिया गया है।

श्री संगण्णा: धन किसी व्यक्ति का था या सरकारी था ?

श्री राज बहादुर : जब रुपया सरकारी डाक घर में आता है तो वह सरकारी रुपया हो जाता है।

जूट मिलों में छंटनी

*१७७३. **श्री रामानन्द दास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में पश्चिम बंगाल की जूट मिलों से छंटनी किये गये या काम से हटाये गये श्रमिकों की कुल संख्या तथा

(ख) इसी अवधि में इन मिलों से छंटनी किये गये १००० रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की कुल संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री रामानन्द दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जानकारी एकत्रित करने में सरकार कितना समय लेगी ?

श्री वी० वी० गिरि : यथासंभव न्यूनतम ।

श्री रामानन्द दास : क्या मैं इस छंटनी के कारण जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

इन्दौर विमान-क्षेत्र

*१७७४. **श्री एन० एल० जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि क्या सरकार इन्दौर के विमान-क्षेत्र को नियमित विमान सेवा के लिये फिर से काम में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : भारतीय वायु मार्ग निगम पूरक मार्गों के लिये उपयुक्त विमान उपलब्ध हो जाने के बाद इन्दौर के लिये पूरक सेवा आरम्भ करने का विचार रखता है।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सेवा कब से बन्द कर दी गई है और क्यों ?

श्री राज बहादुर : क्यों कि यह लाभप्रद नहीं थी अथवा अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या यह सच है कि इन्दौर से बम्बई आने जाने वाले यात्रियों से जो आय होती थी वह विमान सेवा के व्यय के लिये पर्याप्त थी ?

श्री राज बहादुर : वह पर्याप्त नहीं थी ?

रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता

*१७७५. **श्री के० के० बस :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता, ने जनवरी, १९५२ में आसाम रेलवे के लिये प्रशिक्षार्थी मिस्त्रियों, टिकट कलेक्टरों तथा सिग्नलरों के पदों के लिये विज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या आयोग ने मई १९५२ में गौहाटी में उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा ली थी ; तथा

(ग) क्या तब से उनमें से किसी को नियुक्त किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां।

(ख) हां ।

(ग) रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता द्वारा चुने गये उम्मीदवारों, नियुक्ति के प्रस्ताव पाने वाले उम्मीदवारों तथा उत्तर-

पूर्वी रेलवे में भर्ती हुए उम्मीदवारों की संख्या बताने वाला विवरण सटन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या १४**]

श्री के० के० बसु : क्या हम उन उम्मीदवारों की संख्या जान सकते हैं जो रेलवे लोक सेवा आयोग द्वारा गौहाटी में मौखिक परीक्षा के लिये बुलाये गये लोगों में से चुन लिये गये थे ?

श्री शाहनवाज़ खां : चुने गये उम्मीदवारों की संख्या विवरण में दी गई है। सिग्नलर्स ३२, टिकट कलेक्टर्स ४२, ...

अध्यक्ष महोदय : वे गौहाटी में मौखिक परीक्षा के लिये बुलाय गये तथा उनमें से चुन लिये गये उम्मीदवारों की संख्या जानना चाहते हैं। क्या आपके पास यह जानकारी उपलब्ध है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास उन लोगों की संख्या नहीं है जो मौखिक परीक्षा के लिये उपस्थित रहे। चुने गये उम्मीदवारों की संख्या मैं बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह नहीं चाहिये। वे तो गौहाटी में मौखिक परीक्षा के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों में से चुने गये उम्मीदवारों की संख्या जानना चाहते हैं।

श्री शाहनवाज़ खां : चुने गये उम्मीदवार उन्हीं में से हैं जो गौहाटी में मौखिक परीक्षा के लिये उपस्थित हुए थे। सारे गौहाटी होकर ही आये हैं।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था

***१७७६. श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में भूमि के सुधार से हुई आय तथा केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था के बनाये रखने पर हुए व्यय की क्रमशः राशियां कितनी हैं ; तथा

(ख) देश में कितने केन्द्र हैं तथा वहां पर कितने ट्रेक्टर रखे गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) वसूली तथा व्यय की अनुमानित राशियां क्रमशः २,३४,००,००० रुपये तथा २,४७,५०,००० रुपये हैं। वास्तविक आंकड़े लेखों के अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के बाद ही मिल सकेंगे।

(ख) कुल दस केन्द्र हैं जिसमें १८ एकक हैं तथा २७० ट्रेक्टर सेवायुक्त हैं।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने एकड़ नई भूमि ट्रेक्टरों से तोड़ी गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : तीन साल में नौ लाख एकड़।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था द्वारा कृषि योग्य बनाये गये सभी क्षेत्रों में तब से निरन्तर खेती होती रही है अथवा उनका कोई भाग फिर बंजर हो गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम इन ज़मीनों में राज्य सरकार की ओर से हल चलाते हैं। हमें इस कार्य को सौंपने वाली राज्य सरकार का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि उस ज़मीन में तत्काल या आगामी ऋतु में खेती कराने की व्यवस्था की जाती है। हम उन्हें इन ज़मीनों के फिर से बंजर न होने देने के बारे में प्रायः लिखते रहते हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कई एक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था द्वारा वसूल की जा रही दरों के बारे में शिकायत की है, तथा यदि ऐसा है, तो कितनी सरकारों ने इस कारण से आपत्ति की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वस्तुतः सभी राज्य सरकारों ने इस बारे में आपत्ति की है कि केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था द्वारा वसूल की जा रही दरें उनके लिये मंहगी हैं ; परन्तु हमारे दृष्टिकोण से एक समिति ने सुझाव दिया था कि जब तक दरें न बढ़ाई जायेंगी, केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था मितव्ययता से काम नहीं कर सकती हैं। अतः हमें ३ रुपये प्रति एकड़ दर को बढ़ाना पड़ा है।

श्री बालकृष्णन : मद्रास राज्य में कितने केन्द्र खोले गये हैं तथा उनमें कितने ट्रेक्टर रखे गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ने इन केन्द्रों को सर्वप्रथम इन चार राज्यों में खोला था। अब हम ने मद्रास, हैदराबाद तथा मैसूर सरकारों को लिखा है और उन्हें अपनी दरों से सूचित किया है। साथही एसे एककों के चलाने की अवस्था में उन्हें जिन दूसरी शर्तों को पूरा करना होगा, उनकी सूचना भी हमनें उन्हें दे दी है। हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री रामानन्द दास : क्या कृषि योग्य बनाई गई ज़मीन भूमिहीन लोगों को दी गई थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सामान्यत : यह भूमि भूमिहीन शरणार्थियों तथा ऐसे ही दूसरे लोगों के लिये है।

डा० रमा राव : हैदराबाद के क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसकी सिंचाई तुंगभद्रा बांध से होगी, स्थिति यह है कि यद्यपि बांध पूरा हो चुका है, तो भी भूमि की सिंचाई नहीं हो रही है क्योंकि वे केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा ली जाने वाली अधिक दरों को नहीं दे सकता है। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पिछली जुलाई में मैं स्वयं उस क्षेत्र में गया था, तथा मैं ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हमने आन्ध्र राज्य सरकार को भी लिखा है और वह हम से पत्र-व्यवहार कर रही है। हम उन्हें केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था द्वारा सहायता देने तथा आन्ध्र राज्य के क्षेत्र में १ १/२ लाख एकड़ भूमि को कृषियोग्य बनाने की आशा करते हैं।

पोषण गवेषणा प्रयोगशालायें

*१७७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगी :

(क) क्या पोषण गवेषणा प्रयोगशाला के लिये हैदराबाद नगर में एक भवन बनाने का निश्चय सरकार नें किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार भवन निर्माण का यह कार्य कब प्रारम्भ करेगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) पोषण गवेषणा प्रयोगशालाओं का स्थानान्तरण हैदराबाद को किया जा रहा है। क्या इसके लिये कोई नया भवन बनाना होगा अथवा वहां की किसी इमारत से ही काम चल जायेगा इस बात की जांच की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस प्रयोग-शाला को इस समय किसी भवन में अस्थायी तौर पर रखा जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जैसा कि प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया कि यह अभी तक विचाराधीन है।

सदाचरण वेतन

*१७७८. **श्रीमती मायदेव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९४३ से १९४६ के अंत तक डाक विभाग के पदाधिकारियों को जो सदाचरण वेतन दिया गया था, उसे

असाधारण निवृति-वेतन निश्चित करने के लिये वेतन में सम्मिलित किया गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो यह रियायत दूसरे निवृत्ति-वेतन पाने वालों को क्यों नहीं दी गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). १ फरवरी, १९४७ से पहले सदाचरण वेतन 'वेतन' ही माना जाता था और असाधारण निवृत्ति-वेतन नियमों में 'वेतन' की जो परिभाषा की गई है उसके अनुसार असाधारण निवृत्ति-वेतन निश्चित करने के लिये इस सदाचरण वेतन को कर्मचारियों को मिलने वाली धन राशि में सम्मिलित करने की आज्ञा थी। अन्य प्रकार के निवृत्ति - वेतनों के देने के जो नियम हैं वे इनसे भिन्न हैं और इन नियमों के अनुसार अन्य प्रकार के निवृत्ति-वेतनों को निश्चित करने के लिये सदाचरण वेतन कर्मचारियों को मिलने वाली धनराशि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

'मजदूर जगत'

***१७७९. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 'मज़दूर जगत' नामक हिन्दी की मासिक पत्रिका का प्रकाशन बंद किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां।

(ख) पत्रिका का प्रसार बहुत कम था, और उसको आगे और चलाना अलाभकारी था।

डा० राम सुभग सिंह : क्या 'मज़दूर जगत' के अतिरिक्त श्रम मंत्रालय द्वारा कोई और पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है ?

श्री वी० वी० गिरि : 'लेबर गज़ट' प्रकाशित होता है। 'मज़दूर जगत' तो इस समय बंद कर दिया गया है किन्तु हम यह विचार कर रहे हैं कि हिन्दी में कोई और चीज़ प्रकाशित की जाय ताकि हम श्रम सम्बन्धी मामलों की कुछ जानकारी प्रसारित कर सकें।

डा० राम सुभग सिंह : इन दोनों पत्रों के प्रसार सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : 'लेबर गज़ट' तो एक सुविख्यात पत्रिका है, जिसका प्रकाशन पिछले कई वर्षों से हो रहा है और जो संख्याकी इत्यादि सम्बन्धी प्रमाणित जानकारी देता है। इसकी खपत कितनी है यह तो मैं ठीक ठीक बता नहीं सकता किन्तु यह एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसकी आवश्यकता देश के प्रत्येक व्यक्ति को होती है।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्रालय द्वार प्रकाशित इन दोनों पत्रिकाओं में से प्रत्येक पत्रिका की खपत कितनी कितनी है, और दोनों पत्रिकाओं की खपत बराबर बराबर करना क्या मंत्रालय के हाथ की बात नहीं थी ?

श्री वी० वी० गिरि : इस प्रश्न की जांच हम विस्तृत रूप से कर रहे हैं।

श्री के० के० बसु : क्या 'लेबर गज़ट' संगठित ट्रेड यूनियन अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को निःशुल्क दिया जा रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि : नहीं।

मनीपुर में सड़क निर्माण

***१७८१. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि मनीपुर में महादेव स्थान पर

लिटन रोड को मिलाने वाली ३५ मील लंबी सड़क स्थानीय आदिम जातीय व्यक्तियों ने बनाई है ;

(ख) क्या उसके लिये स्थानीय आदिम जातीय व्यक्तियों ने सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। पहले की एक पगडंडी को, जो चौड़ाई में पहले ८ फुट थी, अब बढ़ा कर ३० मील तक की लम्बाई में १६ फुट चौड़ा कर दिया है।

(ख) जी हां ।

(ग) मनीपुर सरकार ने १,००० रुपया प्रति मील के हिसाब से कुल ३०,००० रुपया स्वीकृत कर दिया है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या माननीय मंत्री जी के मनीपुर के दौरे के समय इस मामले की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा मामला ?

श्री रिशांग किशिंग : कुछ दिन हुए माननीय मंत्री ने मनीपुर का दौरा किया था। उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां के ग्रामनिवासी उनके पास आये थे और उन्हों ने अपने मामले पर विचार करने के लिये अभ्यावेदन किया था ?

श्री अलगेशन : मुझे बहुत से अभ्यावेदन मिले थे किन्तु मुझे याद नहीं पड़ता कि इसके बारे में भी कोई अभ्यावेदन था। माननीय सदस्य भी वहां थे ।

शुष्क कृषि प्रणाली

*१७८२. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ मार्च, १९५४ को पूछे गये तरांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र के कितने स्थानों पर शुष्क कृषि प्रणालियों पर प्रयोग किये जा रहे हैं ; तथा

(ख) इन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णाप्पा) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध मे भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

फौरेस्ट रेन्जर्स कालेज, देहरादून

*१७८३. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय वन गवेषणा संस्था तथा रेन्जर्स कालेज दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक की देखभाल के लिये अलग अलग कर्मचारी हैं ; तथा

(ख) क्या जैसा कि प्राक्कलन समिति के १९५३-५४ के छटे प्रतिवेदन के पैरा ३० में सिफारिश की गई है कि इन दोनों को मिला दिया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) (क) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इंडियन फौरेस्ट कालिज की ओर निर्देश कर रहे हैं न कि वन गवेषणा संस्था की ओर । देहरादून के इंडियन फोरेस्ट कालिज तथा रेन्जर्स कालिज दो अलग अलग इकाइयों के रूप में काम कर रहे हैं और उनके यहां शिक्षक भी अलग अलग हैं किन्तु देख रेख करने वाले कर्मचारी एक ही हैं ।

(ख) नहीं

बम्बई बन्दरगाह पर नैमित्तिक मज़दूर रखने की पद्धति का अंत करना

*१७८५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह में रंग रोगन आदि करने के लिये नियुक्त कर्मचारियों के नैमित्तिक रूप से रखे जाने की पद्धति का अंत करने के लिये नियम बनाने वाली एक समिति की नियुक्ति करने का प्रश्न विचाराधीन है ; तथा

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थिति में है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १५]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: विवरण में बताया है कि ३० मई, १९५३ को मालिकों तथा कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनसार मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच के झगड़ों को तै करने के लिये एक स्थायी समिति होनी चाहिये । क्या स्थायी समिति की नियुक्ति अब हो गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : एक समझौता हुआ है और उस समझौते पर अमल किया जा रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या श्रम संघ ने अभी हाल में शिकायत की है कि समझौते को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक नई समिति इस मामले की जांच करे ।

श्री वी० वी० गिरि : जहां तक मुझे ध्यान है अभी तक ऐसी शिकायत नहीं की गई है ।

कलकत्ता एक्सचेन्ज का स्वचालित किया जाना

*२७८६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ते में स्वचालित टेलीफ़ोन प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार ने कितनी इमारतें बनवाई हैं; तथा

(ख) अब तक उनके बनवाने पर कुल कितनी धन राशि व्यय हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८ इमारतें पूरी हो गई हैं १ बन रही है ।

(ख) लगभग २७० लाख रुपया ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में यह बिल्डिंग का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राज बहादुर : मैंने आपसे निवेदन किया कि सात आठ इमारतें तो पूरी बन चुकी हैं और एक पर लगभग ५० पर सेंट काम हो चुका है और चार के लिये हमने लैंड एक्वायर करली है और शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इमारतें पूरी हो चुकी हैं उनकी ज़मीन के लिये गवर्नमेंट को कितना दाम देना पड़ा और वह दाम किसको दिया गया, बंगाल गवर्नमेंट को या किसी और गवर्नमेंट को ?

श्री राज बहादुर : जितनी ज़मीनें हमने ली हैं वे सब बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ली हैं और कुल ज़मीनों के लिये हमको ९२,३६,००० रुपया देना पड़ा है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई निजी ज़मीन थी जिससे सस्ते में काम चल सकता था ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं है, और यह एक्सपर्टस की ओपीनियन के ऊपर होता है क्योंकि हमें केबिल लगाने पड़ते हैं और यह देखना पड़ता है कि उनका फोकस कहां किस स्थान पर आता है ।

गौहाटी तथा पांडू के लोको वर्कशाप

*१७८७. **श्री के० वी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गोहाटी तथा पांडू के लोको वर्कशापों को बंद करने का विचार किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

'भारत बाला' जहाज़

*१७८८. **श्री रघुरामय्या** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'भारत बाला' जहाज़ ३१ मार्च, १९५४ को भावनगर के निकट पृथ्वीतल से लग गया था ;

(ख) यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई थी ; तथा

(ग) जन तथा धन की कितनी क्षति हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । १ अप्रैल, १९५४ को .०३ बजे अलबर्ट विक्टर पत्तन के पास यह भारत बाला जहाज़ पृथ्वीतल से लग गया था ।

(ख) अभी तक ज्ञात नहीं है, किन्तु भारतीय व्यापार नौवहन अधिनियम, १९२३ की धारा २४७ के अधीन इस दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच की जा रही है ।

(ग) जन की कोई हानि नहीं हुई है । जहाज़ अथवा सम्पत्ति की हानि कितनी हुई इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है ।

राजस्थान का मरूस्थल

*१७८९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वनीकरण द्वारा मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिये १९५३ में राजस्थान के मरुस्थल में विमानों से बीज बोये जाने का क्या परिणाम हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : राजस्थान सरकार ने जिसने कि यह परीक्षण किया था, यह सूचित किया है कि अक्टूबर, १९५३ के अन्त में किये गये विस्तृत पर्यालोकन से यह ज्ञात हुआ है कि ६७१५ पौधे उग आये हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : इस परीक्षण पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने उन्हें कोई धन नहीं दिया है । यह पूर्णतया राज्य सरकार का कार्य है । वास्तव में हमारा वन महानिरीक्षक इस प्रस्ताव के विरुद्ध था और हमें तो केवल इतना ही ज्ञात है कि उन्होंने लगभग २२० मन बीज बोये थे ।

श्री झूलन सिन्हा : जो २२० मन बीज बोये गये थे उस में से कितने पौधे उगें हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : २२० मन बीज में से ६७१५ पौधे उगे हैं ।

टेलीफोन संचार

*१७९०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने सब-डिवीज़नल प्रधान केन्द्रों में टेलीफ़ोन सम्बन्ध नहीं हैं ;

(ख) कितने थाना प्रधान केन्द्र तार की लाइन से सम्बन्ध नहीं हैं ; तथा

(ग) १९५४-५५ में कितने सब-डिवीज़नल प्रधान केन्द्रों और थाना प्रधान केन्द्रों में क्रमशः टेलीफोन और तार की लाइन का सम्बन्ध स्थापित करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) २५४ ।

(ख) बिना तहसील वाले राज्यों में ६३६ ।

(ग) सब-डिवीज़नल केन्द्रों में सार्वजनिक टेलीफ़ोन कार्यालय लगभग ५० । थाना केन्द्रों में तार-घर लगभग ६० ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या योजना की शेष अवधि में सभी सब-डिवीज़नल प्रधान केन्द्रों तथा थाना प्रधान केन्द्रों को टेलीफोन और तार से मिला दिया जायेगा ।

श्री राज बहादुर : पहले उन्हें तार से मिलाने का हमारा विचार है; टेलीफ़ोन से मिलाना बहुत कठिन है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सारन जिले के गड़खा थाने को अगले वर्ष तार से मिला दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : कुल ६०० या ७०० थानों में से विशेष रूप से किसी एक के विषय में जान कारी देना मेरे लिये सरल नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या थानों के आस-पास तार-घर खोलने के लिये सरकार राज्य सरकारों पर निर्भर करती है ?

श्री राज बहादुर : कुछ मामलों में जहां प्रस्तावित तार-घरों से लाभ होना प्रतीत नहीं होता है, हम कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रत्याभूति चाहते हैं और राज्य सरकार जब प्रत्याभूति दे देती है, तो काम आरम्भ कर दिया जाता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या टेलीफ़ोन संचार सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिये कोई समिति है, और यदि है, तो इस समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री राज बहादुर : हमने क्षेत्रवार डाक तथा तार सलाहकार समितियां बनाई हुई हैं ।

बांझ गायें

*१७९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बांझ गायों के न्यासर्ग उपचार के द्वारा दूध लेने के प्रयोगों का क्या अन्तिम परिणाम निकला है ;

(ख) ये प्रयोग किन किन संस्थाओं में किये गये थे ;

(ग) क्या बांझ गायों पर और किसी प्रकार से प्रयोग किये गये थे ; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या, और उन का क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत तथा विदेशों में किये गये प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि न्यासर्ग उपचार के द्वारा, विशेषतया उत्तेजनाजनक पदार्थों को शरीर में भेज कर या उन के इन्जैक्शन लगा कर बांझ गायों तथा बिन-ब्याही भैंसों से दूध प्राप्त करना सम्भव है ।

(ख) १. इलाहाबाद कृषि संस्था

२. एक्सप्रेस डेयरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (भारतीय कृषि गवेषणा परिषद के धन से चलने वाली एक योजना के अन्तर्गत कार्य करते हुए पशुचिकित्सा अनुसन्धान पदाधिकारी पश्चिमी बंगाल द्वारा आरम्भ किया गया कार्य)

३. भारतीय पशुचिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जत नगर।

(ग) दोहन के लिये और कोई नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री एस० सी० सामन्त : कलकत्ता और इलाहाबाद में क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सिद्ध हो चुका है कि इन गायों में इन तरीकों से दोहन सम्भव है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह कार्य आगे किया जा रहा है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह जारी है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या यह ढंग आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह इस अर्थ में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है कि यह उपचार न करने पर जो पशु बिल्कुल बांझ रहते हैं उन से इस प्रकार से दूध निकाला जा सकता है।

श्री वी० पी० नायर: किस न्यासर्ग का प्रयोग किया जाता है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैंने बताया था कि उत्तेजनाजनक पदार्थों का ।

भारतीय चाय के लिये भारतीय पोत

* १७९२. **श्री रामानन्द दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि विदेशों को निर्यात की जाने वाली अधिकांश, भारतीय चाय विदेशी पोतों द्वारा ले जायी जाती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात के लिये क्या पग उठा रही है कि विदेशों को भारतीय चाय ले जाने के लिये भारतीय भारवाहक पोतों को भी काम में लाया जाये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी हां । भारतीय नौवहन समवायों को भी अपनी यात्राओं की संख्या के अनुपात से थोड़ा बहुत भाग मिल रहा है । भारतीय समवायों को अपने उचित भाग के अनुसार चाय के लदान ले जाने के लिये सभी सम्भव सहायता दी जाती है।

श्री रामानन्द दास : क्या सरकार भारतीय नौवहन समवायों द्वारा इन वस्तुओं के ले जाये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अलगेशन : भारती नौ वहन समवाय अपनी यात्राओं की प्रतिशतता के अनुपात से पहले ही इन वस्तुओं को ले जा रहे हैं ।

श्री जोकीम आल्वा: क्या सरकार को यह विदित है कि हमारे पास कुछ 'लिबर्टी' पोत हैं और अमेरिकन पोत निर्माताओं ने उन की चाल और बनावट के सम्बन्ध में उनका नवीकरण कर देने का प्रस्ताव किया है? यह नवीकरण करवाने के लिये क्या सरकार पोत स्वामियों को कुछ अगाऊ धन दे रही है?

श्री अलगेशन : सदन को यह विदित है कि तटीय तथा समुद्र पार व्यापार में लगे हुए नौवहन समवायों को ऋण दिये जाते हैं।

उडीसा के छोटे पत्तन

* १७९३. **श्री संगण्णा** : क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३ में उडीसा राज्य को छोटे पत्तनों को सुधारने के लिये कितनी धन राशि अनुदान या ऋण के रूप में दी गई है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री श्री अलगेशन) : २०,००० रुपये।

श्री संगण्णा : सरकार ने इस विकास के लिये कुल कितनी धन राशि मंजूर की है ?

श्री अलगेशन : कुल राशि ४ लाख रुपये हैं ; इन कार्यों को करना उड़ीसा राज्य सरकार का काम है। उसने वस्तुतः केवल परिमाप ही किया है और उस पर २०,००० रुपये व्यय आया है।

श्री संगण्णा : उडीसा सरकार ने जिन विभिन्न पत्तनों के विकास की सिफारिश की है उन के नाम क्या हैं ?

श्री अलगेशन : उस ने चांदबली के पत्तन में विभिन्न निर्माण कार्यों की सिफारिश की है ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या सरकार का विचार कारोमण्डल तटवर्ती पत्तनों पर भी विकास कार्य आरम्भ करने का है ?

श्री अलगेशन : इस योजना में विभिन्न राज्यों के बहुत से छोटे पत्तन सम्मिलित हैं ।

ट्रैक्टर

*१७९४. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुराने ट्रेक्टरों को नीलामी द्वारा या सीधे बिक्री द्वारा बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी राशि वसूल हुई है ; तथा

(ग) सरकार ने नये ट्रेक्टर खरीदने के लिये कौन-सा मेक (मार्का) पसन्द किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन नें कुछ फालतू ट्रैक्टर सीधे राज्य सरकारों इत्यादि को बेचे थे । संगठन ने नीलामी करके कोई ट्रैक्टर नहीं बेचा है । अब यह संगठन केवल अपनी फालतू चीज़ों के सम्बन्ध में सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक को बता देता है । सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक पहले माल की मांग करने वाले अन्य सरकारी विभागों इत्यादि को या टेंडर मांग कर अथवा सार्वजनिक नीलामी द्वारा इन मशीनों को बेच देता है ।

(ख) ६५ ट्रैक्टर बेचे गये हैं और उन से ९,९५,८५० रुपये प्राप्त हुये हैं ।

(ग) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा इस समय गहरा हल चलाने के लिये निम्नलिखित अमेरिकन मेक (मार्का) के ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है ;

केटरपिलर, इन्टर-नेशनल हार्वेस्टर आलिवर क्लीट्रैक और एलिस-चामर्स ।

श्री आर० एन० सिंह : इन ट्रैक्टरों की पहले कीमत क्या थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे इनका ठीक ठीक मूल्य ज्ञात नहीं है, किन्तु यह एक महायुद्ध के तुरन्त पश्चात् उत्सर्जन से खरीदा गया था ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इन में से कुछ ट्रैक्टर इसलिये बेचे गये कि उन के स्पेयर पार्टस यानी अतिरिक्त हिस्से प्राप्त नहीं थे और क्या उनके मंगाने की कोई कोशिश की गई ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : स्पेयर पार्टस सप्लाई करने के वास्ते इस देश में बहुत से कंसर्नस हैं ।

श्री के० के० बसु : यद्यपि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन अभी हाल ही में बनाया गया था किन्तु लगभग ६५ ट्रैक्टरों को फालतू घोषित करने का क्या कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये ६५ ट्रैक्टर तीन वर्षों में फालतू घोषित किये गये हैं, क्यों कि ये बिल्कुल बेकार पाये गये थे । यह उन पक्षों या सम्बद्ध राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे उन्हें ले कर उन की मरम्मत करें और उन का प्रयोग करें।

नागरिक उड्डयन विभाग

*१७९५. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नागरिक उड्डयन विभाग के प्रथम द्वितिय तथा तृतीय श्रेणी के अफसरों के परिवारों को निशुल्क डाक्टरी सहायता दी जाती है परन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के परिवारों को यही सुविधा नहीं दी जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : अभी हाल में कुछ समय पहले तक ऐसा ही था । परन्तु १ अप्रेल, १९५४ से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के परिवारों को भी डाक्टरी सहायता की वही सुविधायें उपलब्ध हैं जो अन्य प्रकार के सरकारी नौकरों के परिवारों को प्राप्त हैं।

श्री वी० पी० नायर : १ अप्रैल, १९५४ से ही ऐसा क्यों किया गया ? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निशुल्क उपचार की सुविधा क्यों नहीं दी गई जब कि उनको निशुल्क उपचार की अधिक आवश्यकता थी ?

श्री राज बहादुर: पहले भाग का उत्तर है कि इसका कारण यह है कि वित्तीय वर्ष उसी तारीख से आरम्भ होता है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बंध है मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सारे प्रश्न पर विचार करने में कुछ समय लगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह सच है कि डाक्टरी व्यय की पूर्ति केवल उसी दशा में की जा सकती है जब कि उपचार अस्पताल के आउटं डोर विभाग में कराया गया हो ? उन तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये, जिनको ऐसे दूरस्थ स्थानों में रहना पड़ता है जहां अस्पताल नहीं हैं क्या डाक्टरों से उपचार कराने की अनुमति दी जाती है और क्या उन के बिल के प्रस्तुत किये जाने पर व्यय किये गये धन की पूर्ति की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : कर्मचारियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए केंद्रीय सरकार तथा तत्स्थानी राज्य सरकारों द्वरा इस कार्य के लिये कुछ अस्पतालों को मान्यता दी गई है। आशा की जाती है कि अफ़सर तथा कर्मचारी इन्हीं विशेष अस्पतालों से लाभ उठायेंगे ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

*१७९६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वार नियुक्त की गई लेखा तथा वित्त समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां तो उसकी सिफ़ारिशें क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां।

(ख) मैं समिति की प्रधान सिफ़ारिशों का एक संक्षिप्त उलेख सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये** परिशिष्ट ८ अनुबंध संख्या १६]

श्री भागवत झा आजाद: मैं जान सकता हूं कि उनमें से कितनी सिफ़ारिशें मान ली गयी हैं और किन किन को व्यवहार में लाया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : इतना सरल नहीं है इन पर एक साथ अमल करना, ये वि-

चाराधीन हैं और जैसे जैसे संभव होगा उनको अमल में लाया जायगा।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जान सकता हूं कि यह रिपोर्ट कब सबमिट की गई और उस पर अब तक क्यों विचार नहीं किया है ?

श्री राज बहादुर : यह नेशनलाइज़ेशन पहली अगस्त को हुआ था, कमेटी आठ तारीख को बनी थी और रिकमंडेशनस को दिये हुए उसको ज्यादा से ज्यादा एक या दो महीने का अर्सा हुआ है। १० फ़रवरी, १९५४ को उसने अपनी रिपोर्ट दी है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार इस समिति की सिफ़ारिशों पर विचार कर रही है तथा सरकार द्वारा सिफ़ारिशों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा उनके स्वीकार करने का कब तक विचार है ?

श्री राज बहादुर : वर्तमान सिफ़ारिशें तो अन्तरिम सिफ़ारिशों के रूप में हैं। अन्तिम सिफ़ारिशों की राह देखी जा रही है।

मनीपुर के डाकखानें तथा तार घर

*१७९७. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **संचार** उपमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में डाकखानों तथा तारघरों की वर्तमान संख्या ;

(ख) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या ;

(ग) उनमें से कितनों के लिये मकानों का प्रबंध किया गया है ; तथा

(घ) क्या सरकार ने मनीपुर के डाकखनों तथा तार घरों के विस्तार तथा उन्नति की कोई योजना बनाई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २८-२-५४ को मनीपुर राज्य में ५५ डाकखाने थे जिन में एक डाक तथा तार का मिश्रित कार्यालय था।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या १७]

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी ज़ायेगी।

(घ) हां।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार की नीति यह है कि इस विभाग में पहाड़ी लोग रखे जांय, यदि हां, तो अब तक कितने पहाड़ी रखे गये हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं यह तो नहीं बता सकूंगा कि ऐसे पहाड़ियों कि संख्या कितनी है जो डाक तथा तार विभाग में रखे गये हैं। फिर भी हमारी हार्दिक इच्छा तथा प्रयत्न यही होता है कि अधिक से अधिक संख्या में पहाड़ी लोग भर्ती किये जायें।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को स्थानिय कर्मचारियों का कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थना की गई हो कि मेज़ कुर्सी इत्यादि तथा उपकरण का परिमाप बढ़ाया जाय तथा कर्मचारियों के लिये मकानों का प्रबंध किया जाये, यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज बहादुर: तत्स्थानी यूनियनों से ऐसे अभ्यावेदन हमारे पास ज़ब तब आया करते हैं। हम अपनी आय स्रोतों की सीमा के अन्तर्गत इन मांगों को पूरा करने का अधिकतम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या भारत सरकार मनीपुर में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर: हमारी नीति यह है कि हम क्वार्टर बनाने के ऐसे कार्यक्रम बड़े बड़े नगरों में आरम्भ करते हैं। परन्तु छोटे छोटे स्थानों में, जहां डाकखाने का कार्य करने के लिये केवल विभागतिरिक्त एजेण्टों को रखा जाता है, हम साधारणतः ऐसे क्वार्टर नहीं बनाते हैं।

दिल्ली सुधार प्रन्यास

*१७९९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली सुधार प्रन्यास ने कितनी भूमि का सुधार किया : तथा

(ख) इस कार्य पर कितनी धन राशि व्यय की गई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ११·३२ एकड़ ।

(ख) १७·५० लाख रुपया।

श्री नवल प्रभाकर: उन में कितने पलाट्स बनाकर बेचे गये और कितनी भूमि शरणार्थियों को दी गयी ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : २,२५० एकड़ भूमि से अधिक, जिसमें १७४ एकड़ सुधार की हुई भूमि भी सम्मिलित है जो १९५१-५२ में शरणार्थियों को दी गयी।

रेलगाड़ी में विस्फोट

*१८००. **श्री रघुरामय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) ३१ मार्च, १९५४ की रात को ८ बजकर ३३ मिनट पर जगत बेला स्टेशन पर कटिहार-कानपुर एक्सप्रेस की जो दुर्घटना हो गई थी तथा जिसके बारे में सरकार ने सदन में १ अप्रैल, १९५४ को एक वक्तव्य दिया था, क्या उस सम्बंध में सारे तथ्य उपलब्ध हो गये हैं; तथा

(ख) यदि हां तो दुर्घटना के कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). लखनऊ के सरकारी रेलवे निरीक्षक ने ६ अप्रैल, १९५४ को इस दुर्घटना की जांच आरंभ की थी। अभी उसकी केवल प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। दुर्घटना के कारण के संबन्ध में उसकी अस्थायी खोज यह है कि इस दुर्घटना का कारण उन विस्फोटक पदार्थों का धड़ाका था जिसको पुलिस कानिस्टबिल गाडी के एक डिब्बे में लिये जा रहे थे।

श्री रघुरामय्या : ऐसा कहा जाता है कि इस लाइन पर गोला बारूद अकसर ले जाया जाता है। इस को ध्यान में रखते हुए, सरकार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : एक सरकारी जांच हो रही है। गोरखपुर का जिलाधीश जांच कर रहा है। विस्फोटक पदार्थों का सरकारी निरीक्षक भी जांच कर रहा है। इन जांचों के पूरा हो जाने पर हम पूरी तरह से जवाब दे सकेंगे।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को ज्ञात है कि एयरलाइनें तेल तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों के पारसल स्वीकार करती हैं तो वे बहुत सावधानी से काम करती ह ? क्या उतनी ही सावधानी ऐसे पारसलों को स्वीकार करने में रेलवे द्वारा भी की जाती है जिन पर 'खतरनाक'

'विस्फोटक' अथवा 'शीघ्र उत्तेजनीय' लिखा होता है या लिखा होना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे इस प्रकार का कोई वर्गीकरण कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : वर्गीकरण बड़ी सावधानी से किया जाता है । तथा प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं । परन्तु यह विशेष पारसल बुक किया हुआ नहीं था। हमें इसका कोई ज्ञान नहीं था।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उस रेलवे के किसी रेलवे कर्मचारी को यह मालूम था कि इस गाड़ी से कुछ विस्फोटक पदार्थ ले जाये जा रहे थे ?

श्री शाहनवाज खां : हमें कुछ भी पता नहीं था।

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति

*१८०१. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८ से अब तक भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(ख) वास्तविक कृषि में की जाने वाली गवेषणा से प्राप्त होने वाले परिणामों का प्रयोग करने के लिये यदि कोई रुपया लगाया गया है तो वह कितना है ?

(ग) अनुसन्धान द्वारा प्राप्त होने वाली नई किस्मों को लोक प्रिय बनाने के लिये कौन सा, यदि कोई, संगठन है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १,४४,२७,२५२ ।

(ख) ५७,४७,८२२ ।

(ग) विभिन्न प्रदेशीय केन्द्रों तथा प्रदर्शन फ़ार्मों में किसानों की स्थिति के अनुसार नाना प्रकार के परीक्षण किये जा रहे हैं और विभिन्न राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा बीजों का वितरण गन्ने उत्पादकों को स्वस्थ तथा रोगमुक्त विभिन्न प्रकार के उपयुक्त बीजों की व्यवस्था करने की दृष्टि से किया जा रहा है ।

श्री वी० पी० नायर : कितने एकड़ भूमि में रोगों का मुकाबला करने वाली उन किस्मों की खेती हो रही है जो इस संस्था में किये गये अनुसन्धान द्वारा उत्पन्न की गई हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस संबंध में कोई निश्चित आंकड़े बताना कठिन है क्योंकि नई क़िस्मों की खेती, जैसे कोयम्बटूर में उत्पन्न की गई नई किस्म सारे दक्षिणी भारत में अपना ली गई है । इसी प्रकार एक और नई किस्म है जिसकी क्रम संख्या ४१९ है और यह समस्त दक्षिण भारत में अपना ली गई है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या उत्तर भारत की गन्ने की फ़सलों में भी इस संस्था के क्रिया कलापों का कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, काफी सुधार हुआ है ।

श्री मुनिस्वमी : क्या इसका पता लगाने के लिये कोई अनुसन्धान किये गये हैं कि गन्ने से प्राप्त होने वाले मोम का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिये भी किया जा सकता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस का सम्बंध गन्ने के सुधार तथा अनुसन्धान से है ।

श्री के० के० बसु : गवेषणा संस्था ने भारतीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त गन्ने की कितनी किस्मों का पता लगाया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं ठीक ठीक संख्या तो नहीं बता सकता हूं । अनेक किस्मों का पता लगाया गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं जिन से पता लगे कि गत वर्षों में उत्तर भारत में प्रति एकड़ उत्पन्न होने वाली फ़स्ल की मात्रा में, जिसके लिये एक करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आंकड़े तो हम रखते हैं ।

श्री सारंगधर दास : कितना सुधार हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है । मैं इसे आगे चल कर माननीय सदस्य को देने को तय्यार हूं ।

दिल्ली सुधार प्रन्यास

*१८०२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सुधार प्रन्यास ने निर्धन व्यक्तियों के लिय सस्ते मकानों की कोई योजना बनाई है; तथा

(ख) यदि हां, तो योजना की विशेषताएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) किसी विशेष योजना के रूप में नहीं । यों तो जहां कहीं गन्दी बस्तियों के हटाये जाने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्धन व्यक्ति बेघर हो गये हैं, वहां यह प्रन्यास उन के लिए सस्ते मकान बनाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन स्लम्स एरिया के लोगों को बचाने के लिए योजना बनाई गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : दिल्ली दरवाज़े और अजमेरी दरवाज़े के बीच के मैदान में जितनी भी गन्दी बस्ती है वह अभी साफ़ नहीं की गई है । इस प्रन्यास ने कुछ मकान बनाये हैं, और अंधा मुग़ल में अभी भी कई मकान बन रहे हैं । रोशनआरा एक्सटेन्शन लगभग पूरा हो चुका है । सदर बाज़ार और पुरानी ईदगाह की गन्दी बस्ती को भी साफ़ किया जाएगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस में थानसिंह नगर, बापा नगर और अमृतकौर पुरी को भी लिया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : जिन लोगों के पास ज़मीन है उन से सुधार प्रन्यास प्रति वर्ग गज़ कितना सुधार-शुल्क लेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जिस दर पर ये मकान निर्धन व्यक्तियों को बना कर दिये जाते हैं, उस में प्रन्यास की ओर से सहायता भी शामिल है ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : मान लीजिए कि कोई स्वयं मकान बनाले । उस की भूमि के सुधार के लिए प्रन्यास कितना शुल्क लेगा?

श्रीमति चन्द्रशेखर : अभी हाल में दिल्ली सुधार प्रन्यास ने कई प्रस्थापनाओं सहित एक नई भवन-निर्माण नीति प्रस्तुत की है जिस पर विचार हो रहा है, और उन प्रस्थापनाओं में माननीय सदस्य का सुझाव भी है ।

त्रिपुरा में सिंचाई सुविधायें

*१७६७. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा के उदीपुर डिवीज़न में सड़क के ऊपर या नीचे से पानी निकालने की मेहराबदार नालियां और पानी निकालने के फाटक बनाने की कोई कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण-कार्य शुरू किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सिंचाई इंजीनियरों के अभाव के कारण यह कार्य अभी शुरू नहीं किया गया ?

(घ) यदि नहीं किया गया, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री ए म० वी० कृष्णप्पा) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) आसाम सरकार ने एक पदाधिकारी की सेवायें किसी समय तक इन को दी थीं, जिस ने राज्य के सिंचाई संसाधनों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था ।

(ग) यह सही है ।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि त्रिपुरा राज्य के लिए किसी उपयुक्त कृषि-इंजीनियर को चुना जाये ।

प्रादेशिक भाषाओं में फार्मों का छापा जाना

*१७६५. **श्री राघवय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार दैनिक हिसाब के फार्मों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करा के सभी शाखा डाकघरों और उप-डिवी-जनल डाकघरों को भेजना चाहती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख): चूंकि भविष्य में हिन्दी राजभाषा बनेगी, अतः सरकार दैनिक हिसाब के फार्मों का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाना आवश्यक नहीं समझती ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक तथा तार कर्मचारी संघों द्वारा अभ्यावेदन

*१७६९. **श्री टी० वी० विट्ठल राव** : (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सर्किल ब्रांच का डाक तथा तार कर्मचारी संघ केवल डाकीय मामलों के सम्बन्ध में डाक सेवा निदेशक के पास अभ्यावेदन भेज सकता है ?

(ख) क्या वे तार इंजीनियरिंग तथा तार-प्रेषण से सम्बद्ध मामलों के लिये सीधे पोस्ट-मास्टर जनरल, मद्रास के पास अभ्यावेदन नहीं भेज सकते ?

(ग) यदि नहीं भेज सकते, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग): सभी स्वीकृत संघ अपने एककों के प्रभारी पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं । इसी के अनुसार, हैदराबाद का डाक तथा तार कर्मचारी संघ, जो मद्रास सर्किल शाखा की उप-सर्किल शाखा के रूप में काम कर सकता है, डाक सेवा निदेशक, हैदराबाद, जो उस उप-सर्किल का प्रभारी पदाधिकारी है, के पास अभ्यावेदन भेज सकता है । हैदराबाद संघ तार इंजीनियरिंग और तार-प्रेषण से सम्बद्ध मामलों के लिए डाक सेवा निदेशक के पास अभ्यावेदन नहीं भेज सकता, क्योंकि वे उसके नियंत्रण में नहीं हैं । पोस्टमास्टर जनरल, मद्रास के नियंत्रण में इस से सम्बन्धित जो मामले हैं, उनका अभ्यावेदन डाक तथा तार कर्मचारी संघ की मद्रास सर्किल शाखा द्वारा उस प्रभारी पदाधिकारी के पास होगा ।

भारतीय चिकित्सा परिषद

*१७८०. **डा० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की अवर स्नातक और उत्तरस्नातक चिकित्सा परीक्षाओं का निरीक्षण कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह भारतीय चिकित्सा परिषद् सरकार द्वारा स्वीकृत

अतिरिक्त राशि को समय समय पर उत्तर स्नातक परीक्षाओं के निरीक्षण के लिए व्यय कर रही है; और

(ग) इस परिषद् के स्थापना-काल से अब तक सरकार ने इस पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) अधिनियम की अनुसूची १ में दी गई चिकित्सा-सम्बन्धी स्वीकृत अर्हताओं के सम्बन्ध में, जिन को प्राप्त करने के बाद राज्यों में चिकित्सा की जा सकती है, जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उनका ही निरीक्षण यह भारतीय चिकित्सा परिषद् अपने स्थापना-काल से करती रही है ।

जहां तक उत्तरस्नातक अर्हताओं का सम्बन्ध है, उन्होंने अभी हाल में इस बात का प्रयत्न किया है कि सभी चिकित्सा सम्बन्धी विषयों में उत्तरस्नातक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण को नियमित रूप दिया जाये ।

(ख) चिकित्सा सम्बन्धी उत्तर-स्नातक परीक्षाओं के निरीक्षण के लिये सरकार ने कभी भी कोई राशि अलग से स्वीकृत नहीं की है ।

(ग)एक विवरण, जिस में इस समय उपलब्ध जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १८**]

त्रिपुरा में भूमि-कृष्यकरण

*१७८४. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा स्थित शुकसागर जाला में भूमि-कृष्यकरण प्रारम्भ हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं हुआ है, तो देर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इस परियोजना का उचित रूप से सर्वेक्षण करना पड़ेगा । उचित अनुभवी व्यक्तियों की अनुपलब्धि के कारण अभी उस इंजीनियरिंग कमचारी-वर्ग की नियुक्ति नहीं की गई है, जो सर्वेक्षण का यह काम करे । आशा की जाती है कि शीघ्र ही, जब सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ होगा, इन व्यक्तियों की नियुक्ति भी होगी ।

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

*१७९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २४ मार्च १९५४ को पूर्वोत्तर रेलवे के सलेमपुर और लार रोड़ स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी जिसके फलस्वरूप १२ डिब्बे उलट गये थे और ३०० फ़ीट लम्बी पटरी तथा फिशप्लेट उखड़ गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई ; तथा

(ग) दुर्घटना का कारण क्या था ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) २४ मार्च १९५४ को २०-३५ (यानी ८-३५ म० प०) पर लार रोड और सलेमपुर स्टेशनों के बीच मालगाड़ी संख्या ९९२ के ११ डिब्बे पटरी से उतर गये और एक डिब्बा ज़रा सा उलट गया । लगभग ३०० फीट लम्बी पटरी उखड़ गई ।

(ख) रेलवे को लगभग २,३०० रुपये की हानि हुई ।

(ग) पटरी से उतरने वाले एक डिब्बे का दायां अगला जर्नल टूट जाने के कारण यह दुर्घटना हुई ।

रेलवे क्वार्टरों का किराया

३७०. **श्री रामानन्द दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 'मित्रा-टाइप' योजना के अनुसार बनाये गये एक ही श्रेणी के रेलवे क्वार्टरों के लिये विभिन्न रेल विभागों में और एक ही रेल विभाग के विभिन्न उपविभागों में भिन्न भिन्न दर का किराया निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) 'मित्रा टाइप' क्वार्टरों के जो किराये लिये जाते हैं उनमें भिन्नता है, और पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् एक ही रेलवे में लाये गये विभिन्न विभागों में भी यह भिन्नता है। वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। परन्तु किसी दशा में भी किराया कर्मचारियों के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक नहीं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सं० १९]**

(ख) किरायों में भिन्नता के ये कारण हैं कि वर्तमान नियमों के अधीन एक ही रेलवे में एक ही श्रेणी के सब क्वार्टरों की कुल पूंजी लागत के आधार पर किराये की गणना की जाती है। पुनर्वर्गीकरण पर एक अथवा एक से अधिक रेलवे एक ही व्यवस्था में लाई गई हैं और संशोधित आधार पर कुल लागत का अनुमान लगाने की प्रक्रिया बनाई जा रही है। इसलिये किरायों में यह अन्तर अस्थाई. तौर पर थोड़े समय के लिये रहेगा।

सरकारी कर्मचारी संघ

३७१. **श्री रामानन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारी संघों के, गैर-सरकारी कर्मचारी संघों की फेडरेशनों के साथ सम्बन्धित होने की मान्यता देने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : अनुविहित अथवा अन्यथा कोई ऐसे नियम नहीं हैं, जो केन्द्रीय सरकार ने जारी किये हों।

गन्ना-नाशक कीड़े

३७२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पौदों की बीमारियों और गन्ना नाशक कीट प्रति वर्ष कितना गन्ना नष्ट कर देते हैं; और

(ख) इस हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १० से १५ प्रतिशत तक। नष्ट होने वाली मात्रा कीड़ों तथा पौदों की बीमारियों के फैलने पर निर्भर होती है जो कि कभी कम होती है और कभी अधिक।

(ख) त्रिवर्षीय गन्ना विकास विस्तार योजनाओं के अधीन, जिन का प्रवर्तन भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति कर रही है, ये उपबन्ध किये गये हैं कि महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्यों के गन्ना विकास क्षत्रों में गन्ने की रक्षा सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध हो, जिस से गन्ना नाशक कीड़ों इत्यादि और गन्ने की बीमारियों से फसल को बचाने के लिये समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। गन्ना रक्षा सेवायें रोग रहित स्वस्थ गन्ने का संभरण करने के विचार से बहुत अधिक मात्रा में औषधि-चूर्ण डाल कर छिल्का उतार कर और प्रभावी कीट-नाशक तथा काई-नाशक औषधियां छिड़क कर, पोषण काल से ले कर पूरी फसल के मौसम तक निरन्तर निरीक्षण करती हैं।

भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति

३७३. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के वर्ष १९५२-५३ के प्रतिवेदन के पृष्ठ ३२ की कंडिका ३ की ओर निर्देश कर के कृपया बतायेंगे :

(क) क्या कारण है कि अभी तक उत्तर भारत में प्रति एकड़ १२-१४ टन गन्ने की न्यूनतम उपज हो रही है और दक्षिण प्रायद्वीप में उत्पादन की लागत अभी अधिक है ; और

(ख) उत्तर भारत में अधिक उपज वाली नव विकसित किस्मों को लोकप्रिय बनाने और दक्षिण प्रायद्वीप में लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) उत्तर भारत में गन्ने की उपज अभी कम रहती है क्योंकि सिंचाई का पानी, खाद और उर्वरक अपर्याप्त हैं और जोतें छोटी हैं तथा कृषि ठीक नहीं और फसलों का चक्रानुक्रम ठीक नहीं । जहां आवश्यक हो, सम्बन्धित उपकरण दिये जाते हैं और अधिक उपज प्राप्त होती है । दक्षिण प्रायद्वीप में खाद और उर्वरक के रूप में प्रति एकड़ ३०० से ४०० पौंड तक नाईट्रोजन डाली जाती है जब कि उत्तर भारत में प्रति एकड़ ८०-१२० पौंड नाईट्रोजन की आवश्यकता होती है । उर्वरक के ठीक प्रयोग के लिए बहुत अधिक बार सिंचाई करनी पड़ती है और इन दोनों कारणों से प्रति एकड़ कृषि की लागत बढ़ जाती है । प्रायद्वीप भारत में गर्मी की हालत होने के कारण भी सिंचाई अधिक बार करनी पड़ती है ।

(ख) गन्ना उत्पादकों को खेतों में पोषण तथा गवेषणा केन्द्रों से नव विकसित अधिक उपज वाली किस्में निरंतर भेजी जाती हैं, जहां वे विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु के क्षेत्रों में उन का परीक्षण करके अनुकूलता के अनुसार उनको चुन लेते हैं।

प्रायद्वीप भारत में सिंचाई के जल की आवश्यक मात्रा पहुंचा कर प्रति एकड़ उपज बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । इस क्षेत्र में फसल के लिये जल की आवश्यकता पूरी करने में नहर द्वारा सामान्य संभरण अपर्याप्त है । अमोनिया के सलफेट के मूल्य में कमी की गई है और इस से खाद की लागत कम हो जायेगी । मल से उत्पन्न खाद की कीमत कम करने के लिये एक कम्पोस्ट खाद बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है ।

मैसूर में छोटे सिंचाई कार्य

३७४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में छोटी सिंचाई के विकास के लिये मैसूर राज्य को कितनी राशि दी गई ; और

(ख) अनुदानों और सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई और ऋण के रूप में कितनी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) वर्ष १९५०-५१ और १९५२-५३ में 'अधिक अन्न उपजाओं' योजना के अधीन मैसूर राज्य को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कुल १०२.७२ लाख रुपये के अनुदान और कुल २१०.२० लाख रुपये के ऋण दिये गये ।

श्रमः अपील निर्णयों का प्रकाशन

३७५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जून १९५३ के बाद से "लेबर अपील केसेज़" के कितने अंग प्रकाशित हुए हैं और छपने के लिये प्रेस भेजे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक महीने के "लेबर अपील केसेज़" किस किस तारीख को बिक्री के लिये उपलब्ध किये गये और अब तक श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के किस तारीख तक के निर्णय प्रकाशित किये जा चुके हैं ; तथा

(ग) सरकार उक्त केसेज़ को यथाशीघ्र प्रकाशित कराने और उन्हें बिक्री के लिये उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जून १९५३ से नौ अंक (अप्रैल से दिसम्बर १९५३ तक) प्रकाशित किये गये और नौ अंक (जुलाई १९५३ से मार्च १९५४ तक) छपाई के लिये भेजे गये।

(ख) जून से सितम्बर १९५३ तक बिक्री के लिये निकासी किये गये अंकों की तिथियां निम्नलिखित हैं :

जून १९५३	२२ जून १९५३
जुलाई १९५३	१० सितम्बर १९५३
अगस्त १९५३	२६ अक्तूबर १९५३
सितम्बर १९५३	२० नवम्बर १९५३

अक्तूबर १९५३ से अंकों की तिथियों तथा उस तिथि का, जिस तिथि को अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय प्रकाशित हुए, पता लगाया जा रहा है और जानकारी सदन-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) पत्रिका में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णयों को शीघ्र प्रकाशित करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। ज्यों ही पत्रिका प्रकाशित होती है उसके प्रत्येक अंक की कलकत्ता और अन्य स्थानों के सरकारी विक्रयालयों द्वारा बिकने के लिये तुरन्त निकासी की जाती है।

उड़ीसा डाक विभाग में भर्ती

३७६. **श्री के० सी० जेना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में उड़ीसा भाग में डाक तथा तार विभाग की विभिन्न पदालियों में कितनी नियुक्तियां की गई हैं ; और

(ख) उन में से प्रत्येक पदाली में, कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) तथा (ख) जानकारी एक विवरण के रूप में सदन-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २०]**

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

३७८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें प्रतिवर्ष औसतन कितने दिन चलती हैं ; तथा

(ख) पिछले वर्ष कितने दिन चलीं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) गत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश की चीनी की मिलों में कार्य के दिनों की औसत वार्षिक संख्या ११० दिन है।

(ख) ११८ दिन ?

उत्तर प्रदेश में नल कूप

३७९. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले तीन वर्षों में नल-कूप बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जारी नल कूप परियोजनाओं के लिये, केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को १०.१५ करोड़ रुपये का ऋण देने की अस्थायी स्वीकृति दी है।

कृषकों के लिये ऋण

३८०. **श्री इलयापेरूमल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ और १९५३-५४ में कृषकों को विभिन्न प्रकार के ऋण देने के लिये, कितनी राशि मद्रास राज्य के लिये नियत की गई थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८ अनुबन्ध संख्या २१]**.

Par. S. 18. III. 44. 54.
285

अंक ३ बुधवार

संख्या ४४ १४ अप्रैल, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

-----:o:-----

भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

समिति के लिए निर्वाचन—भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति [पृष्ठ भाग ३२७१]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--
छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग ३२७१—३२७२]

अनुदानों की मांगें—
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय [पृष्ठ भाग ३२७२—३३५४]
मांग संख्या २—उद्योग [पृष्ठ भाग ३२७२—३३५४]
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना एवं आंकड़े [पृष्ठ भाग ३२७२—३३५४]
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग ३२७२—३३५४]
मांग संख्या ११०—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग ३२७२—३३५४]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली ।

87 PSD (मूल्य ६ आने)

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, १४ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

२–५५ म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के लिये नामनिर्देशन पत्र देने की अन्तिम तिथि तक दो नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। क्योंकि रिक्तियों की संख्या उम्मीदवारों जितनी ही है, मैं घोषित करता हूं कि निम्न उम्मीदवार नियमोचित रूप में चुने गये हैं :

(१) सरदार जोगेन्द्र सिंह।

(२) श्री पी० आर० कानावडे पाटिल।

गैर सरकारी सदस्यो के विधेयको तथा संकल्पो संबंधी समिति

छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा १२ अप्रैल, १९५४ को प्रस्तुत की गई वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर आगे विचार करेगी।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले वर्धा की यात्रा को गया, और वहां पर मुझे दो दिन रहने का अवसर हासिल हुआ। वर्धा में महात्मा जी के आश्रम और वहां के सेवकों को देखने के बाद जब उनकी सुबह की प्रार्थना हुई तो उसको भी सुना और साथ में उसके बाद जो लेक्चर हुआ उसको भी सुना। लेकिन उस लेक्चर में आज कल की हुकूमत के बारे में खुसूसन जो घरेलू सनत है अर्थात् स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, उसके बारे में उन के ख्यालात सुन कर ऐसा मालूम होता था कि हालांकि आज हम आजाद होने के बाद सातवें साल में कदम रख रहे हैं, फिर भी जो घरेलू सनत और छोटे उद्योगों की तरक्की है वह पहले जमाने से भी, जब कि एलियेन गवर्नमेंट हमारे ऊपर हुकूमत करती थी, रोज बरोज गिरती जा रही है। हमें मालूम नहीं होता कि उनकी तरक्की का रास्ता भी कुछ हो सकता है। मैं इस

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

सम्बन्ध में ज्यादा दलीलें न देते हुए सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जो आदर्श संघ की प्रकटना है उस से हम को साफ जाहिर होता है कि असल गांधीवाद का क्या आइडिया था और उन्होंने किन ख्यालात को लोगों के सामने हिन्दुस्तान में रखने की कोशिश की है। जनवरी १९५४ का 'रूरल इंडिया' है, वह कहता है :

"इस तथाकथित लोक-कल्याण राज्य के लाभों से जनता अपरिचित है जहां लोगों के बढ़ते हुए दारिद्रय पर करों का बढ़ता हुआ बोझ लादा जा रहा है।"

३ म० प०

इसी तरह और भी हम बहुत कुछ इसके बारे में कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन में ग्रामोद्योग और हिन्दुस्तान के उद्योग के बारे में अपने ख्यालात जाहिर किये हैं। मैं उनको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके ख्यालात यह हैं :

["भारत में इस समय भ्रष्टाचार, चोर बाजार, असत्य, आदि बातें इतनी हद तक बढ़ गयी हैं कि जो लोग इन बातों के आदी हो गये हैं वे इन पापों पर लज्जित होने के बजाय गर्व अनुभव करते हैं।"]

और उसके बाद वह कहते हैं :

"यदि हमें इस राष्ट्रीय अवनति से बचना है जो गत सात वर्षों से जारी है तो अधिकारारूढ़ व्यक्तियों को बदलना होगा, चाहे यह परिवर्तन लोकतंत्रात्मक ढंग से हो या किसी अन्य ढंग से हो।"

र फिर फरवरी के हरिजन में लिखा है :

लोक-कल्याण राज्य में आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, दुख तथा दारिद्रय आदि बातें नहीं होनी चाहियें।"

इन ख्यालात को हाउस के सामने रखने के बाद मैं यहां पर उद्योग के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ हैंडलूम इंडस्ट्री को ही लेता हूं और उसके बारे में जितनी तकलीफें जुलाहों को हो रही हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं रोज बरोज सुनता हूं कि वहां पर खुदकुशी का दौर चल रहा है। गवर्नमेंट मिल इंडस्ट्री और हैंडलूम इंडस्ट्री का कम्पिटीशन देखती हुई चुप बैठी है। अगर राजा जी ने जो रास्ता बताया था कि हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए एक पूरा क्षेत्र छोड़ दिया जाय और कोई मिल धोती और साड़ी न बनावे उस रास्ते पर चला जाता तो उनको बहुत कुछ मदद मिल सकती थी। मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। लेकिन न मालूम टैक्सटाइल कमिश्नर और मिल इंडस्ट्री के बीच क्या हो जाता है कि हैंडलूम वालों को बाजार नहीं मिल पाता। जो आपने सेस की स्कीम निकाली है और जिसके द्वारा आप पैसा लेते हैं उससे आप हैंडलूम इंडस्ट्री की मुश्किलात को दूर नहीं कर सकते हैं। मैंने जुलाहों के ४०, ५० गांवों में दौरा किया है और मैं खुद जुलाहों के गांवों में पैदा हुआ हूं और मेरा बचपन उन्हीं के गांवों में बीता है। आपने जो सेस लगाया है यह एक स्पून फीडिंग की स्कीम है। यह कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे कि जुलाहों को हमेशा के लिये तसल्ली मिल सके। उनको सिर्फ बाजार की कमी है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है लेकिन उनके लिये अभी बाजार की कमी है। आप उनको जो भी माडिल दें उसके मुताबिक वह कपड़ा पैदा कर सकते हैं। एक जमाना था कि १६०७ में कि विदेशी लोग यहां पर कपड़ा पहने लोगों को नेकेड कहा करते थे क्योंकि

कपड़ा इतना बारीक होता था । लेकिन आज हालत यह है कि हैंडलूम के माल को न गवर्नमेंट खरीदने के लिए आगे आती है और न उनको बाजार बताती है । जो लोग पैदावार करते हैं अगर आप उनको बाजार बताने में कासिर हैं तो आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते । हैंडलूम वालों के लिए पैसे का सवाल नहीं है । उनको कुछ पैसा देने से उनकी तसल्ली नहीं हो सकती । उनको तो आपको बाजार बताना चाहिये । आपने हैंडलूम इंडस्ट्री की प्रदर्शनी की है । उसमें मैं तीन चार बार गया हूं और यह देख कर खुशी होती है कि वह क्या क्या सामान तैयार कर सकते है । लेकिन जो आला सामान वह बनाते हैं उसको ज्यादा मिकदार में वह नहीं बना सकते क्योंकि उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता ।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि बजाय मिल इंडस्ट्री से सेस लेने के अगर आप यार्न की कीमत कम करा देते तो ज्यादा अच्छा होता । २० काउंट के यार्न की कीमत १६ और १७ रुपये है । अगर उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन देखा जाय तो वह १२ और १३ रुपये पड़ सकता है । और अगर इस कीमत पर सूत हासिल हो सके तो बहुत अच्छा हो । हैंडलूम इंडस्ट्री की तरह मिल इंडस्ट्री के सामने भी कम्पिटीशन है और अगर वह रेशनलाईजेशन नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि उस इंडस्ट्री की तरक्की रुक जाय । आप इसके लिये चाहे जितना रेशनलाईजेशन कीजिये लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री को भी बचाइये, जो कि १८ या १९ लाख आदमियों को एम्पलायमेंट देती है । बहुत से लोग इसको छोड़ रहे हैं । यह न समझिये कि वे लोग आरथोडाक्स स्टाइल पर काम करते हैं इसलिये उनको यह मुश्किलात हो रही हैं । ऐसी बात नहीं है । आपकी मिल इंडस्ट्री थोड़ी सी जगहों में सेंट्रलाइज्ड है जैसे अहमदाबाद में, बम्बई में और कुछ थोड़ी सी जगहों में । पर इस तरह आपकी इंडस्ट्री की तरक्की नहीं हो सकती । हर जिले में जहां कपास होता है और जहां से कपास से सूत निकाला जा सकता है वहां पर छोटी छोटी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स की इजाजत देनी चाहिये । आज जितना कंजम्पशन है आप उतनी मिलें बढायें । मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि आपको मिल से जो सूत आता है उसका गलत दाम बताया जाता है । मिल में कम ग्रेड का काटन मिक्स करके उसकी कीमत को कम कर दिया जाता है । हालांकि हायर ग्रेड का सूत बनना चाहिये मगर नहीं बनता और हैंडलूम इंडस्ट्री को हासिल नहीं होता । यह जरूर है कि जो दो चार साल पहले सूत की कमी थी उसको दूर कर दिया गया है । उस के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । लेकिन मालूम होता है कि आप इस मसले को नहीं समझ रहे हैं या समझ कर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करते हैं । अगर आपको हैंडलूम इंडस्ट्री को कायम रखना है तो वह इसी तरह हो सकता है कि धोती और साड़ी इसके लिए छोड़ दी जाय । यह जो आपने ६० पर सेंट का प्रबन्ध किया है इससे काम नहीं बनता । अगर ऐसा इन्तिजाम सख्ती से किया जाय कि ४० काउंट से नीचे की धोती और साड़ी कोई मिल नहीं बनायेगी तो हैंडलूम इंडस्ट्री को काफी मदद हो सकती है । बहुत सी मिलों की पैदावार में बहुत सा मैनीपुलेशन हो रहा है इसको भी देखना चाहिए ।

इसके बाद मैं आपको अपने ग्रामोद्योग की एक मुश्किल और बताना चाहता हूं ।

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

आपने एक स्कीम मंजूर की है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए कैपीटल दिया जायेगा । इस में यह है कि लोगों को दो सौ रुपया दिया जायगा । मगर यह रुपया स्टेट गवर्नमेंटों और उनको अफसरों के तवस्सुत से मिलता है और इसका प्रोसीड्योर ऐसा है कि शायद ही किसी को रुपया हासिल हुआ हो । मैं ने खुद अपने हाथ से १०, १२ कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को कायम किया है इस उम्मीद पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हैंडलूम इंडस्ट्री की हालत को ठीक करने में मदद देगी । लेकिन मेरी कांस्टीट्यएंसी में १५, २० लोगों ने खुदकुशी कर ली है और हजारों लोग इस उद्योग को छोड़ रहे हैं । इन कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के बनने के बाद उन्हों ने आप से रुपया उधार मांगा । उन्हों ने इसके लिए बार बार गवर्नमेंट को याद दिलायी । उनकी तकरीबन बीस पच्चीस दरख्वास्तें थीं मगर एक को भी मंजूरी नहीं मिली । जब सेंटर से कहते हैं तो कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट से कहो, जब स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं तो वह कहते हैं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है हम क्या कर सकते हैं । इस तरह से हर एक चीज़ को टालते हैं । बहुत कोशिश के बाद भी हमारी हैदराबाद स्टेट में और खुसूसन रायचूर जिले में कामयाबी नहीं मिली है । इस पर गौर करना चाहिये । मैं ने इसके बारे में खास तौर से श्री कृष्णमाचारी जी से निवेदन किया था । यह हालत न सिर्फ हैदराबाद में है बल्कि यही हालत कर्नाटक मद्रास में, मध्य प्रदेश में, बनारस में और दूसरी जगहों में है । मैं कह सकता हूं कि हर प्रान्त में इस तरह की मुश्किलात हैं ।

चूंकि घंटी बज चुकी है इसलिये मैं और अब अधिक न कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह जो नयी स्कीम आपने बनायी है उसमें यह जो ६ करोड़ रुपये तकसीम करने का प्राविजन है तो मैं तो इसका एक तरह से विरोधी हूं, क्योंकि यहां पर सवाल पैसे का नहीं है । मैं ने जैसे पहले भी आप को बतलाया कि सवाल सिर्फ बाजार का है कि कहां पर वह अपना माल बेचें ताकि उनको उसकी उचित कीमत मिल सके । मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीवर्स और जुलाहे लोगों को एक डेफ़िनिट स्टैन्डर्ड और डिज़ाइन बतला दें कि इस तरह का कपड़ा तैयार करना है तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हुं कि हमारे जुलाहे लोग उस तरह के माल को तैयार करके दिखा सकते हैं । मैं यहां पर यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि यह हमारी इंडस्ट्री के लिए कंज़ूमर्स का जो सवाल लाया जाता है कि माल पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं हो पाता, उनकी ज़रूरत के लिए वह नहीं बना पाते, यह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है । लाखों आदमी जो इस हैंडलूम इंडस्ट्री में लगे हुए हैं आज काम न होने के कारण इस उद्योग को छोड़ने पर विवश हो रहे हैं, वरना ऐसा कौन सा माल है जो वह न बना पायें । आप सिर्फ कास्ट आफ लिविंग उनको दे दीजिये और वह आपको आपकी मंशा के मुआफिक चीज बना कर दे देंगे, ज्यादा पैसा देने की जरूरत भी नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरे आपके लिए एक दो सजैश्शन हैं । मेरा कहना यह है कि उनको पैसा देने के बजाय आप उसके लिए मार्केट क्रीएट कीजिये और ऐसा प्रबन्ध कीजिए कि धोती, साड़ी हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए छोड़ दी जायं कि वे ही इनको बनायें । दूसरे आपको यह जो पैसा मिलता है यह पैसा टैकनिकल रिचर्स वगैरह के कामों में लाखों रुपया बर्बाद होता है

बुलाहे को भी उससे फायदा नहीं होता। हैंडलूम और इंडस्ट्रीज़ को तरक्की देने में आप इस पैसे का बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं और हर एक जिले में एक एक को-अपरेटिव हैंडलूम सोसाइटी बनाइये, हम देखते हैं कि वहां पर भी जुलाहों के सम्बन्ध में पैसे का ठीक इस्तेमाल नहीं होता और पूंजीपति लोग इन सोसाइटीज के मकसद को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए हमें उधर ध्यान देने की बहुत जरूरत है और हर जिले में एक कोअपरेटिव स्पिनिंग मिल कायम करें। इसके अलावा ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको टैकनिकल पैटर्न की जो बात है उन्हें बतायें, और इसी से उनकी प्राबलम हल हो सकती है। इसी तरह दूसरा हमारा चमड़े का उद्योग है जिसमें हमारे लाखों लोग जीविका कमाते थे और आज भी वह काम कर रहे हैं।

इस उद्योग में हमारे लाखों हरिजन भाई लोग लगे हुए हैं, आज उनका काम चल नहीं रहा और वे बेकार बैठे हैं। आज तो लोग बाटा के जूते और कानपुर का फैशनेबल माल इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप उधर ध्यान दें और उनके लिये हर ज़िले में ऐसे सेंटर्स बनायें ताकि उनके उद्योग में तरक्की हो और आज जो यह अनइम्पलायमेंट बढ़ रहा है, न उनके पास खाने को अनाज रह गया है और पहिनने को कपड़ा है, पैसा ही नहीं मिलता तब कहां से यह सब चीज़ें खरीदें, सरकार को उनके उद्योग को उन्नत करने का प्रयत्न करना चाहिये और इस तरह हम इस बेकारी की समस्या को बहुत हद तक हल करने में समर्थ हो सकेंगे यह पंच-साला स्कीम के एसेस करने पर मालूम होता है कि इसमें ग्राम उद्योगों को जितना हिस्सा मिलना चाहिये था उतना हिस्सा नहीं मिला है। आपने हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए जो एक कमेटी अथवा बोर्ड बनाया हुआ है उसमें बड़े-बड़े इंडिया फेम के शख्स और जिनको एक्सपीरियेंस हो उनको इस कमेटी में लें मसलन श्री कुमारप्पा सरीखे लोगों की सलाह लें, वह कोई थ्योरिटिकल सलाह आपको देने वाले नहीं हैं, वह इस क्षेत्र में प्रैक्टिकल काम कर चुके हैं और हमें उनके बताये हुए रास्ते पर चलना चाहिये और अपने देश में गृह उद्योगों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि हमारा जो विभिन्न चीज़ों में लाखों रुपया बाहर चला जाता है वह न जाय और हमारे देश के उन्नति के कामों में वह रुपया लग सके। मैं इस सम्बन्ध में प्राइम मिनिस्टर साहब ने राष्ट्र के नाम जो ऋण योजना रक्खी है उस का समर्थन करता हूं और उनकी इस अपील का हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : स्वास्थ्य की चर्चा के बाद संपत्ति की चर्चा उचित ही है। संपत्ति के मुख्य स्रोत वाणिज्य तथा उद्योग हैं। इस वर्ष हमने कई उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया है और गत वर्ष का विपरीत व्यापार-संतुलन सुधार लिया है। ४९० करोड़ गज कपड़ा पैदा हुआ है, और सीमेंट का उत्पादन ३३ प्रतिशत बढ़ा है। परन्तु अधिक उत्पादन के साथ ही जनता की क्रयशक्ति भी बढ़नी चाहिये। भारी उद्योगों के बढ़े हुए उत्पादन से बेरोजगारी भी बढ़ती है। आज कपड़ा उद्योगों में ७·५ लाख मज़दूर हैं, परन्तु उस ने २३ लाख व्यक्तियों को विस्थापित भी किया है। ऊन उद्योग में २७ हजार मज़दूर हैं, पर उस में हाथ से काम करने वाले दो लाख व्यक्तियों को विस्थापित किया है। धान कुटाई और पालिश करने वाले कारखानों में ७२ हजार मजदूर हैं, पर वे १२

[श्री आल्तेकर]

विस्थापित कर चुके हैं । जर्मनी में पांच व्यक्ति से कम मजदूरों वाले कारखानों, ६ से ५० तक मजदूरों वाले कारखानों और ५० से अधिक मजदूरों वाले कारखानों में १८८२ में क्रमशः ५५·१ प्रतिशत, १८·६ प्रतिशत और २६·३ प्रतिशत मजदूर थे, जो १९२५ में क्रमशः २२·३, २२·८ और ५४·९ प्रतिशत हो गए । अमरीका जैसे उद्योग प्रधान देश में १९३३ में १३० लाख व्यक्ति बेकार थे और रूजवेल्ट का "नया सामाधान" भी आधे से अधिक का प्रश्न हल न कर सका । अतः वहां भी सामुदायिक परियोजना आदि द्वारा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना श्रेयस्कर समझा गया । वहां जनता भी छोटे उद्योगों का माल ही अधिक पसन्द करती है । जापान में ५ व्यक्ति से कम वाले छोटे उद्योगों में ५३ प्रतिशत व्यक्ति काम करते हैं और जापान का ६०-७० प्रतिशत निर्यात इन छोटे उद्योगों से होता है । भारत में भी दोनों प्रकार के उद्योगों के उचित समन्वय की आवश्यकता है हमारी ८७ प्रतिशत से अधिक जनता गांवों में है और उन से ६० प्रतिशत से अधिक का निर्वाह कृषि पर नहीं होता । खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड छोटे-मोटे उद्योगों में अगले पांच वर्षों में ९० लाख व्यक्तियों को लगाने की योजना बना चुका है और इस से बेरोजगारी की समस्या हल होगी । छोटे मोटे उद्योग सारे देश में फैल सकेंगे। आज के विमान-युद्ध के युग में उद्योगों के नगरों में एकत्र होने के स्थान पर उनका विकेन्द्रीकरण विशेष उपयोगी सिद्ध होगा और नये उपकरणों के साथ वहां उत्पादन अधिक हो सकेगा । बड़ी-बड़ी जलविद्युत् और बहुसूत्री परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली जापान की भांति देश के कोने-कोने में ले जाई जा सकेगी और गृह उद्योगों को देश भर में विकसित करने में सहायक बनेगी । जापान में साइकिलों के, स्विटजरलैंड में घड़ियों के और सेक्सोनी में वाद्य-यंत्रों के पुरजे तो बड़े उद्योगों में ढाले जाते हैं, पर उन की जोड़-तोड़ छोटे-छोटे उद्योग करते हैं । उसी प्रकार हम भी अपने गृह उद्योगों को विकसित कर सकते हैं । मैं अधिकाधिक उत्पादन की दृष्टि में बड़े उद्योगों को भी आवश्यक मानता हूं । पर दोनों के बीच उचित समन्वय होना चाहिये ।

मिल के कपड़े पर लगे ३ पाई के शुल्क ने हमें खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए ६ करोड़ रुपए दिए हैं । मैं चाहूंगा कि लोगों में स्वदेशी की भावना कूट-कूट कर भरी जाये । ३०० रु० प्रति मास से अधिक पाने वाले सरकरी कर्मचारियों को कम से कम ५ प्रतिशत इन वस्तुओं पर व्यय करना चाहिए । यह एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य माना जाना चाहिए ।

दक्षिण में भूतपूर्व देशी नरेश आय कर में छूट तथा अन्य सुविधाएं दे कर उद्योगों को बहुत सहायता देते थे, परन्तु विलय के बाद वह सब समाप्त हो गया है । अब तो एक कठिनाई और बढ़ गई है कि यद्यपि औद्योगिक बस्तियां गांव की सीमा में नहीं आतीं, तथापि नए ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार उन को पंचायतों को कर देना पड़ता है । इसका भी उपयुक्त सुझाव खोजना होगा ।

सरकार को भी पंप, इंजन, लालटेन आदि पदार्थ इन उद्योगों से खरीद कर इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए । इन उद्योगों में बनने वाले पदार्थों के बाहर से आय/

पर रोक होनी चाहिए । लालटेनों आदि में थोड़ा सा ही भेद होता है, फिर भी उन का आयात होता है । इन के बीच स्पर्धा नहीं होने देनी चाहिए । माननीय मंत्री जब दक्षिण गए थे, तो और कई मांगें की गई थीं । अनेकों रूपों में इन उद्योगों की सहायता की जा सकती है । इनको सहायता देने के लिये एक वित्तीय विकास निगम होना चाहिए । दियासलाई कुटीर उद्योग को रसायनों के प्रयोग के लिए अनुमोदन मिलना चाहिए । प्लास्टिक चूर्ण बनाने के दो कारखाने बंबई में हैं । एक सतारा में है और उसे कुछ भी अनुमोदन नहीं मिलता, क्योंकि इन परिसंपत के कम होने से २०० टन चूर्ण (पाउडर) बनाने में, जो फ़ेनोल आदि रसायनों के प्रयोग के लिए मिलने वाले अनुमोदन के लिए न्यूनतम है, वह असमर्थ रहता है । निर्धनता के कारण ही उसे यह सब भुगतना पड़ रहा है । पर छूट तो निर्धनों को ही मिलनी चाहिए ।

खादी तथा छोटे-मोटे ग्रामोद्योगों के लिये पृथक मंत्रालय होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री की किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परन्तु ऐसा होने से उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा । इन उद्योगों का वास्तविक ज्ञान रखने वाले और इनकी कठिनाइयों को समझने वाले व्यक्ति को इनका प्रभारी बनाना चाहिये । तभी इन की उन्नति हो सकेगी ।

अंत में अपने महान् राष्ट्र कवि के शब्दों में मैं कहूंगा—

"दियो तोमार जगत्सभाय एटुकु मोर स्थान"

अर्थात् अपनी इस विश्व विख्यात सभा में इनके लिए भी—छोटे-मोटे उद्योगों के लिए भी—एक स्थान दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण अपने नाम भले ही भेज चुके हों, परन्तु जब तक मेरी दृष्टि में न पड़ेंगे, मैं उन्हें न बुला सकूंगा ।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : गत वर्षों में वाणिज्य तथा उद्योग में हुई प्रगति के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं । हमारे सामने जो समस्या है, वह सरल नहीं है । कहा जाता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में योजना के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है, पर यदि उधर उचित ध्यान दिया जाए, तो पर्याप्त पूंजी मिल सकेगी । सब प्रकार के लाभांशों को ५ से ७ प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए और शेष राशि पूंजी के रूप में पुनः उद्योगों में लगाई जाए । इससे मुद्राप्रसार भी कम होगा । यह सिद्धांत बैंक बीमा समेत देशी-विदेशी सभी उद्योगों के ऊपर लागू किया जाए । यदि किसी उद्योग में योजना के अनुसार आगे विस्तार संभव नहीं, तो उस राशि का उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाए । यह नई बात नहीं है । जर्मनी ने प्रथम युद्ध के बाद इस उपाय को अपनाया था ।

उसी प्रकार प्रबन्धक एजेंटों, संचालकों, उच्च प्राविधिक कर्मचारियों आदि के वेतन सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम वेतन जितने कर दिए जाएं । इससे भी विशेष बचत होगी । वे हमारे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से अधिक बुद्धि वाले नहीं हैं । इंगलैंड में भी बहुत थोड़े लोगों को ६००० पौंड वार्षिक से अधिक वेतन मिलता है ।

भारत में मोटरगाड़ी-उद्योग की स्थापना का सभी स्वागत करेंगे । परन्तु जब सरकार ने निर्माण के निश्चित कार्यक्रम की मांग की तो दो-तीन फर्मों ने

[श्रीमती ए० काले]

नाम वापस ले लिए । या तो सरकार ने उनका चुनाव करने में भूल की थी, क्या उन्होंने बिना सोचे-समझे जोश में अपने नाम दे दिए थे। कुछ लोगों ने यह भी वैकल्पिक योजना बनाई थी कि भारत में पूरी कार बनाने के लिए पहले सब प्रकार के पुर्जे बनाने वाले कारख़ाने स्थापित किए जाएं, पीछे पूरा इंजन बने। पर तटकर-आयोग ने यह सुझाव नहीं माना । कनाडा में यह उद्योग १९०४ में शुरू हुआ था और आज भी वह बचत-पूर्वक पूरी कार नहीं बना पाता, बल्कि सं० रा० अमरीका से पुरजों का आयात करता है। अतः सरकार दस महीने के अनुभव के बाद अब इस बात पर पुन-र्विचार करे। जून में एक प्रेस सम्मेलन में माननीय मंत्री ने कहा था कि आयात शुल्क कम करने से मूल्य में १०–१२ प्रति शत कमी हो जायगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अतः यह बात भी पुनर्विचार के लिए तटकर आयोग को सौंपी जाए।

खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए पिछले वर्ष के ४१३ लाख रुपयों के नियतन के स्थान पर इस वर्ष ६११ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है, जो स्वागत करने योग्य है । इस राशि का पूरा-पूरा उप-योग हो इसके लिए निर्माताओं से विक्रय का भार सरकार अपने हाथ में ले ले। केवल रुपयों का उपबन्ध कर देना ही सब कुछ नहीं है । सरकारी विभागों और कर्मचारियों से इन उत्पादनों को खरीदने के लिए कहा जाय। यदि वे पदार्थ न बिके, तो लोगों में बेरोज़गारी, असंतोष और अशांति बढ़ेगी। हमारे यहां गांधी जी के प्रभाव से ग्रामोद्योग विकसित हुए परन्तु तेल-घानी और ताड़-गुड़ उद्योगों में कोई प्रगति नहीं हुई है । साथ ही ये उद्योग अपनी सरकार के होते हुए भी सेवाग्राम से नागपुर तक भी नहीं पहुंचे हैं। खाद के लिए उपयोगी हड्डियों का निर्यात हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मेरा आग्रह है कि मंत्रियों समेत कोई सदस्य पीठ तक न आया करे । चिटें भेजी जा सकती हैं, पर फिर भी उनको दृष्टि में पड़ने के लिए खड़ा होना होगा ।

श्रीमती ए० काले : नागपुर से नौ मील दूर कलमना गांव में आयल इंजिन की आटे की चक्की और तेल मिल लगाया गया है। यह गांधीवादी मंत्रियों का हाल है कि नागपुर के पास के गांव में यह हो रहा है।

धोतियों और साड़ियों में ६० प्रतिशत के हथकरघे के लिए संरक्षण के लिए सरकार बधाई की पात्र है । आशा है, आगे चलकर आंतरिक खपत के लिए इसे शत प्रतिशत कर दिया जायगा और सरकार भूखे जुलाहों के धन्यवाद की पात्र बनेगी ।

श्री एम० डी० रामस्वामी (अरुप्पुक्कोटाई) : मैं केवल हाथ करघा उद्योग के संबन्ध में ही कुछ बातें कहूंगा । इस उद्योग की पुनर्व्यवस्था के संबन्ध में सरकार ने जो सहायता आदि दी है, उससे वह संतुष्ट प्रतीत होती है । मुझे यह देखकर खुशी होती है कि इस दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है । आन्ध्र सहकारी मिल्स का उद्घाटन करते हुए ८ फरवरी, १९५४ को वाणिज्य मंत्री ने हाथ करघा बुनकरों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार उनके हितों के प्रति सजग

है । फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हाथ करघा बुनकरों की दशा बिलकुल वैसी ही है जैसी कि १९५२ और १९५३ में थी । उनकी दशा में तनिक भी सुधार नहीं हुआ है । हाल में हुई वर्षा के बाद कपड़े की जो थोड़ी सी मांग हुई है, उससे केवल इतना ही हुआ है कि उन बेचारों को दिन में एक समय खाना मिल जाता है । हाथ करघा बुनकरों की समस्या का दीर्घकालीन समाधान होना चाहिए । अभी तक सरकार ने जितनी सहायता की है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है ।

उदाहरण के लिए ६० प्रतिशत धोतियों के रक्षण से व्यावहारिक रूप में हाथ करघा उद्योग को कोई लाभ नहीं हुआ है । यह रक्षण उस वर्ष के आधार पर निश्चित किया गया था, जबकि कपड़ा उद्योग का उत्पादन उच्चतम शिखर पर था । और यही कारण है कि इस रक्षण के अनुसार जो उत्पादन हो रहा है, वह भी खपत से बहुत अधिक है । अतः इस रक्षण से हाथकरघा बुनकरों की दशा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है । उनकी दशा पूर्ववत ही है । मिल उत्पादन पर उपकर के रूप में भी सहायता दी गई है । यह उपकर हाथ करघा उद्योग की सहायता और उस की पुनर्व्यवस्था के लिए दिया जाता है ।

सहायता की मुख्य योजना बुनकरों को सहकारी संग्रह में सम्मिलित करने की है । सरकार ऐसी सहकारी संस्थाओं को प्रारम्भिक पूंजी के रूप में आवश्यक आर्थिक सहायता देगी । परन्तु मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि सहकारी संस्थायें बुनकरों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी हैं । देश भर के कुल बुनकरों का पांचवां भाग ही सहकारी संस्थाओं में सम्मिलित हुआ है । बात यह है कि बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाओं में कोई भी आकर्षण नहीं है । उन में रहने पर भी उनकी वही दशा रहती है, जो उससे बाहर रहने पर होती है ।

बाजार की मंदी के समय सहकारी केन्द्रीय बैंक सहकारी बुनकर संस्थाओं को इतना धन नहीं दे पाते हैं, कि वे अपने माल को अच्छी बिक्री के लिए कुछ समय तक रोके रख सकें । फलस्वरूप उन्हें कम दामों पर ही अपना माल बेच देना पड़ता है । अतः यह आवश्यक है कि सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए अलग सहकारी बैंक खोले जायें । विद्यमान सहकारी केन्द्रीय बैंकों का अधिकतर संबन्ध कृषि संबन्धी आवश्यकताओं से है । उक्त नये सहकारी बैंकों के द्वारा सहकारी बुनकर संस्थाओं को भली प्रकार वित्त पोषित किया जा सकता है ।

बुनकर संस्थाओं की प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है । मजूरी में कुछ वृद्धि करके उन्हें कुछ निश्चित लाभ दिये जाने चाहिएं, तभी वे ऐसी संस्थाओं में कोई रुचि ले सकते हैं । मेरा सुझाव है कि सहकारी संस्थाओं को सूत सस्ती दरों पर दिया जाय और उसके लिए उपकर निधि में से कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाय । इसका परिणाम यह होगा कि ऐसी संस्थायें बुनकरों को अधिक मजूरी दे सकेंगी और साथ ही साथ उनके द्वारा तैयार किये गये कपड़े का दाम भी नहीं बढ़ेगा । हाथ करघा उद्योग के मार्ग में एक बड़ी कठिनाई उत्पादन के क्षेत्र में बुनाई मिलों की प्रतिस्पर्द्धा है । इसके कारण हाथ करघा बुनकरों में बेकारी बढ़ती जा रही है । इस समस्या का समा-

[श्री एम० डी० रामस्वामी]

धान अत्यन्त आवश्यक है । इस संबन्ध में मेरा सुझाव यह है कि भूरी और रंगीन साड़ियों और धोतियों का उत्पादन हाथ करघा उद्योग के लिये रक्षित कर दिया जाना चाहिये । तभी इस उद्योग की रक्षा हो सकती है । बुनाई मिलें अन्य प्रकार के कपडे तैयार कर सकती हैं ।

हाथ करघा उद्योग की सहायता के दीर्घकालीन उपाय के रूप में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हाथ करघा उद्योग को उस की सूत के लिये कताई मिलों पर निर्भरता से मुक्त किया जाये । इस उद्योग में काम आने वाले सूत का उत्पादन बहु-तकुवा चरखों पर की जाने वाली हाथ कताई को सौंप दिया जाना चाहिये । इससे हाथ द्वारा कताई करने वालों की दशा में भी सुधार होगा । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस दिशा में अनुसंधान करवाये और एक बहु-तकुवा चरखा तैयार करवाये ।

उपकर निधि का आयोग करने की योजनाओं में से एक योजना कुछ राज्यों में सहकारी कपड़ा मिल खोलने के सम्बन्ध में है । मद्रास में दो ऐसी मिलें गुन्तकल और तिन्नेवेली में खोली जा चुकी हैं । मैंने मद्रास सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि इस प्रकार की एक मिल अरुप्पुक्कोटाई में भी खोली जानी चाहिये । यह स्थान हाथ करघा और रुई का बड़ा केन्द्र है । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह राज्य सरकार को मेरे इस अनुरोध की याद दिला दे ।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हाथ करघा उत्पादों की देश के अन्दर और विदेशों में बिक्री का है । इस प्रयोजन के हेतु एक केन्द्रीय विक्रय संगठन खोला गया है और उसकी शाखायें बम्बई, मद्रास और बनारस में स्थापित की गई हैं । शीघ्र ही नागपुर, ग्वालियर और कलकत्ता में भी शाखायें खोलने का विचार है । विदेशों में ऐसे माल की बिक्री बढ़ाने का काम रंगून, सिंगापुर, बगदाद और कोलम्बो स्थित विक्रय अधिकारियों के जिम्मे है । इसके अतिरिक्त मुझे यह जान कर बहुत संतोष हुआ कि हाथ करघा द्वारा तैयार किये गये कपड़े के निर्यात के लिये सरकार एक राज्य व्यापार निगम स्थापित करने का विचार कर रही है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस कार्य को अवश्य पूरा करेगी ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : इस मंत्रालय ने आसाम के हाथ करघा उद्योग के लिये अभी तक जो कुछ किया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । आसाम मुख्य रूप से अपने हाथ करघा उद्योग पर निर्भर करता है । वहां के प्रत्येक घर में आपको कम से कम एक करघा तो अवश्य ही मिलेगा और उस पर परिवार की स्त्रियां बुनाई का काम करती हैं । परन्तु ऐसे बहुत से करघे आजकल बेकार पड़े हुए हैं क्योंकि सूत काफी नहीं मिलता है ।

मैंने बारबार यह प्रार्थना की है कि आसाम में कम से कम एक कताई मिल खोली जानी चाहिये । कुछ समय हुआ सरकार ने आसाम को कुछ तकुवे उपलब्ध किये थे, परन्तु चूंकि आसाम सरकार अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दे सकी थी अतः ये तकुवे आसाम राज्य के बाहर के लोगों को बेच दिये गये थे । यह (अन्तत्य)

खेदपूर्ण बात है । युद्ध के बाद कुछ लोग आसाम में एक कपड़ा मिल खोलना चाहते थे । उस समय सरकार ने उन को यह कह कर रोक दिया था कि सरकार स्वयं एक ऐसी मिल खोलेगी । परन्तु अब वह ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करती है । इतने महत्वपूर्ण विषय के संबंध में ऐसा दृष्टिकोण बहुत अनुचित है ।

इसी प्रसंग में मैं मंत्री महोदय को यह भी बता देना चाहता हूं कि यद्यपि आसाम में जूट की पैदावार बहुत अधिक होती है और वहां से वह निर्यात किया जाता है, फिर भी वहां पर एक भी जूट मिल नहीं है । आसाम का जूट बहुत ही अच्छी किस्म का होता है,—भारत में सर्वोत्तम प्रकार का । यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण और जूट मिल न होने के कारण यह जूट काफी कम दामों पर बेच दिया जाता है । कुछ समय हुआ आसाम में एक जूट मिल खोलने का सरकार ने विचार किया था, परन्तु पता नहीं उस का क्या हुआ । देश की रक्षा, सम्पन्नता और शांति के लिये आसाम राज्य की दशा का सुधारा जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

अब मैं रेशम उद्योग को लेता हूं । हमारे राज्य की महिलायें अति-उत्तम रेशमी कपड़ा बनाती थीं जिनमें से कुछ के मूल्य तो बहुत अधिक होते थे । उदाहरणार्थ रीहा और मेखला ७०० रुपये तक बिकता था । इसी से बहुत से परिवारों का खर्च चलता था । यही नहीं इसी के द्वारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि का व्यय भी निकलता था । परन्तु रेशमी धागे की कमी के कारण अब ऐसे बहुत से करघे बेकार पड़े हुए हैं । इस संबंध में मैं श्री निधि राम दास द्वारा आविष्कृत नई कताई की मशीन की चर्चा करना चाहूंगा । उक्त सज्जन ने महान त्याग करके यह मशीन तैयार की है, इसे आजकल दिल्ली में चल रही अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में देखा जा सकता है ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह आसाम राज्य का एक बार दौरा करें । वहां उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी । मनीपुर में कपड़े की बुनाई बहुत ही उत्तम प्रकार की होती है । वहां की महिलायें बहुत सुन्दर धोतियां, साड़ियां, रज़ाइयां, मसहरियां आदि बनती हैं । इतना सब होते हुए भी मनीपुर के उद्योगों में सुधार करने के लिये केवल ४०,००० रुपये अलग रखे गये हैं । इस कार्य के लिये इससे अधिक धन दिया जाना चाहिये था ।

श्री निधि राम दास द्वारा आविष्कृत कताई की मशीन बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है । यही नहीं उन्होंने एक ऐसे करघे का भी आविष्कार किया है, जो अपने आप काम करता है और जिसमें 'फलाइंग शटल' को हाथ से चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । उक्त सज्जन की आर्थिक दशा बहुत खराब है । उन्होंने अपना सर्वस्व इन आविष्कारों में लगा दिया है । खेद है कि सरकार ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी है ।

अन्त में मैं चाय उद्योग के विषय में दो एक शब्द कहना चाहूंगा । इस उद्योग की दशा अब अच्छी है । परन्तु एक बात मैं अवश्य कहूंगा, और वह यह है कि इस उद्योग की वास्तविक सम्पन्नता के लिए हमें अपने देश के अन्दर ही चाय की बिक्री को बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिये । देश के अन्दर हमें अच्छी चाय नहीं मिलती है और विदेशों की अपेक्षा मूल्य भी अधिक

[श्री आर० के० चौधरी]

देने पड़ते हैं । इन्हीं कारणों से उत्तर भारत में चाय बहुत लोकप्रिय नहीं हो सकी है । मेरे विचार से चाय का मूल्य नियंत्रित किया जाना चाहिये । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय पर उचित ध्यान देने की कृपा करें ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : श्री केलप्पन का कहना है कि हमारी आर्थिक नीति की एक मात्र कसौटी यह है कि इस के द्वारा हम जनता को काम दे पाने में कहां तक सफल होते हैं । मैं मानता हूं कि जनता के लिये काम उपलब्ध करना भी एक महत्वपूर्ण बात है । इसी लिये दुनिया के अन्य सभी देशों के समान हमारे देश का भी यही उद्देश्य है कि प्रत्येके देशवासी को काम दिलाया जाय । परन्तु आर्थिक नीति की सफलता तथा असफलता को जांचने का केवल यही एक मात्र माप दण्ड है, यह मैं मानने को तय्यार नहीं हूं । इस के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें इस बात का ध्यान बराबर रखना चाहिये कि हम जो नीति अपनावें उस से बेकारी में वृद्धि न होने पाये तथा इस प्रकार जनता की कठिनाइयों में वृद्धि न हो ।

१९४७ में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् युद्ध से उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था के काल में हम केवल इतना ही विचार करके सन्तोष नहीं कर सकते थे कि हमारे आर्थिक उपायों के फलस्वरूप जनता को कितना और काम मिला है। हमारे सामने कितनी ही कठिनाइयां थीं । विभाजन के कारण रुई तथा पटसन जैसे कच्चे माल का एक बड़ा भाग हमारे हाथ से निकल चुका था ।

हमारा उत्पादन कम हो गया था । उस कमी को हमें पूरा करना था। युद्ध के तुरन्त ही पश्चात् बाज़ार में उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ा भारी अभाव हो गया था। मशीनों से लेकर उपभोग की वस्तुओं की मांग अकस्मात् अबाद्ध रूप से बढ़ गई थी ।

यदि हम स्मरण करें कि पांच वर्ष पहले कच्ची सामग्री, पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के संभरण की स्थिति क्या थी तो हमें पता लगेगा कि आज यह सारी वस्तुएं अधिक सुलभ हैं। मूल्यों के सम्बन्ध में अवश्य शिकायत की जा सकती है । परन्तु यह और बात है । इस सम्बन्ध में भी सन्तोष की बात यह कि युद्ध पूर्व की दरों की अपेक्षा आज की दरें ३८० से ले कर ४०० तक के स्तर पर आ कर स्थिर होती हुई दिखाई दे रही हैं । जिन कारणों से मुद्रा स्फ़ीति हुई उन पर तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं था फिर भी हमने नियंत्रण करने का प्रयत्न किया है ।

हालांकि खाद्य की समस्या बहुत गंभीर थी तथा व्यापार अन्तर भी विपरीत था फिर भी आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के संभरण का प्रबंध करने में हम ने कोई कसर उठा नहीं रखी । भारत की जनसंख्या तथा आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे विदेशी विनिमय के आय स्रोत नहीं के बराबर हैं । हमें १९४७-४८ में ५५·४१ लाख रुपये के मूल्य का, १९४८-४९ में १२७·१२ लाख रुपये का, १९४९-५० में १५६·४४ लाख रुपये का, १९५०-५१ में ११०·६१ लाख रुपये का, १९५१-५२ में २६२·०५ लाख रुपये का तथा १९५२-५३ में १७६·६४ लाख रुपये का, खाद्य आयात करना पड़ा । हर्ष की बात है कि अब

खाद्य की स्थिति में सुधार हो गया है तथा इस वर्ष हमें खाद्य कम मात्रा में आयात करना पड़ा है तथा आशा है कि आगामी वर्ष इससे भी कम खाद्य आयात करना पड़ेगा । फिर भी कितनी चिन्ता की बात है कि खाद्य के आयात करने में हमें अपने विदेशी विनिमय के एक तिहाई, आधे और कभी कभी तो लगभग सम्पूर्ण स्रोतों को ही खर्च कर देना पड़ता था । फिर भी हमने कभी इस में किसी प्रकार की कमी नहीं की । जहां तक पूंजी गत वस्तुओं के आयात का प्रश्न है हम ने इस को सदा ही ऊंची प्राथमिकता प्रदान की है यहां तक कि कभी कभी इस के लिये हमने रेज़र ब्लेड जैसी साधारण आवश्यकता की वस्तुओं का आयात भी रोक दिया था ।

कच्ची सामग्रियों के सम्बन्ध में भी हमारे सामने बडी कठिनाइयां थीं । बहुत संघर्ष के बाद आज हमारा औद्योगिक उत्पादन लगभग १३४ प्रतिशत हो गया है । यह १३४ प्रतिशत मूल्य के अर्थ में नहीं वरन् परिमाण के अर्थ में है । इस पक्ष से जब हम लोग कोई बात कहते हैं तो इस पक्ष के लोग समझते हैं कि हमारा विचार है कि इस का सारा श्रेय हम स्वयं ही ले लेना चाहते हैं । परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है । यह हर्ष का विषय है कि आजकल हमारे विदेशी विनिमय के आय स्रोत की परिस्थिति में भी कुछ सुधार हुआ है । अब हम आवश्यक उपभोक्ता के आयात के सम्बंध में कुछ उदार नीति से काम ले सकते हैं । यदि हम सारी परिस्थिति पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि हो सकता है कि हमने कहीं कहीं भूल की हो, परन्तु तुरन्त ही हमने अपनी भूल को सुधारने का प्रयत्न किया है और यही कारण है कि आज देश की परिस्थिति किञ्चित सन्तोषपूर्ण हो गई है । कोई भी निष्पक्ष निरीक्षक देख सकता है कि ऐसे कठिन समय में, जैसा कोरियाई युद्ध के पश्चात् आ गया था, जब कि आयात तथा निर्यात दोनों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये थे, जब कि हमारा विदेशी व्यापार सब से ऊंचे स्तर पर पहुंच कर फिर नीचे आ गया था, सरकार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छा कार्य किया । कहा जाता है कि व्यापार की स्थिति बदलती रही है, कभी हमारे अनुकूल हो जाती थी तथा कभी हमारे प्रतिकूल । परन्तु इस के कारणों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है । पूंजीगत वस्तुओं को ही लीजिये । गत वर्ष तक स्थिति बड़ी कठिन थी । अब स्थिति पहले से कुछ अच्छी है । गत वर्ष चाय की दशा अच्छी नहीं थी । इस का दारोमदार तो विदेशी बाज़ारों पर है ।

एक और बात श्री नायर ने कही थी । ऐसा जान पड़ता है कि उन की एक प्रकार की धारणा बन गई है कि सदन का यह पक्ष किसी एक गुट को अधिक पसंद करता है । उन्होंने किसी प्रश्न का हवाला दिया है जिस का उत्तर मैंने दूसरे सदन में दिया था । प्रश्न यह था कि क्या एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग की लंका में हुई बैठक में हमारे प्रतिनिधि ने कथित बातें कही थीं । मैं ने कहा था कि जो कुछ उन्होंने कहा था उसका समाचार बहुत ही गलत ढ़ंग से प्रकाशित हुआ था । उस समाचार से जान पड़ता था कि जैसे वह सारी बैठक में उपस्थित रहे हों जब कि वह कुछ समय को छोड़ कर सारे समय बैठक में उपस्थित नहीं रहे थे । प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने कहा था कि समझौते की सफलता के लिए समझौते के अतिरिक्त कुछ और भी होना चाहिये । मैं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा प्रतिनिधि आयात तथा निर्यात करनेवालों

[श्री करमरकर]

का ओर से कुछ और जानकारी तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि रूस क्या दे सकता है तथा रूस को किन वस्तुओं की आवश्यकता थी, जीगत उपकरणों के संभरण किये जाने पर मूल्य की अदायगी किस प्रकार होगी, बहुपक्षीय व्यापार का प्रबंध करने के लिये विशेषकर आयात की तुलना में निर्यात के कम होने पर द्विपक्षीय समझौते के क्षेत्र को बढ़ाने का क्या प्रबंध होगा। यदि मेरे मित्र ने उसे पढ़ा होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि दिया हुआ उत्तर बिलकुल ठीक था। जब तक दोनों ओर से क़रार के उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न न किया जाए तब तक क़रार से कोई लाभ नहीं हो सकता है। मैं यह कहता हूं कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हम सुलभमुद्रा क्षेत्रों और दुर्लभमुद्रा क्षेत्रों में केवल एक मोटा-सा भेद करते हैं। सुलभमुद्रा क्षेत्रों के लिए उपलब्ध अनुज्ञप्तियां उस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए मिल सकती हैं। निर्यात तो उस क्षेत्र में कहीं भी किया जा सकता है और आयात अनुज्ञप्तियों के अन्तर्गत इस सुलभ तथा दुर्लभमुद्रा क्षेत्रों के अनुसार किसी भी देश से वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं है; हमारे निर्यातकों तथा आयातकों को निर्यात या आयात करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। अन्ततोगत्वा, जब आप अपनी वस्तुएं किसी को देना चाहें और कोई अन्य उन्हें ले रहा हो तो उस में उन दोनों ग्राहकों के बीच कोई क़रार होना चाहिए। प्रत्येक देश अपनी वस्तुएं भेजना चाहता है। यदि मेरे मित्र किसी देश विशेष या खण्ड विशेष से वस्तुएं मंगवाना चाहते हैं तो वे इस बात का पता लगायें कि कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं और कौन सी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव में उन्होंने तो इस बात को ऐसे कहा था जैसे हम उन देशों से बिल्कुल कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं। मैं इस विषय में सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, किन्तु अपने मित्र की जानकारी के लिए इतना अवश्य बताना चाहता हूं कि द्वितीय सदन में इस विषय पर काफ़ी व्यापक चर्चा हुई थी जिस के फलस्वरूप अन्त में उन के दल के नेता को उस प्रस्ताव को जिस में सरकार को कतिपय देशों के साथ क़रार करने के लिए कहा गया था, वापस लेना पड़ा था। मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहूंगा।

तीसरी बात जिस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार (जी० ए० टी० टी०) है। लगभग तीन वर्ष पूर्व हम ने जी० ए० टी० टी० के सम्बन्ध में एक पुस्तक निकाली थी जो बाज़ार में मिल भी सकती है। यह विषय कुछ टेक्निकल सा है और कभी कभी लोग इस के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। एक दिन मुझ से किसी ने पूछा था कि जी० ए० टी० टी० के कारण हमें कितनी हानि हो रही है। जी० ए० टी० टी० या प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार एक ऐसा क़रार है जिसे कुछ देशों ने, जिन का विदेशी व्यापार विश्व के कुल व्यापार का ९० प्रतिशत है, आपस में स्वेच्छा से किया है। उन्होंने इकट्ठे हो कर यह सामान्य क़रार कर लिया है। इस में परस्पर प्रशुल्क कम करने की व्यवस्था है। संक्षेप में, यदि हम किसी वस्तु पर कुछ प्रतिशतता की कमी करते

हैं, तो हम सामान्यतया इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि दूसरे पक्ष को भी उतनी ही हानि हो, अर्थात्, हमारी वस्तुओं के लिए जो सीमा निश्चित की गई है उस सीमा तक हमारी वस्तुओं के लिये उस देश में जाना सरल हो जाये। मेरे माननीय मित्र श्री नायर मुस्करा रहे हैं। उन्होंने कृपा कर के जी० ए० टी० टी० के सम्बन्ध में मेरे साथ बहुत सा समय व्यतीत करने का वचन दिया है। उन के लाभ के लिए मैं इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं परन्तु मोटे रूप में जी० ए० टी० टी० केवल यही है। हम इस बात की ठीक ठीक गणना नहीं कर सकते हैं कि हम कितनी और चाय या नारियल की जटा का निर्यात कर सकते हैं। हम इस क़रार को सम्पूर्ण रूप में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रुपये आने और पाइयों में लाभ की गणना नहीं कर सकते हैं। १९४८ में मोटे रूप से जो अनुमान लगाया गया था उस के अनुसार हमारे कुल लगभग ३२ करोड़ रुपये के आयात व्यापार पर इसका प्रभाव पडा था। हमें इस हद तक या अपेक्षतया इस से कम सीमा तक प्रशुल्क की हानि होगी। अर्थात् हम अपने थोड़े से कर की हानि उठा रहे हैं क्योंकि अन्तोगत्वा आयात शुल्क तो उपभोक्ताओं से ही लिया जाता है। हमारे सामने जो विचार थे वे इन रियायतों या निर्यात बढ़ाने के प्रश्न से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए दो वर्ष पूर्व हमें पटसन के सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी कठिनाई हुई थी। हमारे सामने एक उद्देश्य यह था कि ऐसे देश के लिए, जिस के उद्योगों का विकास हो रहा हो, और जिस की निर्यात शक्ति बढ़ रही हो, इस प्रकार के किसी क़रार में, जो किसी अन्य पक्ष द्वारा लगाए गए आयात नियंत्रण जैसे कृत्रिम बन्धनों को रोकता है या निरुत्साहित करता है, सम्मिलित होना सदा लाभप्रद होता है। माननीय सदस्यों को हमारे विकास के अगामी दस वर्षों में इस चीज़ का महत्व बड़ी सरलता से मालूम हो जायेगा। हम आयातों को स्वतन्त्र रखना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई देश आयात नियंत्रण या भेद-भावजनक व्यवहार जैसे कोई कृत्रिम प्रतिबन्ध लगा कर और किसी देश को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी वस्तुओं का आयात बन्द कर दे। जी० ए० टी० टी० में सम्मिलित होते समय हमारे सामने मुख्य विचार यही था और हमारा यह प्रधान सिद्धान्त था कि जिन वस्तुओं को संरक्षण मिला हुआ है या जिन्हें भविष्य में संरक्षण मिलने की सम्भावना है, उन के सम्बन्ध में किसी देश को कोई रियायत न दी जाए।

श्री मेघनाद साहा: हम ब्रिटिश साम्राज्य के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात की गई वैज्ञानिक वस्तुओं पर ३७ १/२ प्रतिशत शुल्क लेते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य से आयात की गई वस्तुओं पर केवल ,२५ प्रतिशत शुल्क लेते हैं।

श्री करमरकर: इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी आर्थिक नीति की दृष्टि से भी जी० ए० टी० टी० में सम्मिलित होना हमारे लिए लाभप्रद है। इस सारे क़रार पर विचार किया जा रहा है और मैं इस विषय में अभी कोई विचार प्रकट करना नहीं चाहता हूं। सदन को इस पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा। हम ने विभिन्न संगठनों से इस सम्बन्ध में अपने विचार भेजने के लिए कहा है और लगभग जून या जुलाई तक हमें अपने विचारों को अन्तिम रूप दे कर उस संगठन के पास भेज देना होगा। कोई भी सदस्य यह

[श्री करमरकर]

कह सकता है कि जी० ए० टी० टी० में रहना व्यर्थ है। किन्तु हमारे लिए इस के पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना समय से पूर्व की बात होगी। हम इस सारे विषय पर विचार कर रहे हैं।

श्रीमान्, एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। विदेशी व्यापार के विकास के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। जब कभी हम इन सब विषयों पर विचार करते हैं तो और बातों के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि अब हमें निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। बहुत से लोग हम से यह पूछते हैं कि हमारे विदेशी विनिमय साधनों से क्या लाभ है। हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो जाते हैं? मेरे विचार में हम इसकी तह तक नहीं पहुंचते हैं। क्या हम अनाज न लें, यन्त्रादि न लें और अपनी आवश्यकता के लिए कच्चे पदार्थ न मंगवायें? जब तक हम अपने वर्तमान निर्यात को बहुत न बढ़ा लें तब तक इस सब के लिए विदेशी मुद्रा कहां से आयेगी? हमारे पास निर्यात की पुरानी वस्तुएं है जैसे पटसन, चाय, अभ्रक और इसी प्रकार की और बहुत सी वस्तुएं हैं जिनसे हमें वर्षों से सहायता मिलती रही है। किन्तु जब तक हम और विकास करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमें इन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिल सकती है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि वे लोग भी जो प्रकाशित वृतान्तों को नहीं पढ़ते हैं और न ही सदन की कार्यवाही को समझ सकते हैं और इसलिए जिनको यह नहीं पता है कि यहां किस प्रकार की चर्चा होती है इसकी उन्नति के लिये अपना थोड़ा बहुत हाथ बटा रहे हैं। मुझे स्वयं इससे आश्चर्य हुआ। दो वर्ष पूर्व बनारसी ज़रबफ्त का निर्यात लगभग दो लाख रुपये तक का होता था किन्तु गत वर्ष यह बढ़ कर २२ लाख रुपये या २४ लाख रुपये तक पहुंच गया है और इसमें से अधिकांश निर्यात डालर क्षेत्र को किया गया है। सिलाई की मशीनों का निर्यात करने के लिए काफी गुन्जाइश है। हम में से बहुत से लोग हमारी सिलाई की मशीनों की हंसी उड़ाते हैं। आयात की हुई मशीनों की लागत कुछ अधिक पड़ती है और हमारी लागत उस से कम ही होती है। अभी बहुत समय नहीं हुआ जब वे हम से पूछा करते थे कि क्या हमारी बाईसिकलें एक मास में ही एक पहिये की साईकिलें बन जाती हैं। हम अपनी ही चीजों की हंसी उड़ाते हैं। दूसरे लोग हमारी सिलाई की मशीनें खरीद रहे हैं। मैं आप को एक मोटा हिसाब बताता हूं, प्रतिमास एक हज़ार मशीनों का विदेशों को निर्यात किया जाता है। अन्ततोगत्वा, हमें निर्यात को बढ़ाने के लिए ज़ोर शोर से कार्यवाही करनी होगी।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : चमड़ा उद्योग की क्या अवस्था है?

श्री करमरकर : मुझे उन्हें यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि यदि अच्छे जूते बनाये जायेंगे, तो उनका निर्यात अवश्य होगा। हम चमड़े की वस्तुओं का भी निर्यात करते रहे हैं।

परन्तु निर्यात को बढ़ाने में एक चीज़ बड़ी बाधक है। जब हम में से कुछ

को अच्छा बाज़ार मिलने लगता है, उसी समय वस्तुओं की किस्म घटिया हो जाती है। मुझे यह कहते बड़ा खेद होता है। बनारसी जरी के निर्यात को बढ़ाने की ओर बहुत ध्यान दिया गया है, परन्तु ऐसी शिकायतें आई हैं कि रेशम का रंग पक्का नहीं होता है इत्यादि। इन चीज़ों से हमें कुछ लाभ प्राप्त होने की आशा है।

विदेशी व्यापार नीति के स्पष्टीकरण में मैंने बहुत समय ले लिया है। परन्तु इस विषय में फैली मिथ्याशंकाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने इतना समय लेना उचित ही समझा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय वाणिज्य मन्त्री ने बताया कि किस प्रकार आयात की उन्नति की गई है। मेरे लिए उनकी सब बातों का उत्तर देना तो सम्भव नहीं है किन्तु उन के मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड के मार्च मास के अंक में कुछ बातों की ओर में उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ ४१५ पर यंत्रों के आयात के सम्बन्ध में, जिसमें मशीनों के पट्टे भी सम्मिलित हैं, एक दुःखभरी कहानी दी हुई है।

उसमें यें आंकड़े दिये हुए हैं :—

	रुपये
१९४८–४९	८१·५६ करोड़
१९४९–५०	१०५·५१ करोड़
१९५०–५१	९३·०० करोड़
१९५१–५२	१०४·३१ करोड़
१९५२–५३	८७·८७ करोड़
अप्रैल-अक्तूबर (१९५३ का आंकड़ा)	४२·७२ करोड़

इनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि यंत्रों के आयात में कितनी वृद्धि हो रही है और किस प्रकार पराने यंत्रों के स्थान पर नये यंत्र लगाने के लिए उन का आयात नहीं करने दिया जा रहा है।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : अब लगभग १५ करोड रुपये से २० करोड़ रुपये तक के मूल्य की कुछ पूंजीगत वस्तुएं देश में तैयार होने लगी हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : श्री बंसल ने यह कहा था कि सरकार को देश को आत्मनिर्भर बनाने की सफलताओं पर बधाई देने के स्थान पर मेरे मित्र कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अपने मित्र को यह बता देना चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव तो किसी बात पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसमें निन्दा की भावना का होना आवश्यक नहीं है।

श्री बंसल ने यह स्वीकार किया था कि व्यापार घट गया था किन्तु इसके कई कारण हैं जैसे खाद्यान्न के आयातों तथा कच्चे पटसन के आयातों का घट जाना इत्यादि और हो सकता है गत वर्ष व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल न रही हों जैसा कि मेरे माननीय मित्र वाणिज्य मंत्री ने भी अभी कहा था।

मेरे कहने का सारांश यह है कि क्या व्यापार की शर्तों की किसी त्रुटि का दूर कराना मंत्रालय का कृत्य है या नहीं ? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने मेरे द्वारा उद्धृत रिपोर्ट में मानी गई बातों को सामने रखते हुए क्या उपाय किये हैं ?

[डा० लंका सुन्दरम्]

उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि इस देश के आयात में कमी हो गई है । १९५१-५२ में केवल १०४·३१ करोड़ रुपये की मशीनें मंगाई गई थीं जब कि १९५३ में ४२·७२ करोड़ रुपये की ही मशीनें मंगाई गई हैं। इसी प्रकार से धातुओं तथा रासायनिक पदार्थों के आयात में भी कमी हो गई है ।

अब मैं निर्यात व्यापार को लेता हूं। सन् १९५० से सन् १९५३ तक के तीन वर्षों में कपड़े के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य में निरन्तर कमी होती गई है तथा परिणाम यह है कि सन् १९५० की तुलना में सन् १९५३ में इसका निर्यात आधे मूल्य का हुआ है । मेरे पास आयात तथा निर्यात के देशनांक भी हैं। आयात के सम्बन्ध में मात्रा देशनांक १०८ तथा मूल्य देशनांक १४७ था, १९५२-५३ में ये आंकड़े क्रमशः ७४ तथा १२८ और १९५३ के नवम्बर तक ये ४८ तथा ११० हैं। निर्यात के सम्बन्ध में मात्रा तथा मूल्य के देशनांक १९५१-५२ में ८९ तथा १७८; १९५२-५३ में ९४ तथा ११६ तथा नवम्बर १९५३ में अस्थायी रूप से ये आंकड़े १०६ तथा १०७ हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह क्रमशः कमी कैसे हुई है ?

इस चर्चा में कुछ बातें उद्योग के ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में भी कही गई हैं । मुझे खेद है कि श्री बंसल ने, जो भारतीय व्यापार मण्डल संघ के सचिव हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा है । १९५३-५४ की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ८ तथा पृष्ठ ५ पर कहा गया है कि उद्योग का स्वामित्व तथा प्रबन्ध ग़ैर-सरकारी हाथों में होने से सरकार इनके विकास तथा विस्तार के बारे में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है । ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विस्तार तथा प्रतिस्थापन आदि के लिए ६१३ करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है । इस सम्बन्ध में विदेशों में धन विनियोग तथा सुसंगठित बचत से ६३३ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का विचार किया गया है । मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि योजना के पहले तीन वर्षों में इन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करने की चेष्टा की गई है तथा किन किन साधनों से धन के प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है और किन किन साधनों से अभी तक लाभ नहीं उठाया गया है ? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कार्यों के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस सूचना का प्राप्त करना सदन के लिए बहुत आवश्यक है ।

उत्पादन के बढ़ाने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । इस मंत्रालय की १९५३-५४ सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट में योजना के तीसरे वर्ष में विद्यमान फैक्टरियों आदि के उत्पादन में हुई क्रमबद्ध कमी दिखाई गई है । सन् १९५२ की अपेक्षा सन् १९५३ में, रसायन, औषधि, साबुन, प्रसाधन वस्तुओं, सिगरेट, रंग रौगन, शीशे की वस्तुओं, मिट्टी के बर्तन आदि, प्लास्टिक की वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं, प्लाईवुड की वस्तुओं, तथा खाद्य आदि की वस्तुओं के उत्पादन में कितनी ही कमी हो गई है । इस पर भी हमारे मंत्री महोदय का कहना है कि सब कुछ ठीक है । योजना के तीसरे वर्ष में स्थिति यह है । देश तथा इस सदन को अधिकार है कि वह यह मांग करे कि यह मंत्रालय ग़ैर-सरकारी क्षेत्र

में अपने प्रयत्नों से प्राप्त हुए परिणामों के सम्बन्ध में एक सारणीकृत विवरण प्रस्तुत करे ।

श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री से चर्चा का उत्तर देते समय तीन बातों का उत्तर चाहता हूं । सदन ने साम्राज्यिक अधिमान की क्रियान्वित सम्बन्धी संतुलन-पत्र की कई बार मांग की है। निस्सन्देह इस वर्ष आयात की गई कुछ प्रकार की मोटर कारों के सम्बन्ध में इस अधिमान को कम किया गया है । मैं यह भी जानता हूं कि प्रशुल्कों के सम्बन्ध में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार ने हमें कुछ देशों से समझौते करने की अनुमति दी है । परन्तु वास्तविक विषय यह नहीं है । देश तो यह जानना चाहता है कि साम्राज्यिक अधिमान कैसे काम कर रहा है ।

मेरे दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध सूती कपड़ा उद्योग से है । मेरे सामने इस सम्बन्ध में नियुक्त कार्यकारिणी समिति की—जिसके सभापति श्री रामस्वामी मुदालियर हैं—एक रिपोर्ट है जो २८ जनवरी, १९५३ को प्रकाशित हुई थी । परन्तु इस रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले ही सरकार ने एक और समिति कानूनगो समिति के नाम से नियुक्त कर दी है । मैं कह सकता हूं कि दोनों समितियों से निर्देश पदों में कोई अन्तर नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ? यदि हां तो उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? नवम्बर १९५३ में दूसरी समिति क्यों नियुक्त की गई थी ? देश यह जानना चाहता है कि इस रिपोर्ट के तैयार करने में कितना धन व्यय किया गया है ? सरकार समितियों की नियुक्ति में गम्भीरता से काम नहीं लेती है तथा देश के करदाता का कितना ही धन व्यर्थ में नष्ट कर दिया जाता है ।

अब में कुछ शब्द फाउन्टन पेन उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह एक कुटीर उद्योग है जो आंध्र राज्य में राजामुन्दरी स्थान पर स्थित है । मुझे इस व्यवसाय में कोई वैयक्तिक रुचि नहीं है । डा० राजेन्द्र प्रसाद इस व्यवसाय को कुछ फाउन्टेनपैन क्रय करके प्रोत्साहित कर चुके हैं । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है । मैं इस सार्थ का अनुचित प्रचार नहीं करना चाहता हूं फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इसे मंत्रालय से लाइसेंस लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । देश जानना चाहता है कि आखिर इस महत्व-पूर्ण व्यवसाय को इस प्रकार से परेशान किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री जी० डी० सोमानी : (नागौर-पाली) : उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि इस बात का साक्ष्य है कि उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय उद्योगों को उनकी कठिनाइयों में सहायता देने की दिशा में बहुत कुछ कर रहा है । सीमेन्ट तथा सूती कपड़े का इस वर्ष उत्पादन पंच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक हुआ है । उद्योग का पूर्व अनुभव यह था कि सरकारी विभाग निर्णय करने में बहुत विलम्ब कर दिया करते थे । परन्तु अब उद्योग मंत्रालय ने कुछ निर्णय बड़ी शीघ्रता से किये हैं जिसके कारण उद्योग अपनी कठिनाइयों को दूर कर सके हैं ।

वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में विशेषत: कहते हुए मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि सरकार ने निर्यात शुल्कों तथा उत्पादन शुल्कों के समन्वय के सम्बन्ध में

[श्री जी० डी० सोमानी]

बात संकट के समय में उचित फैसला किया था और जिससे उत्पादन में कमी नहीं होने दी गई थी। इस समय की स्थिति को देखते हुए यह आशा हो सकती है कि चालू वर्ष में १०० करोड़ गज कपड़े का निर्यात सम्भव हो सकेगा। मैं माननीय मंत्री की निर्यात उन्नति परिषद् की स्थापना करने में भी प्रशंसा करता हूं तथा आशा करता हूं कि इसकी स्थापना हो जाने से हम निर्यात व्यापार को पिछले कुछ वर्षों के आधार पर स्थिर रख सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि मंत्रालय कपड़ा उद्योग की दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर कुछ अधिक ध्यान दे। दीर्घकालीन दृष्टि-कोण से इस आयोग के सामने वैज्ञानीकरण तथा पुनःसंस्थापन की समस्या है। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि वैज्ञानीकरण के कारण कितने ही कामगरों को बेकार कर दिगा जाय। तथापि दोनों ओर से सदभावना हो ऐसा मार्ग निकाला जा सकता है जिससे अन्त में उद्योग तथा उपभोक्ता और श्रम को एक जैसा लाभ हो। अमेरिका में प्राप्त परिणामों से विदित हो जाता है कि वैज्ञानीकरण से अन्त में स्वयं श्रम को भी लाभ पहुंचा। है। अमेरिका के व्यापार मण्डल के हाल के पुनर्विलोकन के अनुसार नवीन आविष्कारों से कामगरों को बेकार नहीं होना पड़ा है बल्कि उनके लिए नये कामों की व्यवस्था हुई है। हो सकता है कि प्रारम्भ में स्थानीय रूप से बेकारी हुई हो, परन्तु अन्ततः लोगों के लिए अधिक अच्छी नौकरियों की सम्भावनाऐं ही हुई हैं। यह तथ्य बना रहता है कि उद्योग तथा श्रम का वैज्ञानीकरण में एक जैसा ही हित है। हमें इस पर बिना पक्षपात के विचार करना चाहिये। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस सुझाव के सम्बन्ध में छान बीन करने के लिए एक विस्तृत समिति की स्थापना की जाय।

इसके साथ उद्योग के पुनः संस्थापन का भी सम्बन्ध है। मुझे खेद है कि मंत्रालय ने उद्योगों को वर्तमान उत्पादन को भविष्य में स्थिर बनाए रखने में समर्थ बनाने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि बहुत सी मिलों २५ वर्ष से भी पुरानी मशीनें काम कर रही हैं। जब तक इन मशीनों के प्रतिस्थापन के उपाय नहीं किये जाते, यह उद्योग न केवल अन्तर्देशीय व्यापार में बल्कि निर्यात व्यापार में भी अक्षम हो कर रह जायगा। अतएव यह हमारी आर्थिक व्यवस्था के हित में है कि मंत्रालय इस प्रश्न की तुरन्त छानबीन करे तथा उचित समय में वैज्ञानिक ढंग से इन मशीनों आदि का आधुनिक प्रकार की मशीनों से प्रतिस्थापन करने के उपाय करे। विभिन्न अन्य उद्योगों की स्थिति भी यही है तथा उनके सम्बन्ध में भी इस कार्य की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाए।

इस सम्बन्ध में मैं पटसन उद्योग की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान तथा दूसरे देशों की प्रतियोगिता से इस उद्योग की स्थिति के बहुत खराब हो जाने की सम्भावना है। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इस उद्योग के पुनः संस्थापन की ओर विशेष ध्यान दे। बिना किसी ठोस घोषणा के क्रियाकारी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इस प्रश्न पर कितने ही समय से गरमागरम बहस चल रही है। अतएव मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस समस्या की उपेक्षा न की जाए।

एक बात मैं नियंत्रित वस्तुओं के दामों के निश्चित करने के बारे में कहना चाहता हूं। भारतीय व्यापार तथा उद्योग संस्था, बम्बई ने इस्पात तथा सीमेन्ट जैसे दो महत्वपूर्ण उद्योगों का पिछले दो वर्षों में ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, परन्तु मंत्रालय ने उसकी सिफारिशों को रद्द कर दिया है। सरकार ने स्वयं अपने निकाय प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है। उक्त आयोग के अनुसार सरकार विकास के बारे में यथार्थवाद से काम नहीं ले रही है। पूर्वोक्त संस्था के अनुसार सकल व्यय पर आठ प्रतिशत नफ़ा देने से लाभांश तथा रक्षित निधियों के लिए कुछ भी धन नहीं बचता है। उदाहरणार्थ सन् १९५१ में इस्पात तथा लोह उद्योग के सम्बन्ध में इस आठ प्रतिशत में से ५·७ प्रतिशत कर-व्यवस्था में, १·५ प्रतिशत श्रमिकों के बोनस में, तथा १ प्रतिशत मैनेजिंग एजेन्ट की उपलब्धियों के रूप में दिया गया था। सीमेंट उद्योग की अवस्था भी लगभग यही है। दोनों उद्योगों के सम्बन्ध में लाभांश तथा रक्षित निधियों के लिए कुछ भी नहीं बच सका है। नियंत्रित वस्तुओं के मूल्यों को इस प्रकार से निश्चित करने, जिस से कि लाभांश तथा अन्य प्रतिस्थापन संचितियों के लिए कुछ न बचे, की नीति ठीक नहीं है। और इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों को ठुकरा देने का भी कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के कार्यकरण की ओर दिलाना चाहता हूं। संशोधन विधेयक पर चर्चा होते समय यह आश्वासन दिया गया था कि मंत्रालय की नीति उद्योगों के दिन प्रतिदिन के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने की नहीं थी और यह भी कहा गया था कि इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि उद्योगों को कोई कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ता है समुचित प्रबन्ध किये जायेंगे। मंत्रालय को हाल ही में किये गए एक निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई मिल अपने लेबिल या व्यापार चिन्ह को बदलना चाहती है तो उसे अनुज्ञापत्र के लिये मंत्रालय को आवेदनपत्र देना होगा। देश भर में फैली ४०० से अधिक मिलों को प्रायः अपने लेबिल तथा नम्बर बदलने पड़ते हैं। मंत्रालय का यह आशय कदापि नहीं है कि प्रत्येक मिल लेबिल इत्यादि बदलने के लिए प्रत्येक अवसर पर मंत्रालय को आवेदनपत्र भेजे और अनुज्ञापत्र मिलने तक काम को रोक कर प्रतीक्षा करती रहे। इस मामले पर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इस से मिलों के कार्यकरण में गड़बड़ी मच जायेगी। प्रधान मंत्री ने भी उस दिन फैडरेशन की बैठक में कहा था कि यदि निजी क्षेत्र को विकसित होने देना अपेक्षित है तो उसे समुचित रीति से कार्य करते रहने देना चाहिए। यदि मंत्रालय इस बात पर आग्रह करता है कि प्रत्येक परिवर्तन के लिए मिलें अनुज्ञापत्र लें तो यह एक ऐसी बात है जो अपेक्षित नहीं थी। कहीं न कहीं कुछ भ्रान्ति अवश्य है और माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस स्थिति का स्पष्टीकरण करें जिस से कि मिलों के दिन प्रति दिन के कार्यकरण में रुकावट न पड़े।

श्री हेडा (निज़ामाबाद): हमारे देश की सब से बड़ी समस्या बेकारी की है। इस पर बहुत कुछ कहा भी गया है। इस समस्या के भी दो पहलू हैं। उत्पादन के सम्बन्ध में है और दूसरा उपभोग के सम्बन्ध में है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है हमें हानि नहीं हुई है।

[श्री हेडा]

उत्पादन सम्बन्धी स्थिति सुधर गई है। बाज़ार में चीज़ें उपलब्ध हैं और उन को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब मुख्य समस्या इन वस्तुओं के विक्रय अथवा उपभोग के सम्बन्ध में है। इन वस्तुओं के उपभोग के लिए विभिन्न तरीक़े अपनाये गए हैं। एक तरीक़ा लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा करना अथवा अधिकांश जनता की क्रयशक्ति को बढ़ाने का है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सी लोक हितकारी कार्यवाहियां प्रारम्भ की हैं। दूसरा तरीक़ा दस्तकारियों और ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है।

इस अवसर पर मैं मौन पालन कुटीर उद्योग का उल्लेख अवश्य करूंगा। यह उद्योग अपनी एक विशिष्टता रखता है और यह किसी भी अन्य उद्योग से, बड़े पैमाने के या छोटे पैमाने के, प्रतियोगिता या संघर्ष नहीं करता है। साथ ही कृषि का एक सहायक उद्योग है। इस से कृषि उत्पादन १०–२५ प्रतिशत तक बढ़ जाता है। किसी किसी मामले में तो उत्पादन २०० प्रतिशत तक बढ़ गया है। बिना मौन पालन उद्योग को विकसित किये कृषि का पूर्णरूपेण विकास नहीं हो सकता है।

इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मौन पालन उद्योग को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रभार से निकाल कर कृषि मंत्रालय के प्रभार में रखा जाए। इस सम्बन्ध में हम ने एक प्रस्ताव गत मास की दो तारीख़ इसी को नगर में हुई अखिल भारतीय मौन पालक संस्था की बैठक में पारित किया था। आशा है कि सरकार इस पर सहृदयता से विचार करेगी।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड, जो मौन पालन के प्रभार में है, इस उद्योग के विकास की ओर समुचित ध्यान देने में असमर्थ है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

यदि यह उद्योग खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के अधीन न हो कर किसी प्रथक बोर्ड के अन्तर्गत होता तो इस ने काफ़ी अधिक प्रगति कर ली होती। पंचवर्षीय योजना ने इस उद्योग को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना है इस के लिए मैं अखिल भारतीय मौन पालक संस्था की ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

यह अखिल भारतीय मौन पालक संस्था १९३७ में स्थापित हुई थी और तभी से विभिन्न प्रदर्शनियों में अपना प्रदर्शन करती रही है। यदि सरकार ने इस उद्योग के विकास में इस संस्था के कार्यकर्त्ताओं से सहायता ली होती तो अधिक उत्तम परिणाम निकलते। इस उद्योग के सामने तीन समस्यायें हैं। सब से बड़ी समस्या मौन पालन के लिए उपयुक्त स्थानों को प्राप्त करने की है। प्रारम्भ में मौन पालन एक आर्थिक प्रस्थापना नहीं हो सकती है। अतः सरकार या कृषि मंत्रालय तथा उस के विभिन्न माडल फ़ार्म मौन पालन केन्द्र स्थापित करें तथा मौन पालन के इच्छुक व्यक्तियों तथा किसानों को मौन पालन के लिए बिना मूल्य स्थान दें। यदि ऐसा किया गया तो इस उद्योग के विकास की सब से बड़ी रुकावट दूर हो जायेगी।

मैं मधु मक्खियों के छत्तों तथा इस उद्योग में काम आने वाले अन्य उपकरणों

के बनाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने अच्छा कार्य किया है, उस ने अपने प्रशिक्षण केन्द्रों को मधुमक्खी के छत्ते बनाने के लिए कहा था. पर न जाने क्यों अब उन्होंने उसका बनाना बन्द कर दिया है ।

इस उद्योग के सम्बन्ध में दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मधु के विक्रय के सम्बन्ध में है । मधु का कोई समुचित मार्केट नहीं है, अतः सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिस से कि लोगों को निश्चित हो जाए कि अमुक मार्के वाला मधु शुद्ध मधु है । इस से इसका मूल्य भी कम हो जाएगा और खपत भी बढ़ जायेगी । इस से उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा ।

तीसरे, सरकार को इस के लिए कुछ प्रचार कार्य भी करना चाहिए, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका में किया जाता है । प्रलेखीय चलचित्रों तथा किसी अन्य प्रकार के प्रचार साहित्य के द्वारा किसानों में यह बताया जाए कि मौन पालन को एक सहायक उद्योग तथा शौक़ के रूप में करने से उन को कितना लाभ हो सकता है ।

अखिल भारतीय मौन पालक संस्था के सभापति होने के नाते में यह सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता था । मुझे आशा है कि सरकार इन पर विचार करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

श्री के० के० देसाई (हालर) : हाल ही में राष्ट्रीय आय कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस से अनेक तथ्य हमारे सामने आये हैं । अब तक लोगों में इस बात पर मतभेद रहा है कि बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय या छोटे उद्योगों को । अनेक लोगों ने अपने अपने दृष्टि-कोण से अपनी अपनी राय दी है । लेकिन इस रिपोर्ट से बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं : इसमें बताया गया है कि बड़े उद्योगों से केवल ५५० करोड़ रुपये की आय होती है जब कि छोटे उद्योगों से ९०० करोड़ रुपये की आय होती है बड़े उद्योगों में २९,६९,००० मजदूर काम करते हैं जब कि छोटे उद्योगों में लगभग १,१५,००,००० मजदूर काम करते हैं । इतना सब कुछ होते हुए भी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बड़े उद्योगों को ही प्रोत्साहन दिया है । मेरा निवेदन है कि अब यह मंत्रालय बड़े उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान न देकर छोटे उद्योगों की ओर ध्यान दे । बड़े उद्योग अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं और उन्हें अब अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है । यदि छोटे उद्योगों पर ध्यान दिया जाए तो न केवल अधिक आय होगी बल्कि अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री जी० डी० सोमानी ने बड़े उद्योगों का पक्ष लेते हुए अनेक कठिनाइयों का वर्णन किया है । उन्होंने कहा है कि उद्योगों के पुनर्संस्थापन की आवश्यकता है । कपड़ा उद्योग ही ले लीजिए । १९३९ में कपड़ा उद्योग को २० से २५ करोड़ रुपये तक का घाटा हो रहा था जबकि अब उसके पास ७५ करोड़ रुपये फालतू हैं । मेरे विचार में यदि यह उद्योग चाहे तो इस राशि को पुनर्संस्थापन पर खर्च कर सकता है । बार बार सरकार से धन की याचना करना ठीक नहीं है । सरकार ने पहले ही प्रवक्षयण भत्ता ५ प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया है । इसके अलावा सरकार ने ३० प्रतिशत प्राथमिक भत्ता भी दे रखा है । इस प्रकार पुनस

[श्री के० के० देसाई]

स्थापन के मामले में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

उन्होंने वैज्ञानिकन का भी प्रश्न उठाया है । वैज्ञानिकन का उद्देश्य होता है कि चीजें सस्ती और अच्छी बनें । मैं पूछता हूं कि क्या प्रशासन और प्रबन्ध के सम्बन्ध में वैज्ञानिकन कर दिया गया है ? बर्किंग पार्टी की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और यदि सरकार उन पर ध्यान दे तो न केवल कपड़ा उद्योग का वैज्ञानिकन हो जायेगा बल्कि अन्य उद्योगों का भी । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री टेक-निकल व्यक्तियों की एक सरकारी कमेटी बना दें तथा एक लेखा-परीक्षक नियुक्त कर दें जो उद्योगों की आवश्यकताओं की पूरी तरह से जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखे ।

श्री सोमानी ने संयुक्त राज्य अमरीका का भी उल्लेख किया है । उनके विचार में हमारा उत्पादन उसी प्रकार से होना चाहिये जिस प्रकार अमरीका में होता है लेकिन क्या हम उस स्तर तक पहुंच गए हैं ? छः सात वर्ष पहले इंग्लैण्ड का एक प्रतिनिधि मंडल वहां अध्ययन करने गया था और उसकी राय यह थी कि इंग्लैंड को अमरीका के उत्पादन के तरीके नहीं अपनाने चाहियें । हमें भी अपना विकास अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए अपने ढंग पर करना चाहिये । माननीय मंत्री के कहने के अनुसार उत्पादन में ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अतः अब छोटे उद्योगों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि बड़े उद्योग तो लगभग अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं ।

श्री मुरारका (गंगानगर—झूंझनूं) : इसके पहले कि मैं साम्यवादी दल के नेता द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव के बारे में कुछ कहूं मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की औद्योगिक नीति क्या है जिसे साम्यवादियों ने राष्ट्र बिरोधी बताया है । हमारी औद्योगिक नीति १९४८ के संकल्प पर आधारित है जिसे योजना आयोग ने बाद में अपना लिया था । क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं इस लिए हमें विदेशों से सहायता लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये । परन्तु इस सम्बन्ध में तीन बातों का ध्यान रखा गया है जिन्हें यदि आप चाहें तो रियायतें कह सकते हैं । पहली यह कि विदेशी और देशी पूंजी के बीच, जहां तक औ-द्योगिक नीति की मोटी मोटी बातों का सम्बन्ध है, कोई भेदभाव न किया जायेगा । दूसरी यह कि विदेशी फर्मों को अपनी पूंजी वापस ले जाने या लाभ को बाहर भेजने की पर्याप्त सुविधायें प्राप्त होंगी । तीसरे यह कि जब कभी राष्ट्रीय-करण होगा तो राष्ट्रीयकृत उद्योगों को उचित प्रतिकर दिया जायेगा । मेरे विचार में इन रियायतों को कोई अनुचित नहीं कह सकता है

योजना आयोग ने औद्योगिक विकास के दो क्षेत्र रखे हैं । एक नीजि उद्योग क्षेत्र और दूसरा सरकारी उद्योग क्षेत्र है । निजी उद्योग क्षेत्र में भी काफी स्वतन्त्रता दे दी गई है अगर नियंत्रण लगाये भी गये हैं, तो राष्ट्र के हित में । उद्योगों के विकास के लिए विकास परिषदें बनां दी गई हैं जिन में उत्पादक, उपभोक्ता और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व रहता है ।

अब हमें यह देखना है कि यह नीति कहां तक सफल हुई है । इसकी परीक्षा

आप पांच तरीकों से कर सकते हैं। पहला यह कि सम्बन्धित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है या कमी। औद्योगिक उत्पादन देशना के अनुसार हमारा उत्पादन १९५२ में १२८·७ से बढ़ कर १९५३ में १३४ हो गया है। अतः वृद्धि हुई है। दूसरा यह कि नये उद्योग स्थापित हुए हैं अथवा नहीं। हम देखते हैं कि १९५३ में अनेक नये उद्योग स्थापित किये गये हैं तथा नई वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। तीसरे यह कि हमारे विदेशी व्यापार में अर्थात निर्यात में वृद्धि हुई है या नहीं। हम ने अब तैयार सामान काफी मात्रा में बाहर भेजना आरम्भ कर दिया है तथा विदेशों से हम तैयार सामान कम मंगाने लगे हैं। चौथा यह कि इससे अधिक मजदूरों को काम मिल सका है या नहीं। क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते इसलिये यह बताना कठिन है, फिर भी, मेरे विचार में यह नहीं कहा जा सकता कि उन की संख्या में कमी की गई है। पांचवा और अन्तिम तरीका यह है कि उत्पादन की लागत घट गई है या बढ़ी है। इस सम्बन्ध में भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिय किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

कुछ भी हो, एक बात स्पष्ट है कि इन तरीकों से परीक्षा करने के पश्चात् हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि १९५३ में सरकार की औद्योगिक नीति सफल रही है। जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमारी नीति राष्ट्र विरोधी है वे या तो यह नहीं जानते कि औद्योगिक नीति होती क्या है या यह नहीं जानते कि राष्ट्रीय हित किस बात में है।

राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी कुछ कटौती प्रस्तावों की सूचना दी गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं अपना रही है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग का विचार है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दो आवश्यक बातें हैं। पहली यह कि हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिये जिस से हम उन उद्योगों को प्रतिकर दे सकें जिन का हम राष्ट्रीयकरण करते हैं। दूसरी यह कि हमारे पास पर्याप्त टेकनिकल व्यक्ति होने चाहियें जो राष्ट्रीयकृत उद्योगों का भार संभाल सकें। देखा जाये तो हमारे पास दोनों ही की कमी है। इसके अलावा यदि वर्तमान धन को राष्ट्रीयकरण में ही लगा दिया गया तो विकास योजनाओं पर क्या खर्च किया जायेगा। लेकिन जब आवश्यकता हो तो सरकार किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है जैसा कि गत वर्ष उसने वायु कम्पनियों के सम्बन्ध में किया। इस से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई थी। अतः इस दिशा में धैर्य्य से काम लेने की आवश्यकता है।

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल): बुनकरों की सहायता के लिये सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वह देखने में तो ठीक मालूम होती हैं लेकिन उनको ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन में अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उदाहरण के लिये मैं जिस गांव से आता हूं उसमें १६०० हाथकरघे हैं। वहां के बुनकर तीन साल से एक बुनकर सहकारी समिति बनाना चाहते हैं लेकिन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उसे पंजीबद्ध ही नहीं करते हैं। बहुत लिखा पढ़ी के बाद जब मद्रास की सरकार

[श्री गाडिलिंगन गौड़]

ने ऐसा करने के लिये कहा भी था तब भी उसने समिति को पंजीबद्ध नहीं किया। अब आन्ध्र सरकार ने उस से फिर कहा है लेकिन वह कुछ सुनता ही नहीं है। अब भला बताइये कि बुनकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखे कि वह जो योजनाएं बनाती है उन्हें राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करें।

बिजली से चलने वाले करघों के सम्बन्ध में लाइसैन्स देने के बारे में भी इस प्रकार की गड़बडी हो रही है। उदाहरण के लिये आन्ध्र राज्य में दो व्यक्तियों ने बिजली के दस दस करघे लगाने के लिये लाइसैन्स मांगा था। उन्हें लाइसैन्स इस आधार पर नहीं दिया गया कि देश में सूत की कमी है। लेकिन उनमें से एक ने बिना अनुमति के ही बिजली के चार करघे लगा लिये। बाद में उसे रेशमी धागे से काम करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जब दो साल बाद फिर वही याचना की तो भी उसे लाइसैन्स नहीं दिया। देश में सूत की कमी बताई जाती है जब कि साथ ही सरकार कुछ मिलों को सूत निर्यात करने देती है। यह तो अजीब सी बात है। अतएव, मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे जिस से इस की योजनाएं उचित रूप से कार्यान्वित की जायें। यदि ऐसा न किया गया तो पंच वर्षीय योजना के असफल हो जाने की सम्भावना है।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : सरकार की औद्योगिक नीति का परीक्षण करके और उस के नतीजों को देख कर हम यह कह सकते हैं देश में उत्पादन के सम्बन्ध में सब तरफ वृद्धि हुई है, उत्पादन का सामान्य देशनांक १२८·७ से बढ़ कर १३४ हो गया है। यह बड़े संतोष का विषय है कि सब दिशाओं में प्रगति हुई है और सरकार ने चाय तथा पटसन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की भी काफी सहायता की है। मैं समझता हूं कि विदेशी व्यापार के मामले में भी सरकार ने युक्तियुक्त नीति का ही अनुसरण किया है और इसी के कारण आज़ हमारी विदेश-व्यापार सम्बन्धी स्थिति काफी अच्छी है।

सरकार ने देश के तथा बाहर के गैर-सरकारी हितों की सहायता से जो एक और विकास निगम स्थापित किया है, उस के लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूं। वर्तमान स्थिति को देखने से पता चलता है कि हमारे देश के संसाधन हमारी बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं हमारे यहां पूंजी का अभाव है और उसका विनियोजन भी पर्याप्त रूप से नहीं होता। जब तक हमारे यहां पूंजी का विनियोजन और अधिक नहीं होता तब तक हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हो सकती। मैं आशा करता हूं कि यह विकास निगम हमें नये उद्योगों की स्थापना में तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण में काफी सहायता देगा। इस सम्बन्ध में मैं विदेशी पूंजी प्राप्त करने के बारे में भी कुछ कहूंगा। मेरे विचार में हमारे जैसे देश के लिए, जहां स्थानीय संसाधन सीमित हैं और जहां पूंजी बचत भी अपर्याप्त है, विदेशी पूंजी बहुत आवश्यक है। हमने अपने देश के विकास एवं विस्तार के लिये तथा अपने

यहां के लोगों का निर्वाह-स्तर ऊंचा करने के लिए योजनायें बनाई हैं और इसका एक उपाय यही है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नति करें। परन्तु हमारे जैसे गरीब देश के लिये बिना विदेशी पूंजी की सहायता से इस उद्देश्य को पूरा करना बहुत कठिन है। विदेशी पूंजी के बिना हमारा काम चलना मुश्किल होगा। विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिये हमें अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना होगा, हमें गैर-जिम्मेदारी से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे विदेशी लोग हमारे यहां पूंजी लगाने में हिचकिचायें। हमें इस सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से भयभीत नहीं हो जाना चाहिये क्योंकि देखा जाये तो भारत में लगी सारी विदेशी पूंजी भारतीय पूंजी ही हो जायेगी और उस पर वही नियम लागू होंगे जो यहां आम तौर से भारतीय व्यापारियों पर लागू हैं।

मैं अब व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के बारे में कुछ कहूंगा। डा० लंका सुन्दरम् तथा अन्य सदस्य इस विषय पर बोले हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हों ने जो कुछ कहा है वह भावुकता से ही कहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की भांति यह भी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो पिछले पांच वर्षों से कार्य कर रहा है। इस करार से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में तथा आर्थिक सन्तुलन को पुनः स्थापित करने में सहायता मिली है। इसके कारण विश्व बाज़ार में स्थिरता आई है और बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े भी तय हुये हैं। मैं यह नहीं मान सकता कि इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को कुछ नुकसान पहुंचा है और इसकी नीति के कारण हमारे रक्षित उद्योगों को हानि हुई है। इस संगठन की उपयोगिता के बारे में जल्दबाज़ी से किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है।

अन्त में, मैं पटसन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। मैं यह कह सकता हूं कि यदि सरकार ने इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं ली होती तो कच्चे पटसन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती। सरकार की नीति के कारण ही विदेशी बाज़ार में अधिकाधिक प्रतियोगिता के होते हुये भी हमारे माल की उतनी ही खपत होती रही है। पटसन उगाने वाले काश्तकार पटसन जांच आयोग की नियुक्ति के लिये सरकार के आभारी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस आयोग की सिफारिशों को बिना किसी देर के क्रियान्वित करदे।

जैसा पिछले वर्ष भी मैं ने कहा था, पटसन के क्षेत्र में हमारे बहुत से स्पर्धक खड़े हो गये हैं और हमारी स्थिति पुरानी जैसी नहीं रही है। हमें इसके लिये अपने आपको तैयार करना है। फिलीपीन्स, दक्षिणी अफ़्रीका, ब्राजील, मिस्र और पाकिस्तान हमारे मुख्य स्पर्धक हैं। पाकिस्तान के पास अच्छे किस्म का कच्चा पटसन है और उसके यहां आधुनिक मिलें भी हैं जिनसे वह हमें विश्व बाज़ार से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करेगा। तो इससे बचने के लिये मैं दो सुझाव देना चाहता हूं; एक तो यह कि हमें अपने कच्चे पटसन की किस्म सुधारने के लिये विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये और दूसरे यह कि हमें अपनी मिलों में आधुनिक मशीनें स्थापित करनी चाहियें। मैं मानता हूं कि मिलों के आधुनिकीकरण से कुछ लोग बेकार हो जायेंगे परन्तु इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। इन बेकार लोगों

[श्री एल० एन० मिश्र]

काम दिलाने के लिए राज्य तथा उद्योग-पति प्रयत्न कर सकते हैं परन्तु जब तक आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक आप उद्योग की रक्षा नहीं कर सकते । पटसन उगाने वाले लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं एक बात यह और कहना चाहता हूं कि इन लोगों को पटसन के ठीक ठीक दाम दिये जाने चाहियें ।

सरदार अकरपुरी (गुरदासपुर) : सभापति जी, मैं देखता हूं कि हाउस में बड़े बड़े कारखानेदारों और सरमायेदारों ने इस डिमान्ड के हक में और मुखालफत में कहा है । मेरे जैसे ऐग्रिकल्चरिस्ट के वास्ते इस पर कहने की बहुत गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं चन्द एक बातों को आनरेबुल मिनिस्टर साहब के गोशगुजार करना जरूरी समझता हूं ।

जहां तक इण्डस्ट्री की तरक्की का ताल्लुक है, रिपार्ट से साफ जाहिर होता है कि पिछले चन्द सालों में जितनी तरक्की इन्डस्ट्री ने की है वह हैरतअंगेज है । इतने थोड़े समय में, इतनी ज्यादा तरक्की, और उस देश में जिस में कि हजारों बरस की गुलामी की वजह से कमजोरी आ चुकी हो हैरान करने वाली चीज है जिस मुल्क में सुई तक नहीं बनती थी, वहां अब रेलवे इंजन मोटर और साइकिलें और अनगिनत चीजें बनती हैं । वह सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं जो चीजें रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं, उन में से एक चीज की तरफ मैं आनरेबल मिनिस्टर की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । वह चीज देश में अब बननी शुरू हो गई है लेकिन वह एसी चीज है जो कि हमारे देश में बनते हुए भी मंहगी पड़ रही है मेरा मतलब बाल बेअरिंग से है । सन् १९५२ से पहले बाल बेअरिंग जापान से आती थी और उन की दरआमद पर कोई पाबन्दी नहीं थी जापान हिन्दुस्तान से लोहा लेता था और बाल बेअरिंग बना कर हिन्दुस्तान भेजता था । यह वही बाल बेअरिंग है जो कि रिक्शा और चैफ कटर (ढोका) में लगती है जिस का नम्बर होता है ६२०५ और ६२०६ । यहां आ कर उस का दाम ३ रु० १५ आ० पेअर पड़ता था । जापान उस के लिये ९४ रु० १२ आ० ड्यूटी भी अदा करता था, फिर भी सारे अखराजात बर्दाश्त करने के बाद वह हिन्दुस्तान में ३ रु० १५ आ० पेअर पड़ती थी । उस की मोनोपोली सन् १९५२ में एक बड़े सरमायेदार को दे दी गई और उस की दर्ख्वास्त पर उस की इम्पोर्ट बन्द कर दी गई । काबिल तवज्जह बात यह है कि जब उस की इम्पोर्ट बन्द हुई, हर दफ्तर में सरमायेदारों का कोई न कोई आदमी होता है, उस से पता कर लिया कि कब इस की इम्पोर्ट बन्द होगी, जितनी बाल बेअरिंग हिन्दुस्तान में थीं वह ६, ७, ८ रु० तक में इस कम्पनी ने खरीद लीं और इम्पोर्ट बन्द होने के बाद उन्हीं को १२,१२ रु० में बेचा । उन लोगों ने इस तरह से लाखों नहीं करोड़ों रुपये पैदा किये अब जो मोनोपली बाल बेअरिंग की दी हुई है वह नेशनल बाल बेअरिंग कम्पनी, जैपुर के पास है, वह कम्पनी बाल बेअरिंग का एक पेअर १० रु० ४ आ० में देती है । अगर यह बाल बेअरिंग बड़े बड़े कारखानों में इस्तेमाल होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जो आदमी इतना सरमाया कमाता है वह ज्यादा पैसा भी दे सकता है, लेकिन जो लोग बाल बेअरिंग खरीदते हैं वह ज्यादातर गरीब लोग रिक्शा वाले और जमीदार

लोग होते हैं । जब कि पहले एक बाल बेअरिंग की कीमत उस को ३ रु० १५ आ० पड़ती थी, उसी के लिये अब उस को १० रु० ४ आ० देने पड़ते हैं यानी उस की कीमत ६ रु० ५ आ० बढ़ जाती है । इसी तरह से जो गरीब रिक्शे वाले हैं जो कि एक दिन में २,२ ३,३ रु० कमाते हैं उन को भी इसी तरह से मंहगी बाल बेअरिंग खरीदनी पड़ती है । मैं समझता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान में किसी भी चीज के लिये दो पालिसियां नहीं होनी चाहियें ।

मैं ने सुना है कि कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी इस लिये कि वह बताये कि यह बाल बेअरिंग इतनी मंहगी क्यों पड़ती हैं । उन्होंने कहा कि नहीं अभी इससे उनका खर्चा पूरा नहीं होता है । यानी अभी यह सस्ती बिक रही हैं, इस को और मंहगी होना चाहियें । मैं कहता हूं कि अगर बाल बेअरिंग बनाने वालों को बचत नहीं है, उन को तकलीफ है, तो आप उन को तकलीफ क्यों देते हैं ? इस को इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दें, मोनोपोली बन्द कीजिये, और लोगों को भी बनाने की इजाज़त दीजिये । मैं अक्सर सुनता हूं कि हाउस में कहा जाता है कि गन्ने की कीमत १ रु० ७ आ० मुकर्रर की गई है । टैरिफ कमिशन ने ऐसा खयाल करके चीनी की कीमत २७ रु० मन मुकर्रर की अब चीनी ३० रु० से ३५ रु० मन तक बिक रही है । हमारे मिनिस्टर साहब का इस पर कहना यह है कि देखो, भाई गन्ना बोना है तो बोओ, नहीं बोना है तो न बोओ, अगर हमें चीनी बाहर से सस्ती मिलती है तो हम बाहर से ले लेंगे । चीनी चूंकि सस्ती पड़ती है इस लिये बाहर से लेते हैं क्योंकि उस में काश्तकारों को पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन चूंकि बाल बेअरिंग मंहगी बेच कर सरमायेदारों को फायदा पहुंचता है, इस लिये बाहर से बाल बेअरिंग मंगाने से हालांकि सस्ती पढ़ती है, लेकिन उस को मंगाने को तैयार नहीं हैं । मैं कहता हूं कि अगर बाल बेअरिंग भी बाहर से लेना सस्ता पड़ता है तो लेना चाहिये । मोनोपोली वालों का हिसाब भी देखना चाहिये मैं समझता हूं कि देश का रुपया देश में रहना ठीक है, लेकिन गरीबों का रुपया इस तरह से सरमायेदारों के घर में जाना ठीक नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी कान्स्टिटुएन्सी में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भरी पड़ी हैं उन में भी यह चीज इस्तेमाल होती है । वह इन्डस्ट्रीज बार्डर पर पड़ती हैं, और वहां पर ८० फीसदी इन्डस्ट्री रिफ्यूजियों के पास हैं, पहले वह मुसलमानों की थीं । मैं ने एक दफा आनरेबल मिनिस्टर साहब से अर्ज किया था, जैसे चौधरी साहब को शिकायत है कि आसाम में हमारे मिनिस्टर साहब नहीं जाते क्योंकि वह बहुत दूर है, उसी तरह से वह पंजाब में भी नहीं जाते हैं, कि एक दफा हमारे यहां चल कर तो देखिये कि वहां पर इडस्ट्रीज में क्या हो रहा है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बार्डर की इन्डस्ट्रीज हैं, उन की तरफ ज्यादा तवज्जह देना चाहिये । आखिर बटवारे के बाद जो अमीर लोग थे वह तो बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली चले गये, वहां जो छोटे छोटे, गरीब लोग बच गये, जो कि इन्डस्ट्रीज को चला रहे हैं, उन को रुपया देना चाहिये, उन की मदद करनी चाहिये । उन को बहुत तकलीफ है । छोटी छोटी बातों को देखिये । उन के क्लेम्स की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन वह उन को मिले नहीं हैं, जितने कारखानेदार हैं उन को वह किराया देते हैं । मैं ने एक कारखाने का हिसाब

[सरदार अकरपुरी]

लगाया, बटाला में उस कारखाने की कीमत लोग ३५ हजार नहीं देते, लेकिन अगर उस का हिसाब किताब देखा जाय तो ५,७ साल में वह ५० हजार के करीब किराया दे चुके हैं । उस की जायदाद सरकार के पास जमा है, उन के क्लेम्स तस्दीक हो चुके हैं, तो क्या वजह है कि उन को कारखाने एलाट करके उनका किराया बन्द नहीं किया जाता ।

अब मैं प्लैस एक्स्ट्रा आन आयरन ऐंड स्टील के बारे में कहना चाहता हूं । यह पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश में कराची से आता था । उस वक्त कराची, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता यह चार पोर्ट्स थे । तो जब कराची से यह आता था उस वक्त इस का ३५ रु० टन किराया देना पड़ता था, लेकिन इस वक्त वह कलकत्ते से आता है जिस के लिये वहां के लोगों को ८७ रु० टन किराया देना पड़ता है । बम्बई से अहमदाबाद को जो प्लैस एक्स्ट्रा आन आयरन ऐंड स्टील जाता है उस पर उन को किराया बहुत थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि बम्बई से किराया ज्यादा नहीं लगता । कलकत्ते से अहमदाबाद उतना ही दूर है जितना दूर कलकत्ते से अमृतसर है । अमृतसर के लोगों को तो ८७ रु० टन किराया देना पड़ता है और अहमदाबाद को बम्बई से बहुत कम किराया देना पड़ता है । तो इस के मुताल्लिक मैं दरख्वास्त करूंगा कि अमृतसर को भी पोर्ट डिक्लेअर कर दिया जाय ताकि पैप्सू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वालों को इस के मुताल्लिक कोई दिक्कत न हो ।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं आज कल में एक डेपूटेशन शायद फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से और इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से मिला होगा । उन्होंने उनके सामने जो आर्ट सिल्क के मुताल्लिक रिप्रेजेंटेशन किया है वह बहुत वाजिब है । सारे हिन्दुस्तान में आर्ट सिल्क की ५०,००० खड्डियां हैं उनमें से २,९७५ अमृतसर में हैं और १५,००० आदमी इन पर काम करते हैं जिनमें ज्यादातर रिफ्यूजी हैं । वह बहुत अच्छी तरह से अपना काम चलाते हैं । जो माल इम्पोर्ट होता है उस पर वह काफी ड्यूटी भी देते हैं । अब उन पर एक्साइज़ टैक्स लगने वाला है । वह इस बात से डरते हैं और वह कहते हैं कि चाहे आप खड्डियों पर और टैक्स बढ़ा दें लेकिन हमें एक्साइज़ मुहकमे के सुपर्द न करें नहीं तो यह हमको लूट कर खा जायेगा । उनको एक यही तकलीफ है और मैं समझता हूं कि वाजिब तकलीफ है मैं तो देखता हूं कि जिस ईमानदारी से हमारे मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर काम करते हैं उस तरह मुहकमा नहीं करता । अगर मुहकमा भी उनको इसी तरह मदद करे तो मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल हल हो जाय । तो उन लोगों को एक ही शिकायत है कि हमें एक्साइज़ वालों के सुपुर्द न किया जाय, वह हमारी एक भी पेश नहीं चलने देंगे । इसलिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से और इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से दोनों से, जो कि यहां इस वक्त मौजूद हैं, यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को खत्म न होने दें । यह बार्डर का इलाका है और यहां पर इस काम से लोग थोड़ा पैसा कमा लेते हैं ।

एक बात मुझे और अर्ज करनी है । वह यह कि पंजाब में चीनी का कोई कारखाना नहीं है, सिर्फ पैप्सू में हमीरा में एक चीनी का कारखाना है उसको भी आपने शिफ्ट करने की इजाज़त दे

दी है । वहां गन्ने के लिए ज़मीन भी बहुत अच्छी है और पानी भी है । वहां काफी गन्ना हो सकता है और वहां गन्ने का कारखाना होना चाहिए मैं समझता हूं कि जब तक गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी वहां चीनी का कारखाना नहीं खुल सकता ।

एक बात और कह कर खत्म करता हूं । पंजाब में इतनी कपास होने लगी है कि आप लायलपुर, सरगोधा और मांटगोमरी को भूल जायंगे । यहां कपास की फस्ल इतनी अच्छी होती है कि जहां पहले पंजाब में १६ मन फी एकड़ कपास निकलती थी वहां अब २० मन निकलती है । लेकिन रुई का सिर्फ एक ही कारखाना खन्ना में है । मैं अर्ज करूंगा कि हमारे बहुत से लोग पाकिस्तान में रुई के कारखाने चला रहे थे, हर मंडी में रुई के कारखाने थे । अब आप उन लोगों को कम्पैंसेट करने वाले हैं । आप उनके लिए यह शर्त लगावें कि गवर्नमेंट उनको मदद करेगी और वह रुई के कारखाने खोलें । अगर पंजाब में यह कारखाने खुल जायं तो अकेले पंजाब ही से आपको इतनी रुई मिल जायगी कि आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी । मुझे इतना ही कहना है ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं इस मंत्रालय की प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । मुझे मालूम है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सामने अब उतनी बड़ी समस्यायें नहीं रही हैं जो कुछ समय पहले थीं । मुझे यह भी मालूम है कि देश के वाणिज्य तथा उद्योग और इस मंत्रालय के बीच अब अधिक सहयोग से कार्य होता है । मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि अब सरकार यह समझने लगी है कि गैर-सरकारी उद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके काम में अनुचित बाधा डालना गलत है ।

जहां तक मूल समस्याओं का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि हमने इनके सम्बन्ध में उतनी प्रगति नहीं की है जितनी हम चाहते थे । स्वयं मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि प्रगति संतोषजनक नहीं हुई है । मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से यह पूछना चहता हूं कि औद्योगीकरण की रफतार इतनी धीमी क्यों है । क्या इसकी वजह यह है कि लोग पूंजी लगाने में हिचकिचाते हैं या कोई और कारण हैं ? मैं माननीय मंत्री से इस विषय में सही सही बातें जानना चाहता हूं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अधीन वाणिज्य और उद्योग दोनों आते हैं । इसके सामने बहुत सारी समस्यायें है और कभी कभी इसे परस्पर विरोधी मामलों का फैसला करना होता है ।

अब ज़रा शासनिक व्यवस्था पर ध्यान दीजिये । यह मंत्रालय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय कहलाता है परन्तु बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो इसके नीचे नहीं आते । उदाहरण के लिये चीनी और बनस्पति कृषि मंत्रालय के अधीन हैं । कोयला खान उद्योग उत्पादन मंत्रालय के अधीन है और जहाज़रानी परिवहन मंत्रालय के अधीन । इसी तरह बैंकिंग और बीमा, जो वाणिज्य और उद्योग के महत्वपूर्ण अंग हैं वित्त मंत्रालय के अधीन हैं । तो इस तरह से विभिन्न उद्योग विभिन्न मंत्रालयों के अधीन हैं । मैं नहीं जानता कि इन मंत्रालयों में विभिन्न प्रश्नों पर किस

[श्री तुलसीदास]

तरह समन्वय रखा जाता है । हम अक्सर समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ फैक्टरियां कोयले या अन्य सामग्री की कमी के कारण बन्द हो गई है । कई बार ऐसा होता है कि तैयार माल एक जगह से दूसरी जगह जल्द नहीं पहुंचाया जाता । तो हम यह जानना चाहते हैं कि मंत्रालयों में समन्वय किस प्रकार होता है । क्या यह तो एक वजह नहीं है । जिससे उद्योग धन्धों में आवश्यक प्रगति नहीं हो पा रही है यदि एसी बात है तो हमें इसके लिये कोई प्रबन्ध करना होगा या तो हमें मंत्रालयों में फेर बदल कर देनी चाहिये या फिर इनमें समन्वय स्थापित करने के लिय कोई व्यवस्था करनी चाहिय स्वंय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन बड़े बड़े उद्योग भी हैं । और घरेलू उद्योग भी इन दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिये भी उसे व्यवस्था करनी चाहिये वरना इसका काम सुविधापूर्वक चलना कठिन है ।

अभी मैं प्रदर्शिनी देखने गया था जहां मुझे कुछ इश्तहारों को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ । मैं आपके सामने एक दो उदाहरण दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से प्रचार किया जा रहा है एक इश्तहार में लिखा है कि उनी कपड़े के उद्योग में २७,००० व्यक्ति काम करते हैं परन्तु इसके कारण घरेलू उद्योग में लगे २ लाख व्यक्ति बेकार हो गये हैं दूसरे इश्तहार में कहा गया है कि रेशम उद्योग में १८ हजार लोग काम कर रह हैं परन्तु इससे दो लाख लोग बेकार हो गऐ हैं इसी तरह एक अन्य इश्तहार में कहा गया है कपड़ा बुनने और कातने के उद्योग में ७५०,००० लोग काम करते हैं परन्तु इसने २३ लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया है । तो इस तरह का प्रचार किया जा रहा है जिससे और ज्यादा गड़बड़ फैल रही है पता नहीं इन सब बातों का मतलब क्या है ? यह कहना ठीक नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग छोटे छोटे उद्योगों के दुश्मन हैं इन इश्तहारों में यह दिखाया गया है कि इन उद्योगों के कारण बेकारी फैली हुई है यह चीज़ ग़लत हैं । जैसा मैं पहले कह चुका हूं घरेलू उद्योगों को उचित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । हम यह चाहते हैं कि सरकार जिन्हें हमेशा ही अर्थ सहायता नहीं देती रहे इन उद्योगों को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये । इसके लिये हमें अपने यहां एक ऐसा प्रशासणिक संगठन स्थापित करना चाहिये, जो इन उद्योगों में बने माल की खपत की व्यवस्था करे । इसी से घरेलू उद्योग प्रगति कर सकतें हैं और बड़े बड़े उद्योगों के साथ उनके कार्य का समन्वय किया जा सकता है ।

अन्त में मैं इतना कहूंगा कि गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योगपतियों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि यह क्षेत्र वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के ही अधीन हैं, इसलिये इस बात की पूरी देख-भाल होनी चाहिये कि इस मंत्रालय के कार्य में अधिक से अधिक समन्वय हो ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे लिये सदन के प्रति आभार प्रकट करना आवश्यक है क्योंकि इस ने मेरे मंत्रालय के बारे में बहुत ही सहिष्णुता दिखाई है । २२ वक्ताओं में से केवल दो ने हमारे लिये कठोर शब्द कहें

सदन को अपनी कई समस्याओं के बारे में कुछ कहने से पहले मैं माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम द्वारा उठाई गई बातों को लूंगा । मुझे इस बात से आश्चर्य तो हुआ ही पर कुछ खुशी भी हुई कि डा० लंका सुन्दरम् ने अपनी चर्चा मंत्रालय के काम

के एक ही पहलू तक सीमित रखी । यदि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने चार पांच बातों पर आलोचना की होती तो हम शायद सरकार की नीति की व्याख्या कर सकते । इसलिये जब मैं ने डा० लंका सुन्दरम् का कटौती प्रस्ताव देखा तो मुझे सहर्ष आश्चर्य हुआ ।

अब मैं उन द्वारा उठाई गई बातों को लेता हूं । सबसे पहले में उस मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में एक पत्रिका का हवाला देकर माननीय सदस्य ने यह आक्षेप किया कि सरकार मंत्रियों के रिश्तेदारों तथा मित्रों को अनुज्ञप्तियां देती है । मेरे पास उस पत्रिका की कतरन है । मैंन यह पत्रिका देखी और दो प्रतियां मंगाईं । एक प्रति मैं ने प्रधान मंत्री को भेजी ताकि वे जांच करें । बात ऐसे बनी कि प्रधान मंत्री को एक मामले का पता था परन्तु मुझे इसका कुछ ज्ञान न था । जब कभी कोई पक्ष विशेष सरकार से कोई प्रार्थना करे और यदि हमारा उस में स्वार्थ हो अथवा उस के प्रति कोई पक्षपात की भावना हो अथवा यदि किसी पक्ष विशेष के बारे में हम ने अपनी राय प्रकट की हो तो ऐसा मामला प्रधान मंत्री के पास भेजा जाता है जो या तो स्वयं इसका विनिश्चय करते हैं या अपनी इच्छा से किसी अन्य मंत्रालय के पास विनिश्चय के लिये भेजते हैं । यदि साधुओं जैसे वस्त्र पहने बिना कोई सन्यासी हो और वह अपने रिश्तेदारों से कितना भीं दूर रहे, फिर भी रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं । श्रीमान्, जब मैं इस मंत्रालय में आया तो उस समय मैंने प्रधान मंत्री से कहा कि मुझे व्यापार से कुछ सम्बन्ध रहा है और मेरे दो पुत्र व्यापार कर रहे हैं । उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा—मंत्री के स्तर पर—स्व-विवेक से काम लिया जाये तो ऐसा मामला प्रधान मंत्री के पास भेजा जायेगा और इस प्रणाली के लागू करने से इस बात का संरक्षण होगा । यह एक ऐसा ही मामला है जो प्रधान मंत्री के पास भेजा गया था और जिसको प्रधान मंत्री ने ही निपटाया है । परन्तु प्रश्न यह उठाया गया कि हम ने पत्रिका में छपी बात का खंडन क्यों नहीं किया । श्रीमान्, यदि कोई उत्तरदायी वक्तव्य हो तो उसका खंडन होना चाहिये.....

श्री वी० पी० नायर : विषय क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पत्रिका का नाम बताना नहीं चाहता ।

श्री वी० पी० नायर : कपड़े धोने के सोडे का आयात करने की अनुज्ञप्तियां देने के बारे में कुछ शिकायत है.....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह एक भिन्न मामला है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनका उत्तर दूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : अवश्य ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विशेष मामले में जो कुछ इस पत्रिका में छपा था उसका खंडन करना उचित ही नहीं था ।

दूसरे मामले के बारे में मैं अपने माननीय मित्र को संतोष दिलाऊंगा । इस के सम्बन्ध में वह और उनके मित्र प्रधान मंत्री को पत्र लिख सकते हैं और प्रधान मंत्री उसका उत्तर देंगे । यदि वह चाहें तो वह मेरे और प्रधान मंत्री के बीच हुआ सारा पत्र-व्यवहार देख सकते हैं जो मेरे पास है और मुझे आशा है उनको संतोष होगा और यदि न हो तो वह प्रधान मंत्री से यह बात पूछ सकते हैं ।

तो यह बात मैं बताना चाहता था क्योंकि मेरे लिए यह आकुलता का कारण था । परन्तु, क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था तो मैं ने बता दिया है कि इस मामले में प्रधान मंत्री से परामर्श किया गया था और उन्होंने कहा कि खंडन करने की आवश्यकता नहीं ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

श्रीमान्, अब मैं डा० लंका सुन्दरम् द्वारा उठाई गई दूसरी बात को लेता हूं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, यद्यपि वह ज़रा दूर भी चले गये। उन्होंने मशीनों के आयात के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े लिये और कहा कि मेरे माननीय सहकारी, जो मेरे पूर्व बोले, उन्होंने तथ्यों को गलत रूप में प्रकट किया। मैं बताना चाहता हूं कि गलत रूप में कोई बात नहीं रखी गई थी। यदि मेरे माननीय मित्र सचमुच यह अनुभव करते हैं कि इस देश में उतना औद्योगीकरण नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये था—जैसा कि श्री बंसल तथा प्रो० साहा ने कहा—मैं इस आरोप से पीछे नहीं हटता। यदि मैं इस आरोप को ठीक न मानता, तो योजना आयोग अपनी योजना का पुनर्निरीक्षण करने का कष्ट ही क्यों करता या हम देश में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए नये तरीके और नये रास्ते निकालने का कष्ट ही क्यों करते। वास्तव में हम भी यह बात अनुभव करते हैं। मेरे माननीय मित्र, श्री खण्डूभाई देसाई ने कहा कि हमने जो तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं उन में कुछ अधिक संतोष की भावना प्रकट होती है। मुझ में बिलकुल भी अति-संतोष की भावना नहीं। जैसे मैं ने पहले भी कहा है, मैं उन में से हूं जो वर्तमान हालतों से बिलकुल असन्तुष्ट हैं और मैं भी श्री साहा के समान चाहता हूं कि यदि सम्भव हो तो हमारे देश का १५ गुना अधिक औद्योगीकरण हो जाये। इस बात पर तो कोई मतभेद ही नहीं। तो डा० लंका सुन्दरम् का मुझे ही सब बातें कहने का क्या अभिप्राय है ?

डा० लंका सुन्दरम् : मैं पूछता यह था कि योजना के तीसरे वर्ष के बाद उत्पादन में जो गिरावट हुई है उसका क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उत्पादन में कोई गिरावट नहीं हुई है। नहीं तो आंकड़े गलत हैं। समूची देशना के आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। जहां तक भिन्न भिन्न मदों का सम्बन्ध है, उनमें फर बदल होता रहता है। उदाहरणतः गंधक के तेजाब तथा सूपर-फास्फेट्स को लीजिये। दुर्भाग्यवश, कई कारणों से गंधक के तेज़ाब के उपयोग में कमी हुई है। हो सकता है कि इस का कारण यह हो कि कृषक इसका अधिक उपयोग नहीं करता। कई ऐसी और मदें हैं। और मेरे माननीय मित्र को यह नहीं कहना चाहिये कि हमने प्रतिवेदन में उनका उल्लेख नहीं किया है। योजना आयोग ने दो प्रतिवेदन दिए हैं। हो सकता है कि वह इन प्रतिवेदनों को संतोषजनक न समझें परन्तु वह तो तथ्यों के प्रतिवेदन हैं और उन में से एक उदाहरण अलग करके यहां देना लाभकर नहीं। वास्तव में मेरे पास रासायनिक तथा खनिज उद्योगों के उत्पादन सम्बन्धी मासिक आंकड़े आते हैं और मैं उनको गौर से देखता हूं। समूचे परिणाम ठीक भी हों तो अलग अलग कई मदों के बारे में उत्पादन संतोषजनक नहीं है।

मैं दूसरे मामले का उल्लेख करूंगा। डीज़ल एञ्जिनों का उदाहरण लीजिये। १९५२ के पहले डीजल एन्जिन खुले आम लायसेंस में सम्मिलित थे। इसका कारण खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का यह आग्रह था कि डीजल एञ्जिनों का आयात किया जाना चाहिए अन्यथा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को हानि पहुंचेगी : यही कारण था कि उन्हें खुले आम लायसेंस में रखा गया। इसका वास्तविक परिणाम यह हुआ कि डीज़ल एञ्जिन की जो अधिकांश फैक्टरियां यहां खोली गई थीं उन्हें बन्द करना पड़ा। तब १९५२ के उत्तरार्द्ध में, हमने इन एञ्जिनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। केवल २५ अश्व शक्ति

वाले एञ्जिनों की ही अनुमति दी गई । स्टाक की खपत होने और लोगों द्वारा पुनः कार्य आरम्भ होने में पर्याप्त समय लगता है । डीज़ल एञ्जिनों का निर्माण करने वाली बड़ी बड़ी ८ फैक्टरियों में से केवल एक फैक्टरी ने ही क्षमता से अधिक निर्माण किया है । यदि मासिक औसत को किसी बात का द्योतक मान लिया जाय तो उनकी क्षमता ३,००० से ३,८०० प्रति वर्ष रही है ।

एक और तथ्य है । यह निजी उद्योगों में घटित होता है । निजी व्यक्तियों द्वारा पूंजी तलाश करना और उनकी वस्तुओं को खरीदने वाले संगठनों को मालूम करने का प्रश्न है । अतः बहुत से मार्गों का उल्लेख किया गया है जब हम यह सोचते हैं कि औद्योगिक उत्पादन संतोषजनक है। कुल उत्पादन संतोषजनक है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि भारत जैसे देश में जहां उत्पादन स्तर इतना निम्न है हम प्रारम्भिक देशनांक से ३२ बिन्दु ऊपर हैं । इसके विपरीत मैं अनुभव करता हूं कि माननीय सदस्यों को वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मेरे साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए ।

श्री मेघनाद साहा : कारण ढूंढने का प्रयत्न कीजिए ।

श्री एस० एस० मोरे : वह स्वयं ही कारण है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय मित्र श्री साहा विख्यात व्यक्ति है, साथ ही वह चतुर भी हैं । उनके साथ कठिनाई यह है कि जब वह भ्रम में रहते हैं तो वह समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति भ्रम में हैं ।

दूसरा प्रश्न साम्राज्य अधिमान के सम्बन्ध में है जिसका उल्लेख डा० लंका सुन्दरम ने किया है । मैं ने इस तथ्य को विस्मरण नहीं किया है कि मैं इस की जांच के लिए बराबर वायदे करता रहा हूं । मैं ने विभागीय समिति द्वारा मामले की जांच कराई है और उस से प्रकट हुआ है कि स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी माननीय मित्र समझते हैं । उचित समय में हम तथ्यों को प्रकाशित करने का विचार रखते हैं । वस्तुतः मैं अपने आपको इस आरोप से मुक्त कर देना चाहता था कि मैं ने उक्त मामले की जांच नहीं की है ।

डा० लंका सुन्दरम् : आपने कहा कि मामले की प्रारम्भिक पर्यवेक्षण यह बताता है कि संतुलन हमारे विरुद्ध नहीं है । मुझे प्रतिवेदन दिखाइये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारे पूरी तरह देख लेने पर वह यथा समय दिया जायगा।

श्रीमान, माननीय मित्र इसे वाद-विवाद का विषय बनाना चाहते हैं : वह युवक हैं । मैं वृद्ध हूं । एक समय था जब मैं ने नाम पैदा करने का प्रयत्न किया था और अब डा० लंका सुन्दरम प्रकाश में आना चाहते हैं । यह महत्वाकांक्षा सर्वथा उचित है ।

कार्यकारी दल के प्रतिवेदन ने इसे गलत रूप में उपस्थित किया है । नियंत्रण का संचालन आधुनिकीकरण, अभिनवीकरण और इन सब समस्याओं पर कार्यकारिणी दल के प्रतिवेदन में चर्चा की गई थी लेकिन कुछ और मामले भी हैं जिन पर आगे विमूल्यीकरण करने और हाथकरघा विद्युतचालित और मिल उद्योग तीनों में सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता है । अतः कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर गम्भीर रूप से विचार करने के बाद हम ने अनुभव किया कि हमें इन पर और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता थी और इसी लिए कानूनगो

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

समिति नियुक्त की गई थी । चूंकि सब प्रकार के नियंत्रण समाप्त हो गये हैं कार्यकारी दल की अधिकांश सिफारिशें व्यर्थ हैं । जब कानूनगो समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तो वह कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार करेगी । उसी समय हम सम्भावित निर्णय कर सकेंगे ।

मुझे एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण भी देना है । मुझे स्मरण नहीं है कि डा० लंका सुन्दरम का कोई पत्र मुझे मिला हो । संभव है कि एक मंत्री को यह बातें मालूम न रहें । मैं अन्य कितने ही कार्यों का अपराधी होऊं लेकिन संसद-सदस्य के प्रति अशिष्टता करने का अपराध मुझ पर नहीं मढ़ा जा सकता है ।

सदन को मालूम होगा कि मंत्रालय के सामने जो भी समस्याएं उपस्थित हैं उन सब के बारे में विचित्र दृष्टिकोण व्यक्त किये गये हैं । विरोधी दल द्वारा भी अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधान किया गया है । इन सब से मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि सदन समस्याओं की जटिलता से निरन्तर अवगत होते जा रहे हैं । स्वयं औद्योगीकरण के प्रश्न पर भी अनेक उदाहरण हैं । उदाहरण के लिए, सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने शीघ्रतापूर्वक औद्योगीकरण नहीं किया है । मैं यह स्वीकार करता हूं और मुझे हर्ष है कि यह अधीरता ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी ।

किस पद्धति का अनुसरण किया जाये इस विषय में भिन्न भिन्न बातें सामने आती हैं । श्री तुलसीदास किलाचंद मुझसे पूछते हैं कि पूंजी क्यों नहीं आगे आती है । मेरे पास कभी अधिक पूंजी नहीं रही । कदाचित यदि मेरे पास पूंजी होती तो मैं यहां नहीं होता । कुछ और लोग हैं जो अधिक विदेशी सहायता चाहते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो विदेशी सहायता कदापि पसन्द नहीं करते हैं इस विषय पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा । एक सदस्य ने मुझ से विभिन्न आंकडों के सम्बंध में पूछा मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि पिछले वर्ष तक पूंजी विनियोग करने की अपेक्षा वापिस अधिक ली गई है । लेकिन यह संतोष की बात है कि पूंजी विनियोग हुआ है तथा वह उन स्रोतो में हुआ है जहां नवीन वस्तुओं का उत्पादन होता है । पूंजी उन उद्योगों के सम्बंध में निकाली गई है जिनकी प्रतिष्ठापना पहले हो चुकी है । भारतीय पूंजीपति दूसरे उद्योगों में पूंजी विनियोग करने लगें । पूंजी में भीरूता नहीं आई है । जहां तक उसका मुझसे सम्बन्ध है पूंजी भीरू हो गई है लेकिन चाय बागानों और जूट मिलों के सम्बन्ध में वह भीरू नहीं है । इसके बाद राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है । यद्यपि राष्ट्रीयकरण के विषय में कटौती प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, सौभाग्य से उद्योगों में सरकारी क्षेत्र बढ़ाने के लिये कोई वार्ता नहीं हुई है । हमसे बहुधा कहा जाता है, सरकार इन उद्योगों का संचालन क्यों नहीं करती है ? डा० लंकासुन्दरम् सरकार द्वारा उद्योगों के संचालन करनें की पद्धति के कठोर आलोचक हैं । वह ऐसा नहीं करनें देंगें । उनका मत है कि यह सब गलत है । वस्तुतः सदन को धैर्य रखना चाहिये यदि उनकी यह इच्छा है कि सरकार उद्योगों का संचालन करे । निजी उद्योगपतियों के समान सरकार भी गलती कर सकती है । यदि हम औद्योगीकरण करते हैं, जिस पर प्रायः निजी उद्योगों का एकाधिकार है तो निस्संदेह ही हम यथेष्ट सफलता प्राप्त करेंगे लेकिन हमें असफलताओं का सामना भी करना चाहिये । यदि सदन को यह बात स्वीकार हो

तो हम ऐसा करने के लिये तैयार हैं। यह कहने में कोई सार नहीं है कि यह गलत है, वह गलत है ; यह उच्च प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिये अथवा यत्र तत्र कुछ हानि हो रही है। वस्तुतः कितने ही निजी उद्योगों में कई वर्षों तक लाभांश नहीं दिया जाता है बजट की व्याख्या करते समय मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने औद्योगीकरण की सामान्य योजना पर उचित प्रकाश डाला है। हमारे कम नोट छापकर अर्थ व्यवस्था करना इस बात का सबूत है कि हम लोगों के हाथ में कुछ रुपया बचाये रखना चाहते हैं ताकि वह विनियोग के लिये उपलब्ध हो सके। लेकिन अनूत्पादक तरीके पर रुपया व्यय करना सरकार के लिये सरल नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्ष जब मेरे हिसाब की जांच की जायेगी, लगभग ६३ करोड़ रुपयों की जिन्हें मैं ने हाथकरघा, खादी तथा दूसरे कार्यों में खर्च किया है, सदन के माननीय सदस्य मुझसे फिर कहेंगे कि इतनी वृहद् रकम खर्च करने पर क्या इतना ही उत्पादन किया गया है। वस्तुतः छोटे पैमाने के उद्योग, खादी और हाथकरघा तथा घरेलु उद्योग धन्धों पर बहुत ही सावधानी पूर्वक १० करोड़ रुपये की योजना बनाई है। इसकी सूक्ष्म आलोचना कर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें व्यर्थ खर्च हुआ है। व्यर्थ खर्च होगा लेकिन हमें यह मालूम है कि किसी जरूरतमन्द आदमी को इससे लाभ हुआ है, किसी निर्धन व्यक्ति को इससे फायदा हुआ है।

श्री पी० एन० राजभोज : समिति में किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। उसमें सब पूंजीपति हैं, गरीबों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सीधे संसद से इस विषय में निर्णय करने के लिये कह रहा हूं। आप हमसे विकेन्द्रीयकरण करने के लिये कहते हैं। आपकी इच्छा है कि हम पदाधिकारियों को अधिक से अधिक अधिकार सौंप दें ताकि शीघ्र निर्णय किया जा सके। यदि हम इस मामले में कुछ निर्णय करते हैं तो लोक-लेखा समिति कह सकती हैं आपने गलत निर्णय किया है। ऐसे मामले हुए हैं जिनमें हानि होने पर सम्बन्धित पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है यद्यपि वह इन बातों से परिचित नहीं थे। मेरे अपने मंत्रालय में भी, मैं पदाधिकारियों से कहता हूं कि सद्भावना पूर्वक किये गये उनके गलत कार्य के लिये मैं उत्तरदायी हूं। मेरे लिये राजनीति एक साहसयुक्त व्यवसाय है लेकिन बीस वर्ष तक सेवा करने वाला पदाधिकारी अपनी पेंशन तथा भविष्य की आशा को जोखिम में नहीं डाल सकता इस प्रकार की बातों में मंत्री को ही उत्तरदायित्व लेना चाहिये। डा० लंका सुन्दरम् ने कहा था कि "व्यापार की शर्तें आपके विरुद्ध हैं, वे आपके विरूद्ध क्यों है और आप ने इस के लिये क्या किया है ?"

डा० लंका सुन्दरम : मैं ने कहा था 'आप इस पर नियंत्रण क्यों नहीं करते हैं ?"

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : डा० लंका सुन्दरम ने सम्भवतः भारत से बाहर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था और सम्भवतः उन्हें अन्तर्राष्ट्री अर्थनीति का मुझ से अधिक ज्ञान है। परन्तु मैं उन्हें यह समझाना चाहूंगा कि व्यापार की शर्तों पर सरलता से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है और जब वे हमारे विपरीत हों तो उन से निबटना उतना ही कठिन

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

होता है जितना कि मोटर चलाते समय उसे फिसलने से रोक देना । जब आप मोटर चला रहे हों तो आपका वस्तुत: उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और अचानक वह फिसल जाती है । यह भूतल की कुछ अवस्थाओं के कारण होता है । आप अपनी मोटर पर नियंत्रण कर लेते हैं और उस बाधा से बच जाते हैं और अन्ततोगत्वा अपनी मोटर पर नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं । इसी प्रकार दूसरे देश में सम्पन्नता की मात्रा कुछ अधिक होने के कारण व्यापार की शर्तें आप के विरुद्ध होती है व्यापार की शर्तें आप के विरुद्ध इसलिये होती हैं क्योंकि उस देश में सम्भवत: वस्तुओं का मूल्य चढ़ जाये । एक सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था में व्यापार की प्रतिकूल शर्तें अस्थायी होती हैं । हम अपने निर्यात बढ़ा देते है और आयात घटा देते हैं, किन्तु इस विषय में हम व्यापार की शर्तों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं । मुझे भय है कि मेरा अर्थशास्त्र का ज्ञान तो सीमित सा है । मैं डा० लंकासुन्दरम को एक विशेष कण्डिका पढ़ कर सुनाना चाहता था, किन्तु हमारे पुस्तकालय वाले उस पुस्तक को खोज नहीं निकाल सके जिस में से कि मैं उन्हें अच्छी प्रकार बता सकता ....

डा० लंका सुन्दरम् : उस पुस्तक का नाम क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यहां कुछ चीजें हैं, किन्तु इन से यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होती जहां तक विदेशी व्यापार का सम्बन्ध है यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि यहां यह हुआ है और वहां वह हुआ है । हम बातचीत के द्वारा ही स्थिति का सामना कर सकते अन्ततोगत्वा हमारे पास केवल एक ही साधन है कि हम अपने आयातों को कम करें और यह हमारे अपने हाथ में हैं। जहां तक अपने निर्यातों को बढ़ाने का सम्बन्ध है, हम अपने पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिये । श्री वी० पी० नायर ने एक बात यह कही थी कि उन देशों के साथ व्यापार किया जाये जिन के साथ अब तक हमारा लेन-देन नहीं रहा है । इस में कुछ कठिनाइयां हैं । वे देश सरकारी आधार पर व्यापार करते हैं । हम यहां निजी लोगों के साथ व्यापार करते हैं और इस में समय लगता है मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि रूस के वर्तमान राजदूत अपने पूर्वाधिकारियों से भिन्न एक बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं । वह प्राय: कई बार मंत्रालय में आते हैं और व्यापार को बढ़ाने के लिये बड़े उत्सुक हैं । उन्होंने हमें कुछ मार्ग सुझाये हैं जिन को हम अपना सकते हैं । ये चीजें एक दिन में नहीं हो जाती हैं । हमारा उन से कोई विरोध नहीं है कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ।

श्री मेघनाद साहा : आप को इस के लिये विशेष उत्सुकता नहीं है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अपने माननीय मित्र जैसे व्यक्तियों को जिन में एक अज्ञात पशु के समान कुछ गुण होते हैं, कैसे विश्वास दिला सकता हूं ? मैं उन्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस के लिये सदा ही उत्सुक रहता हूं ?

श्री वी० पी० नायर : एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग का क्या हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमचारी : यदि मेरे मित्र किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जायें तो उन्ह ज्ञात हो जायेगा कि एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग में क्या किया जा रहा है । सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ये बड़े बड़े गुट्ठ आपस में वाक्-युद्ध करते हैं और कभी कभी प्रसंगवश एक-आध तीर बेचारे भारत जैसे देशों की ओर भी आ जाता है.....

श्री के० के० वसु (डायमंड हार्बर) : तो उस लड़ाई से लाभ क्यों न उठाया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम कभी कभी ऐसा करते हैं। एक बार जब मुझे एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने का अवसर मिला था, तो मैं ने इस लड़ाई से अवश्य लाभ उठाया था, किन्तु प्रायः ऐसा नहीं किया जा सकता है । स्वय मेरे सहयोगी ने कहा था—यह तो तर्क का विषय है—कि जो पदाधिकारी गया था वह सब ज्येष्ठ, सबसे अधिक जानकार और वस्तुतः सबसे अच्छे पदाधिकारियों में से एक था और उसने जो कुछ कहा था उसमें कोई ग़लती नहीं थी। मैं इसके लिये क्षमा मांगने को तैयार नहीं हूं । उसने जो कुछ कहा था, ठीक ही कहा था । मेरे और सरकार के यही विचार हैं । मैं उनसे और किसी अन्य से क्षमा मांगने को तैयार नहीं हुं । इसमें रूस का भी कोई अपमान नहीं किया गया था। आखिर वह पदाधिकारी और दूतावास के पदाधिकारी परम्परा बड़े अच्छे मित्र हैं । और इक्का दुक्का बातों को लेने से कोई लाभ नहीं है। यदि डा० लंका सुन्दरम् यहां मेरे विरुद्ध कुछ कहते हैं, तो मैं उन्हें वैसा ही उत्तर दे देता हूं, किन्तु जब मैं उन्हें बाहर देखूं तो क्या मुझे मुह फेर लेना चाहिये और उन की ओर ताकना भी नहीं चाहिये ? मेरे मित्र श्री वी० पी० नायर यहां मेरे विरुद्ध चुन चुन कर बातें कहते हैं, किन्तु बाहर जब हम इकट्ठे काफ़ी पीते हैं तो उनके मुख पर वही आनन्द दायक मुस्कराहट नाचती है—वे केवल सदन में ही मुझ पर त्योरियां चढ़ाते हैं। ऐसी बातें होती हैं। मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि वह सूचना ग़लत थी। यदि यह मान भी लिया जाये कि वह ग़लत है, तो भी इस में कोई हानि नहीं है। आप को व्यापार मिल सकता है; आप स्वयं व्यापार कर सकते हैं । वस्तुतः रूस के राजदूत ही आगे बढ़े थे । वह हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं "किसी को भेजिये और हमारे लोगों को बताइये कि हम क्या कर रहे हैं।" सम्भव है कि अन्त में इसका कुछ फल निकले, किन्तु इस में समय लगेगा ।

मैं सामान्यतया अपनी नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । हमारा प्रधान उद्देश्य 'विकास' होना चाहिये जिस से उत्पादन और खपत दोनों बढ़ेंगे । देश भर में उपभोग के मानदण्ड में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिये और जीवन स्तर ऊंचा उठाना पड़ेगा । इस के लिये हमें अधिक और विभिन्न प्रकार के तथा अच्छे उत्पादन के लिये अधिक नियोजन और अधिकतम व्यापार करने का प्रयत्न करना चाहिये। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि उत्पादन बढ़ना चाहिये चाहे उस की खपत न भी हो । सम्भव है कि उन में से कुछ उद्योगों में, जो मेरे मित्र डा० लंका सुन्दरम ने बताये थे, खपत कम हो गई हो और खपत के बिना उत्पादन नहीं हो सकता है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं।

[श्री टी० टी कृष्णमाचारी]

इस विषय में मेरे विचार में स्थिति कुछ सुधरी है। कुछ माननीय सदस्यों के इस विचार के बावजूद भी कि बेकारी है और क्रय शक्ति की कमी है, हम यह अनुभव करते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति कुछ बढ़ गई है गत वर्ष उत्तरी भारत में ऋतु काफी अच्छी रही है। इस वर्ष सारे भारत में ऋतु काफ़ी अच्छी रही है। इसके फल-स्वरूप कपड़ा और चीनी इत्यादि की मांग बढ़ गई है। हो सकता हमें चीनी का इतना मूल्य पसन्द न हो, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस की मांग बढ़ गई है। पहले कभी सदन में मैं ने यह बताया था कि गत जुलाई में जब मैं आगरे गया था तो मैं ने वहां चीनी की खपत के सम्बन्ध में पूछ ताछ की थी और मुझे यह बताया गया था कि उस की ३० टन की सामान्य खपत बढ़ कर ८० टन तक पहुंच गई है।

श्री मेघनाथ साहा : कांच की वस्तुओं की बड़ी मांग है। हम नहीं.....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं लोगों को पर्याप्त चीनी देने का प्रयत्न कर रहा हूं, इस से उन का जीवनस्तर ऊंचा उठेगा—घर, पर्दे इत्यादि और कांच का सामान बाद में आयेगा।

श्रीमान्, दूसरी बात जिसे कि सदन को अनुभव करना चाहिये और जिसे मेरे विचार में मेरे पंजाब के माननीय मित्र ने बड़ी अच्छी प्रकार प्रस्तुत किया है इस विषय में है कि उपभोक्ता को क्या देना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य: वह हिन्दी में बोले थे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह हिन्दी में बोले थे और जो कुछ वह कहना चाहते थे उसे मैं समझ गया था। उन्होंने बटाला में बनने वाली चारा काटने की मशीनों का प्रश्न उठाया था जिस के लिये वह फैक्टरी २" आकार के बालबियरिंग्स का प्रयोग कर रही है उसे यह बालबियरिंग्स ४ रुपये ८ आने में मिलते थे। हमें इस उद्योग को संरक्षण देना था अतः हम ने शुल्क बढ़ा दिया। स्वभाविकतया उस का मूल्य बढ़ गया और अब उसे नौ रुपये या उसके आस-पास देने पड़ते हैं जिस के सम्बन्ध में मेरे मित्रों ने शिकायत की थी। मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी शिकायत बहुत ठौस आधार पर आधारित है। यदि आप यहां कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उसे संरक्षण देना पड़ेगा। हमें विशेष प्रकार के इस्पात का आयात करना पड़ता है; अधिक मजूरी देनी पड़ती है; विशेष टैक्निकल सलाह के लिये भी पैसे देने पड़ते हैं; हमें नई मशीनरी भी मंगवानी पड़ती है जिस पर अतिरिक्त कर देने पड़ते हैं और प्रशुल्क आयोग ने आर्थिक लागत नौ रुपये के लगभग निश्चित की है। हमारे सामने यही कठिनाई है। जब कभी हम ने कोई उद्योग आरम्भ किया है तो प्रायः सदस्यों ने उसे संरक्षण देने के लिये कहा है। मैं सदैव उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य देने के लिये नहीं कह सकता। हमें इस विषय में कहीं समझौता करना होगा। मुझे बडी प्रसन्नता है कि जब मेरे माननीय मित्र बैठे थे तो सदन के किसी भाग ने वस्तुतः तालियां बजाई थीं।

अभिनवीकरण के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री के० के० देसाई ने वस्तुतः ठीक बात कही थी। मेरे विचार में हमें सलाह देने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने हमें ऐसी सलाह दी जो सम्भवत

कोई बुजुर्ग या मेरा कोई बड़ा सहयोगी दे सकता है। परन्तु श्री सोमानी तथा अन्य व्यक्तियों को कुछ और बातों को समझना चाहिये। हम अभिनवीकरण के विरुद्ध नहीं हैं। हम यह समझते हैं कि अभिनवीकरण और आधुनिकीकरण आवश्यक है। मुझे अपने मित्र श्री मिश्र के जो कि पटसन उद्योग के सम्बन्ध में बोले थे भाषण को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि पटसन उद्योग के लिये कुछ किया गया है। उन्होंने यह कहा था कि पटसन उद्योग के लिये तो अभीनवीकरण आवश्यक है। अन्यथा होगा यह कि, इस वर्ष पाकिस्तान ने ६,००० तुं करघे लगाये हैं अगले वर्ष वह ७,२५० करघे लगायेगा और हमारे छै हजार के मुकाबले १३,२५० करघों से तीन पालियों में उस के पास ३९ हजार से कुछ अधिक करघे हो जायेंगे। अतः वह हमारे से भी अधिक उत्पादन करने लगेगा। यह तो निर्यात बाजार का मुकाबला करने का प्रश्न है हमें मुकाबला करना होगा, किन्तु इसके साथ ही हम इस प्रश्न का निश्चय एकपक्षीय रूप से नहीं कर सकते हैं। यह उद्योग अन्य महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिये बिना अपनी इच्छानुसार इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है। मैं कई बार यह कह चुका हूं और मैं तीन या चार सार्वजनिक सभाओं में भी यह कह चुका हुं कि हमें इस की ओर 'अवश्य' ध्यान देना चाहिये। निस्सन्देह, हमें इस विषय में प्राथमिकतायें निश्चित करनी चाहियें। मैं एक विशेष मिल का उदाहरण बता सकता हूं जिस ने अनुमति मांगी थी और जिस के मामले पर हम ने विस्तार से विचार किया था। इकट्ठे बैठ कर चर्चा करने के पश्चात् हम ने यह देखा था कि उस मिल में भी जिस ने बुनाई की प्रक्रिया तक अभिनवीकरण और आधुनिकीकरण किया है—जब यह बुनाई को स्वचालित बनाना चाहती है, इसके पास पहले से ही कुछ करघे हैं—तो इसके प्रशिक्षण, अदला-बदली और इसी प्रकार की चीजों में चार या पांच वर्ष लग जायेंगे। अतः आकार की दृष्टि से यह समस्या बहुत बड़ी नहीं है। मेरे माननीय मित्र श्री जी० डी० सोमानी द्वारा इस की कठोर आलोचना की जाने या किसी के अभिनवीकरण को बन्द करने के लिये कहने से कोई लाभ नहीं है। यदि किसी समस्या को १० या १५ वर्ष लगें तो उस के लिये इकट्ठे बैठ कर कोई कार्यक्रम निश्चित करना ही उचित है जिस से कि हम अभिनवीकरण तो कर सकें किन्तु इसके साथ ही हम श्रमिकों को बेकार न होने दें।

दूसरी बात यह है कि यदि हमें अभिनवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर विचार करना है तो अभी करना चाहिये, बाद में नहीं। अब हम सरकार के लिए एक विकास निगमकी स्थापना के बारे में सोच रहे हैं। हम गैर सरकारी उद्योग के लिये वित्त निगमों की स्थापना करने का भी विचार कर रहे हैं। यह भी सोचा जा रहा है कि गैर सरकारी क्षेत्र में और उद्योगों के चलाये जाने के लिए अधिक धन दिया जाय। हम स्वयं भी उद्योगों को चलाने का विचार कर रहे हैं। अतः औद्योगिक विस्तार के लिये काफ़ी उत्साह पाया जाता है। समय आ गया है कि उद्योगों का अभिनवीकरण किया जाय। हम आंशिक बेकारी की समस्या के सुलझाये जाने की व्यवस्था कर सकते हैं; शर्त यह है कि श्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आपत्ति न हो।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

डा० लंका सुन्दरम् के ऐसा कहने का कोई महत्व नहीं है कि विशाखापटनम से मजदूर दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं करेंगे । हमें उनके लिए व्यवस्था करनी है तथा उन्हें जाना ही पड़ेगा । इस प्रश्न पर विचार करने का समय आ गया है । हमें इसे विवाद का मामला नहीं बनाना चाहिए तथा इस पर उत्तेजना रहित ढंग से विचार करना चाहिये । आप यह कहकर हमारी स्थिति को गलत न दिखाऐं कि सरकार तो अभिनवीकरण के पक्ष में है तथा आप बेकार हो गये व्यक्तियों के समर्थक हैं । मैं इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं । मैं भी जनता का इतना ही समर्थक हूं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है । मैं किसी भी मजदूर को बेकार नहीं होने दूगा क्योंकि यह मेरा उत्तरदायित्व है । मैं अपने कार्य बन्धुओं से एक निधि की स्थापना पर विचार करने के लिए कहने को तैयार हूं । हम उस राशि से कुछ धन दान के रूप में दे सकते हैं । यदि कोई मिल या कारखाना आंशिक बेकारी के लिए व्यवस्था न कर सके तो उसे इस निधि से ऋण दिया जायेगा, जो मिल द्वारा लाभ होने पर लौटाया जा सकेगा । हम समस्त साधनों तथा उपायों पर विचार करने के लिए तैयार हैं । हम इस पर परस्पर बैठ कर किसी से भी, जिसे इसमें रुचि हो, विचार करने के लिये तैयार हैं । परन्तु हमें आप अभिनवीकरण से सहानुभूति न करने के लिये दोष न दें । हम अभिनवीकरण की अनिवार्यता का अनुभव करते हैं । हम दस वर्ष तक किसी अभिनवीकरण के बिना नहीं चल सकते हैं । मैं इस समस्या के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं । इसका प्रबन्ध हो सकता है । सरकार यह प्रबन्ध करने में समर्थ है । हम श्रम को यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह सौदा उन्हें मंहगा नहीं पड़ेगा । मैं बिना हानि के अभिनवीकरण के पक्ष में हूं ।

मुझे खेद है कि मैं बहुत सी बातों के सम्बन्ध में नहीं कह सका हूं, परन्तु यदि किसी माननीय सदस्य को कोई सूचना चाहिये तो मैं उसे देने को तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुखबन्द का प्रयोग करूंगा ।

क्या सदन किसी कटौती प्रस्ताव को पृथक रूप से प्रस्तुत करना चाहता है ?

कुछ माननीय सदस्य : कटौती प्रस्ताव संख्या १२९८ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में कटौती प्रस्ताव १२९८ पर सदन का मत लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव १२९८ सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी मांगों को एक साथ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या १, २, ३, ४ तथा ११० मतदान के लिए प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

इसके पश्चात सभा, बृहस्पतिवार, १५ अप्रैल, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।